



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 15, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2013

क्र. ई-5-659-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. के. वेद, आयएएस, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 30 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री एस. के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-659-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. के. वेद, आयएएस, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 27 से 30 नवम्बर 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत

किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एस. के. वेद की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राजीव रंजन, भाप्रसे विकअ-सह-आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. वेद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. के. वेद द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव रंजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4053

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-720-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गुलशन बामरा, आयएस., आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश एवं सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 6 से 14 नवम्बर 2013 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश एवं सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुलशन बामरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2013

क्र. ई.-5-477-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 22 एवं 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री राधेश्याम जुलानिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रजनीश वैश्य, भाप्रसे विकअ-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास (अति. प्रभार) तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमि. (एनबीपीसीएल) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश्य उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-844-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार सिंह, आयएस, कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 16 से 20

दिसम्बर 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अशोक कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री जेड. यू.शेख, राप्रसे, अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जेड. यू.शेख कलेक्टर, जिला कटनी के प्रभार के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-845-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. जैन, आयएस, अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को दिनांक 9 से 31 दिसम्बर 2013 तक तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-850-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. एम. शर्मा, आयएस., कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 11 से 18 दिसम्बर 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक अवकाश पर प्रस्थान नहीं किया जाये.

(2) श्री बी. एम. शर्मा, की अवकाश अवधि में श्री एम. पी. पटेल, राप्रसे, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी

रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला उज्जैन का प्रभार जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. एम. शर्मा, द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. पी. पटेल, कलेक्टर, जिला उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2013

क्र. एफ 1(ए) 196-1991-ब-2-दो.-श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को पुलिस मुख्यालय, के आदेश क्र. 123/13, दिनांक 5 नवम्बर 2013 द्वारा स्वीकृत किए गए तीन दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं दो दिवस के ऐच्छिक अवकाश के साथ पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश के लाभ के साथ कुल दिनांक 14 से 21 नवम्बर 2013 तक आठ दिवस की अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत लक्ष्यद्वीप जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- | | | |
|-------------------------|---|--------|
| 1. श्रीमती अनुराधा शंकर | — | स्वयं |
| 2. अदिती सिंह | — | पुत्री |
| 3. श्री जनमेजय सिंह | — | पुत्र |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे., को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. एफ 1(ए)53-2003-ब-2-दो.-(1)श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज, रीवा को दिनांक 16 से 28 दिसम्बर 2013 तक तैरह दिवस अर्जित अवकाश, 14,15 एवं 29 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आकाश जिंदल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाश काल में श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 78-2001-ब-2-दो.-श्री एम. के. मुदगल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 2 से 20 दिसम्बर 2013 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश, 01,21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एम.के.मुदगल, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री महान भारत सागर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शिकायत/मानव अधिकार आयोग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम.के.मुदगल, भापुसे, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम.के.मुदगल, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एम.के.मुदगल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम.के.मुदगल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी
भोपाल, मध्यप्रदेश
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. 7982-2013-विपप्र.—प्रदेश के सभी अधिकारी/कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षाएँ उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हों, के लिए विभागीय परीक्षाएँ दिनांक 6 जनवरी, 2014 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निर्मांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:—

| स. क्र. | प्रश्न-पत्र का विषय | समय |
|-------------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| सोमवार, दिनांक 6 जनवरी, 2014 | | |
| 1 | प्रश्न-पत्र -प्रथम दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक. |
| 2 | प्रश्न-पत्र -पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित) | —तदैव— |
| 3 | प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, (पुस्तकों सहित) | —तदैव— |
| 4 | प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित) | —तदैव— |
| 5 | प्रश्न-पत्र पहला —सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये, | —तदैव— |
| 59 | प्रश्न-पत्र—विद्युत् संबंधी विधियों-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. | —तदैव— |
| 6 | प्रश्न-पत्र दूसरा—प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना) सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. | दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक |
| 7 | प्रश्न-पत्र दूसरा— सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. | —तदैव— |
| 8 | प्रश्न-पत्र —समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये. | —तदैव— |
| 60 | प्रश्न-पत्र—भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. | —तदैव— |

(1)

(2)

(3)

मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी, 2014

- 9 प्रश्न-पत्र पहला — प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
- 10 प्रश्न-पत्र पहला-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-बी —तदैव—
- 11 प्रश्न-पत्र—पहला प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-सी —तदैव—
- 12 प्रश्न-पत्र—उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 13 प्रश्न-पत्र—खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 14 प्रश्न-पत्र प्रथम—लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये —तदैव—
- 61 प्रश्न-पत्र—विद्युत् संस्थापनाएं—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 15 प्रश्न-पत्र—दूसरा प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.
- 16 प्रश्न-पत्र—प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 17 प्रश्न-पत्र तीसरा— बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. —तदैव—
- 18 प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 19 प्रश्न पत्र द्वितीय-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—
- 62 प्रश्नपत्र-लेखा व स्थापना, ऊर्जा विभाग के लिये. —तदैव—

बुधवार, दिनांक 8 जनवरी, 2014

- 20 प्रश्न-पत्र—तीसरा-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना- सामान्य प्रशासन राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
- 21 प्रश्न-पत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) वाणिज्यिक विभाग के अधिकारियों के लिए. —तदैव—
- 22 प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये. —तदैव—
- 23 प्रश्न-पत्र-पहला-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये. —तदैव—

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|--|
| 24 | प्रश्न-पत्र —“व्यवहारिक परीक्षा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक |
| 63 | प्रश्न पत्र स्विच गेयर तथा संरक्षण-उर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये | —तदैव— |
| 25 | प्रश्नपत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया -वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये. | दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक |
| 26 | प्रश्नपत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. | —तदैव— |
| 27 | प्रश्नपत्र—“पुलिस शाखा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के). | —तदैव— |
| 28 | प्रश्नपत्र-दूसरा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये | दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक |
| 29 | प्रश्न पत्र तीसरा-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये. | —तदैव— |
| 30 | प्रश्नपत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये. | —तदैव— |
| 31 | प्रश्नपत्र-चौथा सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. | —तदैव— |
| 32 | प्रश्न पत्र समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए | —तदैव— |
| 64 | प्रश्नपत्र-विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंशूलेशन को-ऑर्डिनेशन व हैजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. | —तदैव— |

गुरुवार, दिनांक 09 जनवरी, 2014

| | | |
|----|---|--|
| 33 | प्रश्न-पत्र प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) जिलाध्यक्षों, उप-जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक |
| 34 | प्रश्न-पत्र प्रथम—लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक |
| 35 | प्रश्न-पत्र प्रथम—लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक |
| 36 | प्रश्न-पत्र—“न्यायिक शाखा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये. (बिना पुस्तकों के) | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक |
| 37 | प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित)—उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक |

| (1) | (2) | (3) |
|--|---|---|
| 38 | प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित)—आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक |
| 39 | प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक |
| 40 | प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक |
| 41 | प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक |
| 66 | प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिए. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक |
| 42 | प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) उप-जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. | दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक. |
| 43 | प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. | दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक. |
| 44 | प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये. | दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक. |
| 67 | प्रश्न-पत्र द्वितीय—लेखा (पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. | दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक. |
| शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी, 2014 | | |
| 45 | प्रश्न-पत्र —लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक. |
| 46 | प्रश्न-पत्र प्रथम— लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक. |
| 47 | प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक. |
| 48 | प्रथम प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया प्रथम (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक. |
| 49 | प्रश्न-पत्र द्वितीय—मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक. |
| 50 | प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक. |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|---|
| 65 | प्रश्न-पत्र—पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक. |
| 68 | प्रश्न-पत्र तृतीय—महिला एवं बाल कल्याण—महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक. |
| 51 | प्रश्न-पत्र —लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये. | दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक. |
| 52 | प्रश्न-पत्र —लेखा प्रथम भाग-2, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये | दोपहर 2: 00 बजे से शाम 4: 00 बजे तक. |
| 53 | प्रश्न-पत्र—सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित). | दोपहर 2: 00 बजे से शाम 4: 00 बजे तक. |
| 54 | प्रश्न-पत्र तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये. | दोपहर 2: 00 बजे से शाम 4:00 बजे तक. |
| 55 | द्वितीय—प्रश्न-पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये. | दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक. |
| 56 | द्वितीय—प्रश्न-पत्र—लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये | दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक. |
| 57 | प्रश्न-पत्र तृतीय—अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. | दोपहर 2: 00 बजे से शाम 4:00 बजे तक. |
| 69 | प्रश्न-पत्र चतुर्थ—पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. | दोपहर 2: 00 बजे से शाम 4:00 बजे तक. |

सोमवार, दिनांक 13 जनवरी, 2013

| | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 58 | हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. | प्रातः 10: 00 बजे से 12: 00 बजे. |
|----|--|-------------------------------------|

नोट :—

- उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
- सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें.
- सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स.-जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उतीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण-पत्रों को प्रशासन

अकादमी, आर. सी. वी. पी. नरोन्हा, म. प्र., भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15 दिसम्बर 2013 तक भेजेंगे.

4. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदान की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है. एस.सी./एस.टी. दर्शाकर कोस्टक में (प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.
6. परीक्षा के संचालन में यदि परीक्षार्थी द्वारा अनुचित प्रक्रिया अपनाई जाती है तो संभागायुक्त द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर अकादमी को सूचित किया जावेगा.

गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय कलेक्टर, जिला—सिंगरौली, मध्यप्रदेश

क्र. राजस्व-2013,

सिंगरौली, दिनांक 07 अक्टूबर 2013

करारनामा

डायरेक्टर, एम. पी. एएमआरएल (मर्की बर्का) कोल कम्पनी लिमिटेड, पर्यावास भवन दूसरा तल्ला ब्लाक नं. 1 (ए) जेल रोड अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)

प्रथम पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला—सिंगरौली

द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 16-10/2013/सात/2-ए, भोपाल दिनांक 30-05-2013 के अनुसार एम. पी. ए. एम. आर.एल. (मर्की बर्का) कोल कम्पनी लिमिटेड, जिला—सिंगरौली में कोल आपूर्ति हेतु कैप्टिव कोल ब्लाक ग्राम पिड़रा, तहसील सरई जिला—सिंगरौली की निजी भूमि रकवा 11.52 हे. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1994 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 07-10-2013 को अनुबंध/करारनामा निष्पादित करते हैं.

1. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य रुपये 20269613.00 मात्र (रु. दो करोड़ दो लाख उन्हत्तर हजार छः सौ तेरह मात्र) कंपनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है और परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य रुपये 6200000.00 मात्र (रु. बांसठ लाख) जमा की जा चुकी है. शेष राशि एवार्ड पारित करने के पहले शासकीय कोष में जमा करनी होगी.
2. कम्पनी द्वारा निम्नानुसार 10 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय की राशि रुपये 2646961.00 मात्र (रुपये छब्बीस लाख छियालीस हजार नौ सौ इकसठ) बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है.
3. एम.पी.ए.एम.आर.एल. (मर्की बर्का) कोल कम्पनी लिमिटेड, द्वारा कोल ब्लाक से उत्खनित कोयला का उपयोग मध्यप्रदेश खनिज निगम के साथ हुए ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट दिनांक 20-06-2009 में वर्णित नियमों के अनुसार होगा.
4. मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक 12-3/08/सात/2-ए, दिनांक 12-08-2008 के निर्देशानुसार राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 का परियोजना द्वारा पालन किया जायेगा.
5. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कम्पनी द्वारा देय होगा.
6. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

7. कम्पनी द्वारा माइनिंग प्लान प्रस्तुत करना पड़ेगा तथा माइनिंग लीज नियमानुसार प्राप्त करना होगा.
8. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
9. कंपनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कम्पनी में आदर्श पुनर्वास नीति वर्ष 2002 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिये वचनबद्ध होगी.
10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा परन्तु परियोजना निर्माण के लिये, ऋण प्राप्त करने हेतु कम्पनी को ऋण दाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बन्धक रखने की पात्रता अनुमति के पश्चात होगी.
11. यदि कम्पनी को दी गई भूमि, भवन अथवा उसके किसी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कम्पनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
12. प्रदूषण नहीं किया जायेगा इस संबंध में सम्बंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल श्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
13. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां, अनुमोदन एवं अनापत्तियां सम्बंधित एवं कलेक्टर-सिंगरौली से प्राप्त करना होगा.
14. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी भी बन्द कर दिया जाता है

तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय नहीं होगा.

15. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
16. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
17. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु कलेक्टर, सिंगरौली के द्वारा स्वीकृत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के अनुसार किया जायेगा.
18. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जावेगा.
19. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा.

यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 07-10-2013 एम. पी. ए. एम. आर.एल. (मर्की बर्का) कोल कम्पनी लिमिटेड, पर्यावास भवन दूसरा तल्ला ब्लाक नं. 1 (ए) जेल रोड अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.) की तरफ से श्री सारीपुता मिश्रा, डायरेक्टर तथा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर, जिला-सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया.

हस्ता./-
(सारीपुता मिश्रा)
डायरेक्टर,

एम.पी.ए.एम.आर.एल. (मर्की बर्का) कोल कम्पनी लिमिटेड.

हस्ता./-
(एम. सेलवेन्ड्रन)
कलेक्टर,
जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 नवम्बर 2013

क्र. 10658-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—समसवाड़ा, प. ह. नं.-30, ब. नं.-266,
रा. नि. मंडल-चौरई,
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.310 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

| प्रस्तावित खसरा नम्बर | प्रस्तावित रकबा (हे. में) |
|-----------------------|---------------------------|
| (1) | (2) |
| 33/7 | 0.200 |
| 26/4, 26/5-6 | 0.010 |
| 27/1 | 0.235 |
| 23/2, 24/2, 25/2, | 0.324 |
| 26/1, 26/2, 26/3 | |
| 23/1, 24/1, 25/1 | 0.456 |
| 20 | 0.085 |
| योग . . | 01.310 |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10659-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—सुरजना, प. ह. नं.-15, ब. नं.-297,
रा. नि. मंडल-चौरई,
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.436 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

| प्रस्तावित खसरा नम्बर | प्रस्तावित रकबा (हे. में) |
|-----------------------|---------------------------|
| (1) | (2) |
| 32 | 0.270 |
| 33 | 0.428 |
| 34/2 | 0.288 |
| 35/2 | 0.160 |

| (1) | (2) | प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) | प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2) |
|--|---------------|---|-------------------------------------|
| 35/1 | 0.010 | 86 | 0.500 |
| 28,29/1 | 0.110 | 85/1 ख | 0.390 |
| 30,31 | 0.170 | 45/1 क | 0.180 |
| योग . . | <u>01.436</u> | 82/1 | 0.478 |
| (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में. | | 85/2 | 0.300 |
| | | 82/2 | 0.020 |
| | | 5/3 | 0.597 |
| | | 5/2,6/1,7,8/1 | 0.030 |
| (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. | | 11/4,12/4,13/3,14/6 | 0.005 |
| | | 11/3,12/2,13/2,14/5 | 0.665 |
| | | 19 | 0.348 |
| | | 18 | 0.870 |
| | | योग . . | <u>04.383</u> |
| (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है. | | (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में. | |
| (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है. | | (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. | |
| क्र. 10660-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— | | (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है. | |
| | | (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है. | |
| | | क्र. 10661-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, | |

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौरई
- (ग) नगर/ग्राम—सर्ग, प. ह. नं.-15, ब. नं.-267,
रा. नि. मंडल—चौरई,
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—04.383 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—सलकनी, प. ह. नं.-15, ब. नं.-269,
 रा. नि. मंडल-चौरई,
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—10.016 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

| प्रस्तावित खसरा नम्बर | प्रस्तावित रकबा (हे. में) |
|-----------------------|---------------------------|
| (1) | (2) |
| 308,312/4 | 0.647 |
| 309/1 | 0.200 |
| 309/2 | 0.200 |
| 307/1 | 0.040 |
| 328/1 | 0.238 |
| 303/3 क | 0.090 |
| 305,306,325/3 | 0.054 |
| 323/3 | 0.320 |
| 327 | 0.024 |
| 328/2 | 0.144 |
| 277/1,329/1 | 0.490 |
| 275/2 | 0.158 |
| 275/1 | 0.210 |
| 329/4 | 0.010 |
| 330/2 | 0.260 |
| 329/3 | 0.009 |
| 331/1, 331/4 | 0.366 |
| 331/2, 331/3 | 0.413 |
| 364/2 | 0.450 |
| 364/3 | 0.040 |
| 367/2 | 0.120 |
| 367/4 | 0.142 |
| 101/2 | 0.056 |
| 101/6 | 0.216 |
| 152 | 0.450 |
| 153 | 0.300 |
| 149 | 0.090 |
| 151 | 0.040 |

| (1) | (2) |
|-------------|--------|
| 141,142 | 0.348 |
| 135/1 क | 0.332 |
| 135/4 | 0.396 |
| 161/2,164/2 | 0.054 |
| 161/1,164/1 | 0.080 |
| 162,163 | 0.206 |
| 174 | 0.040 |
| 110 | 0.016 |
| 111/2 | 0.041 |
| 113 | 0.509 |
| 101/7 | 0.130 |
| 101/5,102/4 | 0.130 |
| 101/3 | 0.100 |
| 65/1 | 0.285 |
| 66/3 | 0.278 |
| 67/2 | 0.556 |
| 74/1 | 0.540 |
| 73,74/2 | 0.016 |
| 367/3 | 0.142 |
| 72/1 | 0.040 |
| योग . . | 10.016 |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10662-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—माचीवाड़ा, प. ह. नं.-13, ब. नं.-228, रा. नि. मंडल-चौरई,
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—06.212 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

| प्रस्तावित खसरा नम्बर | प्रस्तावित रकबा (हे. में) |
|-----------------------|---------------------------|
| (1) | (2) |
| 516/4, 517/3 | 0.048 |
| 516/1, 517/1 | 0.304 |
| 516/3 | 0.627 |
| 514/1, 515/1 | 0.120 |
| 514/2, 515/2 | 0.744 |
| 507/2 | 0.824 |
| 507/4 | 0.005 |
| 507/1 | 0.174 |
| 444/2 | 0.240 |
| 502/3, 503/1 | 0.040 |
| 502/1 | 0.186 |
| 502/4 | 0.454 |
| 432/1 | 1.577 |
| 428 | 0.025 |
| 430/2, 431/2 | 0.121 |
| 429/2 | 0.010 |
| 429/1 | 0.300 |
| 425,426/1,427/1,427/3 | 0.413 |
| योग . . | 06.212 |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10663-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—कपूर्दा, प. ह. नं.-12, ब. नं.-14, रा. नि. मंडल-चौरई,
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—07.485 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

| प्रस्तावित खसरा नम्बर | प्रस्तावित रकबा (हे. में) |
|-----------------------|---------------------------|
| (1) | (2) |
| 763,764 | 0.636 |
| 695,696 | 0.162 |
| 732 | 0.285 |
| 731 | 0.213 |
| 737,738 | 0.064 |
| 726,727,728,729 | 0.727 |
| 725/2 | 0.200 |
| 725/3,730/5 | 0.005 |
| 719/2,720/2 | 0.327 |
| 716 | 0.145 |

| | |
|-------------|---------------|
| (1) | (2) |
| 715 | 0.040 |
| 717/2 | 0.694 |
| 697 | 0.300 |
| 700/1 | 0.242 |
| 698 | 0.250 |
| 699 | 0.214 |
| 688/2,689/2 | 0.440 |
| 679 | 0.202 |
| 680/1 | 0.170 |
| 680/2 | 0.010 |
| 681/1,668/2 | 0.390 |
| 669/1 | 0.257 |
| 668/3,681/2 | 0.080 |
| 669/2 | 0.185 |
| 664/1 | 0.738 |
| 664/2 | 0.090 |
| 653 | 0.005 |
| 654 | 0.180 |
| 655 | 0.170 |
| 678/1,701/1 | 0.064 |
| योग . . | <u>07.485</u> |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—केदारपुरखुर्द, प. ह. नं.-14, ब. नं.-28, रा. नि. मंडल-चौरई,
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.487 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

| प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) | प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 216/1 | 0.240 |
| 218/3 | 0.266 |
| 218/2 | 1.205 |
| 225/2,226 | 0.776 |
| योग . . | <u>02.487</u> |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10664-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
(ख) तहसील—मल्हारगढ़
(ग) नगर/ग्राम—आक्याबीका
(घ) लगभग क्षेत्रफल—24.640 हेक्टर.

| सर्वे नं. | रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 242/1 | 0.540 |
| 242/2 | 0.250 |
| 243 | 0.510 |
| 245 | 1.140 |
| 246 | 1.140 |
| 247 | 1.520 |
| 236/मिन-1 | 0.700 |
| 236/मिन-2 | 0.750 |
| 235 | 0.060 |
| 234/1 | 0.600 |
| 234/2 | 0.060 |
| 233 | 0.420 |
| 232 | 0.420 |
| 157 | 1.090 |
| 158 | 0.450 |
| 159 | 0.310 |
| 173 | 0.300 |
| 162 | 0.580 |
| 163 | 0.800 |
| 132/1 | 0.950 |
| 132/2 | 0.250 |
| 133 | 0.310 |
| 134 | 0.070 |
| 135 | 0.270 |
| 136/1 | 0.190 |
| 136/2 | 0.300 |
| 139 | 0.350 |

| (1) | (2) |
|-----------|-------|
| 140 | 0.350 |
| 147/2 | 0.200 |
| 127/1 | 0.700 |
| 127/2 | 1.430 |
| 128 | 0.150 |
| 131 | 2.020 |
| 153 | 1.140 |
| 154 | 0.880 |
| 125/2 | 0.500 |
| 142 | 0.650 |
| 156 | 0.410 |
| 160 | 0.620 |
| 161 | 0.510 |
| 239/मिन-2 | 0.750 |

योग . . . 24.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—आक्याबीका तालाब निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की बनी तालाब योजना के डूब क्षेत्र के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
(ख) तहसील—शामगढ़
(ग) ग्राम—बनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.23 हेक्टर.

| सर्वे नं. | रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 540 | 0.25 |
| 1009 | 0.10 |
| 1002 | 0.10 |
| 838 | 0.15 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-----|----------------|-----------|-----------------|
| 837 | 0.09 | 160/मिन-1 | 0.370 |
| 836 | 0.15 | 170/2 | 0.500 |
| 835 | 0.10 | | योग . . . 2.720 |
| 373 | 0.10 | | |
| 372 | 0.19 | | |
| | योग . . . 1.23 | | |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनी तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरोट, जिला मन्दसौर के यहाँ किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
(ख) तहसील—मल्हारगढ़
(ग) नगर/ग्राम—रूपारेल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.720 हेक्टर.

| सर्वे नं. | रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 169/1 | 0.050 |
| 169/2 | 0.040 |
| 169/3 | 0.040 |
| 158 | 0.200 |
| 159 | 0.150 |
| 162 | 0.300 |
| 156/मिन-1 | 0.150 |
| 156/2 | 0.060 |
| 155 | 0.200 |
| 96 | 0.050 |
| 97 | 0.300 |
| 166/1 | 0.040 |
| 166/2 | 0.020 |
| 167/1 | 0.030 |
| 167/2 | 0.030 |
| 168/मिन-1 | 0.020 |
| 168/1 | 0.040 |
| 161 | 0.130 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—आक्याबीका तालाब निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

इश्यू क्र. 95-प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.— चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
(ख) तहसील—सीतामऊ
(ग) ग्राम—करनाली जागीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—21.400 हेक्टर.

| सर्वे नं. | रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 152 | 0.240 |
| 154 | 0.040 |
| 156 | 0.270 |
| 155 | 0.260 |
| 160 | 0.130 |
| 159 | 0.170 |
| 162 | 0.130 |
| 175 | 0.220 |
| 176 | 0.170 |
| 163 | 0.200 |
| 166/1 | 0.060 |
| 166/2 | 0.050 |
| 167 | 0.110 |
| 173 | 0.100 |
| 181 | 0.170 |
| 182 | 0.120 |
| 183 | 0.130 |
| 174 | 0.240 |
| 177 | 0.140 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-----------|-------|---|----------------------|
| 175 | 0.140 | | |
| 179 | 0.140 | 451 पै. | 0.180 |
| 180 | 0.110 | 452 पै. | 0.620 |
| 193 | 0.250 | 450 | 0.400 |
| 194 मिन 1 | 0.290 | 453 | 0.750 |
| 195 मिन 1 | 0.180 | 468 | 0.190 |
| 196 | 0.340 | 454 | 0.230 |
| 240 मिन 1 | 2.100 | 469 | 0.280 |
| 188 | 0.150 | 150 | 0.390 |
| 195 मिन 2 | 0.280 | 170 | 0.200 |
| 226 मिन 2 | 0.020 | 455 | 0.200 |
| 227 मिन 2 | 0.230 | 465 | 0.080 |
| 229 मिन 2 | 0.220 | 467 | 0.050 |
| 231 मिन 2 | 0.130 | 456 | 0.030 |
| 233 मिन 2 | 0.110 | 451 | 0.170 |
| 233 मिन 3 | 0.220 | | |
| 240 मिन 2 | 0.190 | | |
| 263 | 0.300 | | |
| 264 | 0.140 | | |
| 223 | 0.800 | | |
| 440 | 1.360 | | |
| 224 | 0.470 | | |
| 225 | 0.020 | | |
| 227 मिन 1 | 0.240 | | |
| 229 मिन 1 | 0.220 | | |
| 230 | 0.140 | | |
| 231 मिन 1 | 0.130 | | |
| 232 मिन 1 | 0.170 | | |
| 233 मिन 1 | 0.080 | | |
| 226 मिन 1 | 0.010 | | |
| 232 मिन 2 | 0.240 | | |
| 228 | 0.350 | | |
| 233 मिन 4 | 0.080 | | |
| 234 | 0.220 | | |
| 235 | 0.220 | | |
| 244 | 0.580 | | |
| 171 | 0.600 | | |
| 260 | 0.970 | | |
| 262 | 0.360 | | |
| 266 मिन 1 | 0.040 | | |
| 264 मिन 2 | 0.040 | | |
| 270 | 0.150 | | |
| 265 | 0.360 | | |
| 268 | 0.480 | | |
| 269 | 0.150 | | |
| 266 मिन 2 | 0.030 | | |
| 442 | 0.040 | | |
| 444 | 0.590 | | |
| | | योग . . | <u>21.400</u> |
| | | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गोपालपुरा तालाब के डूब क्षेत्र हेतु. | |
| | | (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सातामऊ, जिला मन्दसौर के कार्यालय में किया जा सकता है. | |
| | | इश्यू क्र. 96-प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13 .— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:— | |
| | | अनुसूची | |
| | | (1) भूमि का वर्णन— | |
| | | (क) जिला—मंदसौर | |
| | | (ख) तहसील—सीतामऊ | |
| | | (ग) ग्राम—गोपालपुरा | |
| | | (घ) लगभग क्षेत्रफल—18.420 हेक्टर. | |
| | | सर्वे नं. | रकबा (हेक्टर में) |
| | | (1) | (2) |
| | | 466/1 | 0.340 |
| | | 464/2 | 0.080 |
| | | 448 | 0.210 |
| | | 466/2 | 0.360 |
| | | 464/1 | 0.070 |
| | | 466/3 | 0.450 |
| | | 464/3 | 0.220 |

| (1) | (2) |
|-------|-------|
| 468 | 0.400 |
| 467 | 0.850 |
| 470 | 2.310 |
| 475 | 0.980 |
| 489 | 0.940 |
| 490 | 0.400 |
| 491 | 0.910 |
| 501 | 1.010 |
| 502 | 1.100 |
| 493 | 1.430 |
| 494 | 0.850 |
| 495 | 0.460 |
| 496 | 0.570 |
| 497 | 0.100 |
| 498 | 0.950 |
| 499 | 0.310 |
| 500 | 1.000 |
| 503 | 0.450 |
| 474/1 | 0.030 |
| 476 | 0.070 |
| 487 | 0.120 |
| 488/1 | 0.150 |
| 492 | 0.260 |
| 446 | 0.400 |
| 449 | 0.120 |
| 450 | 0.040 |
| 461 | 0.030 |
| 465 | 0.050 |
| 485 | 0.400 |

योग . . 18.420

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गोपालपुरा तालाब के डूब क्षेत्र हेतु,
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सातामरु, जिला मन्दसौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

इश्यू क्र. 97-प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13 .— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—सीतामरु

(ग) ग्राम—बसई एवं बांगली

(घ) लगभग क्षेत्रफल— $3.190+5.120=8.310$ हेक्टर.

ग्राम-बसई

| सर्वे नं. | रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|----------------------|
| (1) | (2) |

| | |
|-----------|-------|
| 411 | 0.360 |
| 428 | 0.600 |
| 549/1 | 0.180 |
| 599/2 | 0.150 |
| 546 | 0.350 |
| 545/1 | 0.300 |
| 545/2 | 0.370 |
| 544 | 0.100 |
| 526 | 0.100 |
| 530 | 0.200 |
| 529 | 0.030 |
| 599/1 | 0.150 |
| 599 मिन 3 | 0.150 |
| 603 | 0.150 |

योग . . 3.190

बांगली

| | |
|-----------|-------|
| 36/2 | 0.100 |
| 38 | 0.700 |
| 39 | 0.700 |
| 40 | 0.300 |
| 250 | 0.320 |
| 251 मिन 3 | 1.000 |
| 254 | 2.000 |

योग . . 5.120

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—आसपुरा तालाब के डूब क्षेत्र हेतु,
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सातामरु, जिला मन्दसौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 13 नवम्बर 2013

क्र.-5113-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 16-अ-82-2012-
13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि
नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के
पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की
धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि
उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) ग्राम—चन्देरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —15.06 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टर में) |
|-------------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 100 | 0.03 |
| 102 | 0.13 |
| 112 | 0.15 |
| 187 | 0.30 |
| 5 | 0.11 |
| 99 | 0.17 |
| 103 | 0.38 |
| 6 | 0.16 |
| 7 | 0.20 |
| 8 | 0.19 |
| 9 | 0.14 |
| 39 | 0.02 |
| 41 | 0.13 |
| 87 | 0.18 |
| 85 | 0.09 |
| 44 | 0.30 |
| 115 | 0.16 |
| 164/1 | 0.18 |
| 170 | 0.34 |
| 173 | 0.10 |

| (1) | (2) |
|--------|------|
| 36 | 0.02 |
| 23 | 0.10 |
| 38 | 0.63 |
| 37 | 0.37 |
| 42 | 0.25 |
| 43 | 0.02 |
| 84 | 0.03 |
| 104 | 0.12 |
| 35 | 0.37 |
| 123 | 0.12 |
| 124 | 0.40 |
| 192 | 0.14 |
| 183 | 0.11 |
| 34/345 | 0.16 |
| 116 | 0.12 |
| 111 | 0.02 |
| 114 | 0.07 |
| 113 | 0.11 |
| 188 | 0.19 |
| 191 | 0.02 |
| 101 | 0.01 |
| 90 | 0.22 |
| 172 | 0.20 |
| 176 | 0.20 |
| 182 | 0.02 |
| 184 | 0.36 |
| 34/344 | 0.17 |
| 88 | 0.24 |
| 3 | 0.10 |
| 4 | 0.71 |
| 10 | 0.04 |
| 12 | 0.01 |
| 34 | 0.21 |
| 161 | 0.02 |
| 163 | 0.86 |
| 186 | 0.22 |
| 105 | 0.18 |
| 98 | 0.86 |
| 169 | 0.19 |
| 177 | 0.84 |
| 91 | 0.02 |
| 92 | 0.05 |
| 97 | 0.14 |
| 89 | 0.23 |
| 175 | 0.33 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|--------------|-----|------|
| 166 | 0.20 | 401 | 0.47 |
| 178 | 0.02 | 404 | 0.63 |
| 174 | 0.02 | 408 | 0.30 |
| 167 | 0.20 | 410 | 0.07 |
| 168 | 0.10 | 405 | 0.30 |
| योग . . | <u>13.80</u> | 406 | 0.11 |

शासकीय भूमि का विवरण

| | | | |
|---------|-------------|-----|------|
| 82 | 0.28 | 390 | 0.06 |
| 127 | 0.13 | 389 | 0.09 |
| 79 | 0.15 | 391 | 0.02 |
| 185 | 0.20 | 407 | 0.30 |
| 341 | 0.35 | 411 | 0.21 |
| 1 | 0.15 | 413 | 0.15 |
| योग . . | <u>1.26</u> | 419 | 0.05 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

| | |
|-----|------|
| 367 | 0.34 |
| 546 | 0.30 |
| 566 | 0.12 |
| 567 | 0.10 |
| 563 | 0.10 |
| 564 | 0.45 |
| 565 | 0.17 |

योग . . 5.33

क्र. 5115-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 17-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) नगर/ग्राम—पाटड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —12.20 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 402 | 0.14 |
| 400 | 0.25 |

शासकीय भूमि का विवरण

| | |
|-----|------|
| 403 | 0.17 |
| 474 | 0.45 |
| 409 | 0.55 |
| 366 | 0.51 |
| 479 | 0.14 |
| 493 | 0.13 |
| 569 | 3.10 |
| 515 | 0.50 |
| 516 | 0.02 |
| 527 | 0.25 |
| 528 | 0.05 |
| 457 | 0.19 |
| 478 | 0.81 |

योग . . 6.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है।

क्र. 5117-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 18-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) ग्राम—कलता
(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.30 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 4 | 0.01 |
| 28 | 0.14 |
| 47 | 0.52 |
| 48 | 0.95 |
| 44 | 0.01 |
| 45 | 0.26 |
| 46 | 0.02 |
| 49 | 0.07 |
| 50 | 0.30 |
| 51 | 0.38 |
| 53 | 0.94 |
| 52 | 0.13 |
| 54 | 0.11 |
| 30 | 0.02 |
| 31 | 0.10 |
| 63 | 0.40 |
| 69 | 0.08 |
| 29 | 0.20 |
| 67 | 0.25 |
| 26 | 0.01 |
| 27 | 0.26 |
| 64 | 0.40 |
| 66 | 0.69 |
| योग . . | 6.25 |

- (1) (2)

शासकीय भूमि का विवरण

| | |
|------------|------|
| 65 | 0.45 |
| 78 | 0.19 |
| 84 | 0.16 |
| 62 | 0.25 |
| योग . . | 1.05 |
| महायोग . . | 7.30 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है।

क्र. 5119-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 19-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) ग्राम—आम्बापाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.36 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 165 | 0.16 |
| 166 | 0.42 |
| 167 | 0.38 |
| 515/1 | 0.03 |
| 160 | 0.05 |
| 185 | 0.12 |
| 186 | 0.22 |
| 187/1 | 0.10 |

| | |
|---------|-------------|
| (1) | (2) |
| 157/4 | 0.23 |
| 518 | 0.05 |
| 161 | 0.24 |
| 519 | 0.20 |
| 157/5 | 0.22 |
| 158 | 0.28 |
| 181 | 0.55 |
| 183 | 0.40 |
| 193 | 0.15 |
| 184 | 0.16 |
| 162 | 0.32 |
| 163 | 0.10 |
| 187/2 | 0.11 |
| 182/1 | 0.14 |
| योग . . | <u>4.53</u> |

शासकीय भूमि का विवरण

| | |
|------------|-------------|
| 159 | 0.03 |
| 180 | 0.14 |
| 336 | 0.12 |
| 517 | 0.36 |
| 171 | 0.02 |
| 516 | 0.19 |
| योग . . | <u>0.86</u> |
| महायोग . . | <u>5.36</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

- (ख) तहसील—सैलाना
(ग) ग्राम—कालाखेत
(घ) लगभग क्षेत्रफल —16.23 हेक्टेयर

निजी भूमि का विवरण

| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 40/2 | 0.50 |
| 166 | 0.06 |
| 170 | 0.01 |
| 171 | 0.65 |
| 33 | 0.24 |
| 175 | 0.75 |
| 162 | 0.06 |
| 176 | 0.97 |
| 165 | 0.07 |
| 30 | 0.02 |
| 32 | 0.70 |
| 172 | 1.50 |
| 163 | 0.12 |
| 161 | 0.27 |
| 164 | 0.08 |
| 167 | 0.01 |
| 169 | 0.13 |
| 36 | 0.09 |
| 129 | 0.07 |
| 39 | 0.05 |
| 40/1 | 0.60 |
| 174 | 0.50 |
| 173 | 0.36 |
| योग . . | <u>7.81</u> |

शासकीय भूमि का विवरण

क्र. 5121-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 20-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—रतलाम

| | |
|-----|------|
| 180 | 1.32 |
| 31 | 1.25 |
| 35 | 0.20 |
| 43 | 0.20 |
| 148 | 0.03 |
| 179 | 4.40 |
| 182 | 0.25 |
| 178 | 0.20 |
| 130 | 0.05 |

| | | | |
|---|--------------------|-----------|-------|
| (1) | (2) | (1) | (2) |
| 45 | 0.20 | 54/3 | 0.20 |
| 183 | 0.02 | 60 | 0.90 |
| 181 | 0.30 | 64 | 0.07 |
| | योग . . . 8.42 | 54/1 | 0.80 |
| | महायोग . . . 16.23 | 51/3 | 1.02 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु. | | 56 | 0.15 |
| | | 58 | 0.18 |
| | | 62 | 0.57 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है. | | 55/1 | 0.60 |
| | | 91 | 0.26 |
| | | 50 | 0.02 |
| | | 53 | 0.05 |
| | | 61 | 0.03 |
| | | 54/6 | 0.71 |
| क्र. 5123-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:— | | 51/4/1 | 0.69 |
| | | 80/7 | 0.35 |
| | | योग . . . | 10.86 |

शासकीय भूमि का विवरण

| | |
|--------------|-------|
| 81 | 0.09 |
| 101 | 0.26 |
| 4 | 0.21 |
| 88 | 0.06 |
| 93 | 0.03 |
| 97/1 | 4.89 |
| 100/1 | 7.11 |
| 98 | 1.67 |
| 57/1 | 0.05 |
| योग . . . | 14.37 |
| महायोग . . . | 25.23 |

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) ग्राम—भेड़ली
(घ) लगभग क्षेत्रफल —25.23 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

| | |
|-------------|------------------------|
| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| (1) | (2) |
| 95/3 | 0.70 |
| 55/2 | 0.28 |
| 54/5 | 0.40 |
| 59 | 0.30 |
| 51/2 | 0.15 |
| 92 | 0.55 |
| 66 | 0.05 |
| 65 | 0.28 |
| 57/2 | 0.90 |
| 54/2 | 0.65 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 5125-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 22-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की

धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

(1) (2)

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) ग्राम—गुड़भेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल —15.48 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 108 | 0.36 |
| 110 | 0.05 |
| 126 | 1.05 |
| 111 | 0.22 |
| 112 | 0.90 |
| 114 | 0.01 |
| 127 | 0.60 |
| 125 | 0.84 |
| 134 | 0.17 |
| 135 | 0.16 |
| 177 | 0.47 |
| 136 | 1.47 |
| 142 | 0.77 |
| 143 | 0.10 |
| 144 | 0.02 |
| 145 | 0.96 |
| 170 | 0.73 |
| 171 | 0.22 |
| 174 | 1.37 |
| 178 | 0.20 |
| 212 | 0.07 |
| 180 | 0.18 |
| 182 | 0.15 |
| 183 | 0.20 |
| 179 | 0.20 |
| 184 | 0.02 |
| 185 | 0.85 |
| 211 | 0.18 |
| 193 | 0.01 |
| 186 | 0.10 |
| 162 | 0.21 |
| 190 | 0.13 |

| | |
|-----|------|
| 189 | 0.10 |
| 188 | 0.19 |
| 187 | 0.20 |

योग . . 13.46

शासकीय भूमि का विवरण

| | |
|-----|------|
| 107 | 0.34 |
| 163 | 0.42 |
| 141 | 0.14 |
| 194 | 0.18 |
| 175 | 0.25 |
| 116 | 0.20 |
| 157 | 0.45 |
| 161 | 0.04 |

योग . . 2.02

महायोग . . 15.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 5127-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 23-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) ग्राम—सेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —16.72 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 273/1 | 0.60 |

| | | |
|-------|----------------|--|
| (1) | (2) | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है. |
| 273/2 | 0.62 | |
| 273/3 | 0.01 | |
| 274 | 0.08 | |
| 275 | 0.42 | |
| 276 | 0.37 | |
| 351 | 0.04 | |
| 349 | 0.80 | |
| 352 | 0.38 | |
| 380 | 0.05 | |
| 381 | 0.53 | |
| 379 | 0.80 | |
| 387 | 0.24 | |
| 383 | 1.28 | |
| 384 | 0.33 | |
| 434 | 0.22 | |
| 435 | 0.84 | |
| 431 | 0.73 | |
| 428 | 0.92 | |
| 426 | 0.20 | |
| 427 | 0.09 | |
| 278/3 | 0.01 | |
| | योग . . . 9.56 | |

क्र. 5129-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 24-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
 (ख) तहसील—सैलाना
 (ग) ग्राम—टोरी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल —16.58 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

| | | सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|--|--------------------|-------------|------------------------|
| शासकीय भूमि का विवरण | | (1) | (2) |
| 278/1 | 2.10 | 171 | 0.22 |
| 278 | 0.01 | 52 | 0.66 |
| 386 | 0.12 | 60 | 0.25 |
| 430 | 0.09 | 46 | 0.78 |
| 436 | 0.45 | 56 | 0.72 |
| 325 | 0.34 | 57 | 0.14 |
| 186 | 0.50 | 58 | 0.27 |
| 277 | 0.63 | 48 | 0.38 |
| 280 | 0.03 | 161 | 0.02 |
| 385 | 0.68 | 69 | 0.40 |
| 433 | 0.21 | 157 | 0.42 |
| 355 | 0.26 | 61 | 0.15 |
| 367 | 0.09 | 163 | 1.10 |
| 429 | 0.06 | 155 | 0.02 |
| 409 | 0.09 | 165 | 0.02 |
| 353 | 1.50 | 49 | 0.27 |
| | योग . . . 7.16 | 154 | 0.14 |
| | महायोग . . . 16.73 | 156 | 0.65 |
| | | 162 | 0.41 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु. | | 47 | 0.14 |
| | | 54 | 0.30 |

| | |
|------|-----------------------|
| (1) | (2) |
| 55 | 0.65 |
| 67 | 0.06 |
| 166 | 0.19 |
| 68/5 | 0.07 |
| 51 | 0.12 |
| | योग . . . <u>8.55</u> |

शासकीय भूमि का विवरण

| | |
|-----|---------------------------|
| 50 | 0.40 |
| 141 | 0.21 |
| 164 | 2.98 |
| 59 | 0.20 |
| 70 | 0.18 |
| 1 | 0.16 |
| 153 | 0.08 |
| 29 | 0.28 |
| 158 | 1.22 |
| 45 | 0.32 |
| 53 | 1.90 |
| 44 | 0.10 |
| | योग . . . <u>8.03</u> |
| | महायोग . . . <u>16.58</u> |

(ग) ग्राम—देवडुंगरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —6.40 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 88/3 | 0.11 |
| 88/4 | 0.11 |
| 63 | 0.04 |
| 64 | 0.11 |
| 65 | 0.15 |
| 69 | 0.37 |
| 70 | 0.39 |
| 71 | 0.08 |
| 72 | 0.31 |
| 77 | 0.04 |
| 82 | 0.10 |
| 83 | 0.35 |
| 35 | 0.05 |
| 88/5 | 0.50 |
| 81 | 0.02 |
| 96 | 0.16 |
| 97 | 0.17 |
| 73 | 0.02 |
| 75 | 0.02 |
| 62/1 | 0.02 |
| 88/2 | 0.08 |
| 84 | 0.16 |
| 85 | 0.07 |
| 86 | 0.25 |
| 80 | 0.23 |
| 95 | 0.20 |
| 88/1 | 0.02 |
| 89 | 0.02 |
| 66/1 | 0.26 |
| 68 | 0.09 |
| 60 | 0.50 |
| 66/2 | 0.48 |
| 67 | 0.05 |
| 33 | 0.02 |
| 36 | 0.18 |
| 87 | 0.19 |
| | योग . . . <u>5.92</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 5133-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 25-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|------------------------|----------------------|-------|
| शासकीय भूमि का विवरण | | 37 | 0.18 |
| 149 | 0.09 | 85 | 0.13 |
| 31 | 0.02 | 114 | 0.07 |
| 54 | 0.02 | 115 | 0.38 |
| 78 | 0.08 | 76 | 0.29 |
| 58 | 0.07 | 66 | 0.24 |
| 59 | 0.03 | 87 | 0.42 |
| 37 | 0.08 | 65 | 0.69 |
| 76 | 0.02 | 136 | 0.19 |
| 79 | 0.07 | 56 | 0.13 |
| | योग . . . 0.48 | 57 | 0.10 |
| | महायोग . . . 6.40 | 52 | 0.02 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु, | | 119 | 0.60 |
| | | 36 | 0.30 |
| | | 53 | 0.12 |
| | | 126/1 | 0.40 |
| | | 84 | 0.07 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है. | | 51 | 0.09 |
| | | 116 | 0.28 |
| | | 74 | 0.20 |
| | | 75 | 0.35 |
| | | 77 | 0.10 |
| क्र. 5135-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 26-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:— | | 120 | 0.58 |
| | | 38 | 0.18 |
| | | 64 | 0.15 |
| | | 60 | 0.11 |
| | | 58 | 0.18 |
| | | 118 | 0.39 |
| | | 117 | 0.21 |
| | | 68 | 0.04 |
| | | 55 | 0.06 |
| | | 88 | 0.06 |
| | | योग . . . | 7.85 |
| अनुसूची | | शासकीय भूमि का विवरण | |
| (1) भूमि का विवरण— | | | |
| (क) जिला—रतलाम | | | |
| (ख) तहसील—सैलाना | | | |
| (ग) ग्राम—पिण्डवारा | | 43 | 0.07 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल —10.33 हेक्टेयर. | | 67 | 0.29 |
| | | 73 | 1.36 |
| | | 86 | 0.33 |
| | | 110 | 0.35 |
| | | 49 | 0.02 |
| | | 54 | 0.06 |
| | | योग . . . | 2.48 |
| | | महायोग . . . | 10.33 |
| निजी भूमि का विवरण | | | |
| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | | |
| 63 | 0.52 | | |
| 122 | 0.02 | | |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

| | |
|-----|-------------|
| (1) | (2) |
| 129 | 0.70 |
| 61 | 0.09 |
| | योग . . . |
| | <u>6.27</u> |

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

शासकीय भूमि का विवरण

| | |
|-----|--------------|
| 120 | 0.30 |
| 121 | 0.11 |
| 122 | 0.29 |
| 63 | 0.02 |
| | योग . . . |
| | <u>0.72</u> |
| | महायोग . . . |
| | <u>6.99</u> |

क्र. 5137-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 27-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) ग्राम—बेड़दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —6.99 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 60 | 0.40 |
| 123 | 0.27 |
| 124 | 0.26 |
| 125 | 0.11 |
| 54 | 0.07 |
| 55 | 0.14 |
| 56 | 0.48 |
| 57 | 0.26 |
| 126 | 1.08 |
| 128 | 0.08 |
| 130 | 0.80 |
| 131 | 0.05 |
| 132 | 0.80 |
| 117 | 0.20 |
| 118 | 0.21 |
| 119 | 0.25 |
| 112 | 0.02 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 5139-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 28-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) ग्राम—अलकाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —13.16 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 187 | 0.40 |
| 197/1 | 0.030 |
| 197/2 | 0.85 |

| | |
|---------|-------------|
| (1) | (2) |
| 197/3 | 0.40 |
| 197/4 | 0.18 |
| 197/5 | 0.52 |
| 197/6 | 0.04 |
| 197/7 | 0.78 |
| 189 | 0.44 |
| 191 | 0.04 |
| 190 | 0.77 |
| 232 | 0.33 |
| 234 | 0.52 |
| 327/2 | 0.03 |
| 231 | 2.24 |
| 230 | 0.09 |
| योग . . | <u>7.66</u> |

शासकीय भूमि का विवरण

| | |
|------------|--------------|
| 188 | 0.15 |
| 198 | 0.08 |
| 233 | 0.75 |
| 235 | 0.95 |
| 236 | 0.07 |
| 256 | 0.48 |
| 327/1 | 3.02 |
| योग . . | <u>5.50</u> |
| महायोग . . | <u>13.16</u> |

क्र. 5141-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 29-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) ग्राम—पुनापाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.38 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टर में) |
|-------------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 1 | 0.10 |
| 68 | 0.26 |
| 69 | 0.03 |
| 38 | 0.14 |
| 6 | 0.14 |
| 14 | 0.27 |
| 7 | 0.08 |
| 13 | 0.07 |
| 15 | 0.35 |
| योग . . | <u>1.44</u> |

शासकीय भूमि का विवरण

| | | | |
|-----|--|----|------|
| (2) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु. | 3 | 0.10 |
| (3) | भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है. | 4 | 0.10 |
| | | 5 | 0.11 |
| | | 16 | 0.07 |
| | | 17 | 0.31 |
| | | 67 | 0.19 |

| | |
|------------|-------------|
| (1) | (2) |
| 90 | 0.06 |
| योग . . | <u>0.94</u> |
| महायोग . . | <u>2.38</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 5151-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 41-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—जावरा
(ग) ग्राम—उणी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.17 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 906 | 0.62 |
| 910 | 0.55 |
| योग . . | <u>1.17</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—तम्बोलिया वियर योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जावरा के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 5153-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 42-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—ताल
(ग) ग्राम—कोटड़ी ताल
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.07 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|-------------|------------------------|
| (1) | (2) |
| 510/1/1 | 0.07 |
| योग . . | <u>0.07</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—तम्बोलिया वियर योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आलोट के कार्यालय में किया सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2013

क्र. भू-अर्जन-2013-213-एस.डी.ओ. शाजापुर का प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—गुलाना
(ग) ग्राम—सिमरोल
(घ) क्षेत्रफल—0.387 हेक्टर.

| सर्वे क्रमांक | क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टेयर में) |
|---------------|---|
| (1) | (2) |
| 1912/1 | 0.060 |
| 1914/2/1 | 0.118 |
| 1912/2 | 0.091 |
| 1914/1/2 | 0.037 |
| 1914/2/2 | 0.081 |
| योग . . | <u>0.387</u> |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—सिमरोल तालाब क्रमांक-2 परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पूरक प्रकरण जो अधिग्रहण क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बाबत.
- (3) भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 18 नवम्बर 2013

प्र. क्र. 02-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—श्यामपुर
(घ) क्षेत्रफल—0.435 हेक्टर.

| सर्वे नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------------|---------------------|
| (1) | (2) |
| 900/710/2 में से | 0.074 |
| 710 | 0.008 |
| 719 | 0.034 |
| 721/2 | 0.060 |
| 720/2 | 0.184 |
| 720/1 | 0.037 |
| 703, 704/6 | 0.038 |
| योग . . | <u>0.435</u> |

- (2) भूमि अर्जन का प्रयोजन:—दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बाईं तट नहर की एल.एम.-2 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर

| सर्वे नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|-----------------------|-------------------------------|
| 542/2 में से | 0.009 |
| 543/3 | 0.008 |
| 534/2 | 0.031 |
| 543/2ख | 0.018 |
| 543/2क | 0.004 |
| 543/2ग | 0.012 |
| 534/1 | 0.010 |
| योग . . | 0.092 |

- (2) भूमि अर्जन का प्रयोजन:—दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बाईं तट नहर की एल.एम.-4 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 19 नवम्बर 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-12-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—श्यामपुर
(ग) ग्राम—श्यामपुर
(घ) क्षेत्रफल—0.333 हेक्टेयर.

| सर्वे नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|----------------------------|-------------------------------|
| 747/1 में से | 0.014 |
| 748/3 | 0.023 |
| 747/3 | 0.053 |
| 746, 749, 750, 751/1क/1 | 0.068 |
| 744/1 | 0.073 |
| 744/2 | 0.102 |
| योग . . | 0.333 |

- (2) भूमि अर्जन का प्रयोजन:—दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बाईं तट नहर की एल.एम.-1 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. 677-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 58--अ-82-2012-13—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—खरगोन
(ग) ग्राम—पीपरी
(घ) क्षेत्रफल—130.445 हेक्टेयर.

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि क्षेत्रफल 10.264 हे. पर स्थित परिसंपत्तियां (भूमि को छोड़कर).

| खसरा नंबर (1) | रकबा (हे. में) (2) |
|---------------------|--------------------------|
| 426/2 | 0.070 |
| 430 | 0.593 |
| 431/1 | 0.854 |
| 431/2 | 0.854 |
| 434 | 1.295 |
| 438 | 0.454 |
| 439 | 0.057 |
| 440 | 3.600 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--------|-------|--------|-------|
| 517 | 0.300 | 1118/2 | 0.227 |
| 520 | 0.462 | 1119 | 0.458 |
| 521 | 1.432 | 1120 | 0.482 |
| 522 | 0.053 | 1121 | 0.678 |
| 523 | 0.073 | 1122 | 0.680 |
| 524 | 0.344 | 1123/1 | 0.566 |
| 525 | 0.360 | 1124/1 | 0.234 |
| 526 | 0.198 | 1127 | 0.308 |
| 527 | 0.170 | 1128 | 0.093 |
| 528 | 0.802 | 1129 | 0.486 |
| 529 | 0.384 | 1130 | 0.235 |
| 530 | 0.890 | 1131 | 0.291 |
| 531 | 0.105 | 1132 | 0.364 |
| 532/1 | 0.081 | 1133 | 0.008 |
| 532/2 | 0.117 | 1134 | 0.522 |
| 533 | 0.053 | 1135 | 0.684 |
| 534 | 0.344 | 1136 | 0.012 |
| 535 | 0.417 | 1137 | 0.575 |
| 536 | 0.008 | 1138 | 0.053 |
| 537 | 0.012 | 1139 | 0.243 |
| 538 | 0.218 | 1140 | 0.049 |
| 539 | 0.182 | 1141 | 0.202 |
| 540 | 0.368 | 1142 | 0.158 |
| 541/1 | 0.538 | 1143 | 0.081 |
| 541/2 | 0.383 | 1144 | 0.024 |
| 543 | 2.240 | 1145/1 | 0.284 |
| 544 | 0.676 | 1145/2 | 0.283 |
| 545 | 0.049 | 1146 | 0.259 |
| 546 | 1.335 | 1147 | 0.008 |
| 940 | 0.850 | 1148/1 | 0.295 |
| 943 | 0.555 | 1148/2 | 0.162 |
| 944 | 1.206 | 1148/3 | 0.171 |
| 945/1 | 0.559 | 1149 | 0.462 |
| 945/2 | 0.809 | 1150 | 0.012 |
| 946/2 | 1.915 | 1151 | 0.364 |
| 947 | 0.971 | 1152 | 0.405 |
| 948/1 | 0.149 | 1153 | 3.541 |
| 949/1 | 1.327 | 1154 | 0.097 |
| 1108 | 0.100 | 1155/1 | 0.842 |
| 1109 | 0.024 | 1155/2 | 0.558 |
| 1110 | 0.202 | 1156 | 0.344 |
| 1111 | 1.404 | 1157 | 0.400 |
| 1117 | 0.100 | 1158 | 1.481 |
| 1118/1 | 0.227 | 1160 | 0.121 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--------|-------|--------|-------|
| 1161 | 0.660 | 1208 | 0.121 |
| 1162 | 0.405 | 1209 | 0.425 |
| 1163 | 0.356 | 1210 | 0.392 |
| 1164/1 | 0.368 | 1211 | 0.793 |
| 1164/2 | 0.369 | 1212 | 0.219 |
| 1168 | 0.959 | 1213 | 2.104 |
| 1169 | 0.283 | 1214/1 | 0.400 |
| 1170/1 | 1.667 | 1214/2 | 0.024 |
| 1170/2 | 1.072 | 1214/3 | 0.405 |
| 1170/3 | 0.911 | 1215 | 0.049 |
| 1171/1 | 0.688 | 1216 | 0.526 |
| 1171/2 | 0.558 | 1217 | 0.607 |
| 1172 | 0.458 | 1218 | 0.040 |
| 1173 | 1.052 | 1219 | 0.611 |
| 1174 | 0.368 | 1220 | 0.057 |
| 1175 | 0.057 | 1221 | 0.287 |
| 1176 | 0.275 | 1222 | 0.405 |
| 1177 | 0.466 | 1223 | 0.433 |
| 1178 | 0.445 | 1224 | 0.841 |
| 1179 | 0.458 | 1225 | 1.879 |
| 1180 | 0.352 | 1226 | 1.052 |
| 1181 | 1.404 | 1227 | 0.708 |
| 1182 | 0.486 | 1228 | 0.510 |
| 1183 | 2.145 | 1229 | 0.332 |
| 1184 | 0.413 | 1230 | 0.129 |
| 1185 | 1.376 | 1231 | 0.433 |
| 1187 | 0.143 | 1232 | 0.636 |
| 1188 | 0.121 | 1234/1 | 1.230 |
| 1189 | 1.238 | 1234/2 | 1.011 |
| 1190 | 0.020 | 1235 | 0.809 |
| 1191 | 0.133 | 1236 | 1.594 |
| 1192 | 0.692 | 1238 | 0.320 |
| 1193 | 0.498 | 1239 | 0.500 |
| 1194 | 0.109 | 1256 | 0.777 |
| 1195 | 0.117 | 1261 | 0.020 |
| 1196 | 0.322 | 1263 | 0.085 |
| 1197 | 0.202 | 1264 | 0.220 |
| 1198 | 0.081 | 1266 | 0.933 |
| 1199 | 0.040 | 1270 | 0.534 |
| 1200 | 0.101 | 1272 | 0.697 |
| 1201 | 0.405 | 1273 | 1.174 |
| 1202 | 0.946 | 1274 | 1.169 |
| 1203 | 0.672 | 1275/1 | 1.315 |
| 1204/1 | 0.291 | 1275/2 | 1.315 |
| 1204/2 | 0.247 | 1276 | 1.505 |
| 1205 | 0.947 | 1277 | 1.189 |
| 1206 | 0.858 | 1278/1 | 1.514 |
| 1207 | 0.032 | 1278/2 | 1.517 |

| | |
|--------|-------|
| (1) | (2) |
| 1278/3 | 1.517 |
| 1279/1 | 1.018 |
| 1279/2 | 1.012 |
| 1279/3 | 1.968 |
| 1280 | 2.322 |
| 1281 | 0.231 |
| 1282 | 0.243 |
| 1283 | 0.291 |
| 1284 | 1.368 |
| 1286/1 | 1.324 |
| 1286/2 | 1.324 |
| 1288/1 | 1.234 |
| 1288/2 | 1.214 |
| 1288/3 | 1.132 |
| 1294 | 2.144 |
| 1295 | 1.338 |
| 1296/1 | 0.365 |
| 1296/2 | 0.450 |
| 1299 | 0.180 |
| 1302/1 | 0.400 |
| 1302/2 | 0.687 |

कुल योग . . 130.445

**1-शासकीय भूमि ना. का. चर. पर स्थित परिसम्पत्तियां
(भूमि को छोड़कर)**

| खसरा नम्बर | कुल रकबा (हे. में.) | परिसम्पत्तियों का विवरण |
|------------|------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 952/1 | 0.276 | पक्के मकान-4 कच्चे मकान-9 पक्का बाथरूम-1 पक्की दिवार-3 |

योग . . 0.276

**2-शासकीय भूमि ना. का. चर. पर स्थित परिसम्पत्तियां
(भूमि को छोड़कर)**

| खसरा नम्बर | कुल रकबा (हे. में.) | परिसम्पत्तियों का विवरण |
|------------|------------------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1186 | 6.600 | तार फेन्सिंग एवं |
| 1265 | 3.388 | प्लानटेशन |

योग . . 9.988

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बेलेन्सिंग रिजर्ववायर-3, राईजिंग मेन-4 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 679-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 59-अ-82-2012-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—गोगावा
(ग) ग्राम—टेमरना
(घ) क्षेत्रफल—4.260 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | रकबा (हे. में) |
|--------------|-------------------|
| (1) | (2) |
| 219/1/1 | 0.030 |
| 219/2/2 | 0.100 |
| 219/2/3 | 0.120 |
| 219/3/1 | 0.010 |
| 219/3/2 | 0.180 |
| 232/2 | 0.080 |
| 233/1 | 0.060 |
| 233/2 | 0.120 |
| 233/3 | 0.120 |
| 233/4 | 0.100 |
| 233/5 | 0.080 |
| 243/1/2 | 0.080 |
| 243/2 | 0.030 |
| 243/4 | 0.190 |
| 248/1/1 | 0.040 |
| 251/1 | 0.030 |
| 251/2/1 | 0.130 |
| 251/2/2 | 0.010 |
| 251/4/1 | 0.080 |
| 251/5 | 0.220 |
| 252 | 0.280 |
| 263 | 0.600 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------------|--------------|--------|-------|
| 235/2 | 0.230 | 14/3/3 | 0.100 |
| 235/3 | 0.020 | 14/3/4 | 0.100 |
| 236/2 | 0.230 | 15/1 | 0.030 |
| 236/3 | 0.030 | 16/4 | 0.240 |
| 237 | 0.060 | 18 | 0.260 |
| 242/1 | 0.110 | 21/1/1 | 0.100 |
| 242/2 | 0.180 | 21/1/2 | 0.100 |
| 243/1/1 | 0.090 | 21/1/4 | 0.130 |
| 264/1 | 0.090 | 22/1 | 0.080 |
| 264/2/1 | 0.040 | 22/2 | 0.130 |
| 264/2/2 | 0.040 | 26/2 | 0.130 |
| 264/3 | 0.130 | 26/3/3 | 0.130 |
| 264/7 | 0.020 | 30/2 | 0.250 |
| 269/1 | 0.290 | 33/1 | 0.260 |
| 269/2 | 0.010 | 33/3 | 0.150 |
| कुल योग. . | <u>4.260</u> | 33/5 | 0.080 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी में-1 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 680-भू-अर्जन-2013-60-अ-82-2012-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—गोगांवा
(ग) ग्राम—मेनगांवखुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.450 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | रकबा (हे. में) |
|-----------|----------------|
| (1) | (2) |
| 14/3/1 | 0.170 |
| 14/3/2 | 0.150 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी में-2 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 678-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 61-अ-82-2012-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—गोगांवा

- (ग) ग्राम—पिपलई
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—38.382 हेक्टेयर.
 निजी भूमि एवं शासकीय भूमि क्षेत्रफल 0.664 हे.
 पर स्थित परिसंपत्तियां (भूमि को छोड़कर).

| | |
|-------------|---------------|
| (1) | (2) |
| 142/2/2 | 0.870 |
| 222/39 | 1.701 |
| कुल योग . . | <u>38.382</u> |

| खसरा नंबर | रकबा (हे. में) |
|--------------|-------------------|
| (1) | (2) |
| 17/1 | 0.010 |
| 17/2 | 0.218 |
| 33/1/2 | 0.583 |
| 33/2 | 0.891 |
| 33/3 | 0.457 |
| 34/1/1 | 0.866 |
| 34/1/2 | 1.647 |
| 34/2 | 2.514 |
| 35/2/2 | 0.642 |
| 35/3 | 1.202 |
| 35/4/1 | 1.194 |
| 40/2 | 1.619 |
| 41/1 | 2.266 |
| 41/2/1 | 0.214 |
| 41/2/2 | 0.211 |
| 41/2/3 | 0.526 |
| 46 | 0.090 |
| 51/1/3 | 0.110 |
| 51/1/4 | 0.460 |
| 51/2 | 0.010 |
| 54 | 0.150 |
| 57/2 | 0.120 |
| 35/4/2 | 0.740 |
| 35/5 | 1.202 |
| 35/6 | 1.214 |
| 36/1 | 0.930 |
| 36/2/1 | 0.479 |
| 36/2/2 | 0.473 |
| 37 | 0.930 |
| 38/2 | 1.140 |
| 40/1/1/2 | 1.935 |
| 40/1/2/1 | 1.000 |
| 40/1/2/2 | 1.003 |
| 40/1/3 | 0.793 |
| 57/3 | 0.150 |
| 60/1 | 0.040 |
| 138/1 | 1.461 |
| 138/2 | 1.461 |
| 139 | 1.141 |
| 141 | 1.100 |
| 142/1 | 1.745 |
| 142/2/1 | 0.874 |

**शासकीय भूमि ना. का. चर. पर स्थित परिसम्पत्तियां
(भूमि को छोड़कर)**

| खसरा नम्बर | रकबा (हे. में.) | परिसम्पत्तियां |
|------------|--------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 39 | 0.664 | हेण्डपंप-1 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बैलेन्सिंग रिजर्ववायर-02, ग्रेविटी मेन-1 हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 676-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 62-अ-82-2012-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
 (ख) तहसील—गोगांवा
 (ग) ग्राम—दसनावल
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—123.390 हेक्टेयर.
 निजी भूमि एवं शासकीय भूमि क्षेत्रफल 4.424 हे. पर स्थित परिसंपत्तियां (भूमि को छोड़कर).

| खसरा नंबर | रकबा (हे. में) |
|--------------|-------------------|
| (1) | (2) |
| 583/1/1/2 | 0.300 |
| 583/1/1/3 | 0.350 |
| 583/1/1/4 | 0.350 |
| 583/1/2 | 0.910 |
| 583/2 | 0.200 |
| 596/1 | 2.428 |
| 596/2 | 2.691 |
| 596/3 | 2.428 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-----------|-------|--|---|
| 596/4 | 2.024 | 622/2 | 2.631 |
| 597/1 | 0.538 | 623/1 | 2.195 |
| 597/2 | 4.856 | 623/2 | 1.416 |
| 597/3 | 1.947 | 627/2/3 | 0.232 |
| 597/4/1 | 1.619 | 627/3 | 0.607 |
| 597/4/2/1 | 1.618 | 629 | 1.113 |
| 597/4/2/2 | 1.619 | 630 | 2.898 |
| 597/5 | 1.619 | 631/1 | 0.283 |
| 623/3 | 1.962 | 631/2 | 0.050 |
| 624/1 | 1.343 | 631/3 | 0.364 |
| 624/2 | 2.396 | 631/4 | 0.486 |
| 624/3/1 | 1.032 | 631/5 | 0.405 |
| 624/3/2 | 0.971 | 631/6 | 1.052 |
| 624/4 | 2.881 | 641/5 | 0.050 |
| 624/5/1 | 0.448 | 642/1 | 0.800 |
| 624/5/2 | 0.448 | 644/1/1 | 0.567 |
| 624/5/3 | 0.447 | 644/2/1 | 0.049 |
| 625/1 | 0.825 | 644/3/1 | 0.546 |
| 625/2 | 1.619 | 644/4/1 | 0.680 |
| 625/3 | 1.619 | 644/5/1 | 0.668 |
| 626/1 | 0.405 | 645/1 | 0.870 |
| 627/1/1 | 0.020 | 645/3 | 2.450 |
| 627/1/3 | 1.885 | 647/1 | 1.518 |
| 627/2/1 | 0.282 | 647/3 | 2.764 |
| 597/6 | 1.324 | 648/1 | 3.473 |
| 597/7 | 1.170 | 649 | 1.923 |
| 597/8 | 1.120 | 652/1 | 0.728 |
| 597/9 | 1.120 | 652/2 | 1.290 |
| 597/10 | 1.619 | 652/3 | 1.290 |
| 598/1 | 2.023 | 652/4 | 1.290 |
| 598/2 | 1.024 | 653/2/2 | 0.200 |
| 599 | 9.037 | 662/1 | 3.318 |
| 600/1क | 3.036 | | |
| 600/1ख | 1.623 | | |
| 600/2 | 0.910 | | |
| 600/3 | 2.225 | | |
| 600/4 | 1.213 | | |
| 600/5/1 | 0.304 | | |
| 600/5/2 | 0.304 | | |
| 600/5/3 | 0.303 | | |
| 600/6 | 1.012 | | |
| 601 | 1.133 | | |
| 617/2क | 0.809 | | |
| 617/2ख | 1.883 | | |
| 617/3 | 2.023 | | |
| 619 | 2.347 | | |
| 620 | 1.437 | | |
| 621/1 | 0.405 | | |
| 622/1/1 | 0.566 | | |
| 622/1/2 | 0.567 | | |
| 622/1/3 | 0.567 | | |
| | | कुल योग . . | <u>123.390</u> |
| | | शासकीय भूमि नि. चर. पर स्थित परिसम्पत्तियां | |
| | | (भूमि को छोड़कर) | |
| | | खसरा नम्बर | परिसम्पत्तियों का |
| | | | विवरण |
| | | (1) | (2) |
| | | 626/2 | पक्के मकान-2 कच्चे मकान-9 |
| | | योग . . | <u>4.424</u> <u>11</u> |
| | | (2) | सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बैलेन्सिंग रिजर्ववायर-2 हेतु, |
| | | (3) | भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

| | | |
|---|--------|-------|
| कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग | (1) | (2) |
| | 595 | 1.33 |
| | 598/1 | 0.06 |
| सिंगरौली, दिनांक 30 नवम्बर, 2013 | 598/2 | 0.10 |
| | 599 | 0.11 |
| क्र.-2940-भू.-अर्जन-2013.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :— | 600 | 0.20 |
| | 638 | 0.06 |
| | 642 | 0.51 |
| | 643 | 0.35 |
| | 641 | 0.07 |
| | 644 | 0.41 |
| | 645 | 0.29 |
| | 646 | 0.15 |
| अनुसूची | 647 | 0.06 |
| | 658 | 0.10 |
| (1) भूमि का वर्णन— | 657 | 0.15 |
| (क) जिला—सिंगरौली | 665 | 0.04 |
| (ख) तहसील—सरई | 690 | 0.40 |
| (ग) ग्राम का नाम—कटई, प.ह.10 | 692 | 0.34 |
| (घ) कुल क्षेत्रफल—16.89 हेक्टर. | 695 | 0.30 |
| | 699 | 0.04 |
| | 780 | 0.31 |
| खसरा नंबर | 783 | 0.32 |
| भू अर्जन हेतु आवेदित क्षेत्र (हेक्टर में) | 785 | 0.36 |
| (1) | 828 | 0.18 |
| 452 | 826 | 0.08 |
| 566 | 830 | 0.07 |
| 564 | 824 | 0.05 |
| 568 | 836 | 0.05 |
| 579/1 | 838 | 0.06 |
| 579/2 | 839 | 0.06 |
| 572 | 841 | 0.11 |
| 571 | 842 | 0.05 |
| 570 | 843 | 0.07 |
| 573 | 848 | 0.17 |
| 576/1 | 847 | 0.08 |
| 576/2 | 849 | 0.06 |
| 576/3 | 850 | 0.04 |
| 576/4 | 2640/1 | 0.02 |
| 576/5 | 2640/2 | 0.02 |
| 576/6 | 2642 | 0.28 |
| 582/1 | 2643 | 0.10 |
| 582/2 | 2644 | 0.40 |
| 587/1 | 2646 | 0.20 |
| 583 | 2648 | 0.25 |
| | 2649 | 0.25 |
| | योग | 16.89 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बैराज निर्माण से डूब प्रभावित क्षेत्र हेतु भू-अर्जन .
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 2 दिसम्बर 2013

क्र.-684-भू.-अर्जन-2013-प्र.क्र.-1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम का नाम—जामन्या,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.809 हेक्टर.

| खसरा नंबर | रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 107 | 2.000 |
| 108 | 0.162 |
| 111 | 0.077 |
| 109 | 0.344 |
| 110 | 0.202 |
| 112 | 0.308 |
| 114 | 0.688 |
| 115 | 1.396 |
| 106 | 0.892 |
| 105 | 0.030 |
| 104 | 0.270 |
| 116 | 1.995 |
| 117 | 0.445 |
| योग | 8.809 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मथियानाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता .
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र.-683-भू.-अर्जन-2013-प्र.क.-2-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम का नाम—टेमरनी,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.962 हेक्टर.

| खसरा नंबर | रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 394 | 0.162 |
| 399 | 0.243 |
| 401/2 | 1.687 |
| 401/1 | 1.619 |
| 400/1 | 0.405 |
| 400/2 | 0.405 |
| 406/1 | 0.360 |
| 405 | 0.081 |
| योग | 4.962 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मथियानाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता .
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र.-685-भू.-अर्जन-2013-प्र.क्र.-3-अ-82-2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम का नाम—सुर्वा,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.220 हेक्टर.

| खसरा नंबर | रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 171 | 0.056 |
| 185/2 | 0.850 |
| 172/5 | 0.316 |
| 178 | 0.697 |
| 172/4 | 0.160 |
| 175 | 1.133 |
| 176 | 0.539 |
| 173 | 1.698 |
| 177 | 1.323 |
| 181 | 1.684 |
| 186 | 0.056 |
| 187 | 0.222 |
| 180 | 0.286 |
| 200/3 | 0.284 |
| 184 | 0.425 |
| 185/1 | 0.170 |
| 172/2 | 0.050 |
| 182 | 0.023 |
| 199 | 0.632 |
| 200/1 | 0.931 |
| 200/2 | 1.703 |
| 201 | 0.750 |
| 202 | 0.160 |
| 200/4 | 0.072 |
| योग | 14.220 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सुर्वा तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता .

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र.-686-भू.-अर्जन-2013-प्र.क्र.-4-अ-82-2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम का नाम—भोकरिया,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.715 हेक्टर.

| खसरा नंबर | रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|----------------------|
| (1) | (2) |
| 17/1 | 2.131 |
| 17/2 | 2.354 |
| 17/3 | 1.462 |
| 19 | 1.712 |
| 21 | 1.968 |
| 23 | 0.518 |
| 24 | 1.850 |
| 25 | 0.640 |
| 29/2 | 0.080 |
| योग | 12.715 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सुर्वा तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता .
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2013

क्र-6-अ.82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) नगर / ग्राम—गहरवार,
(घ) लगभग क्षे. निजी भूमि—60.000 हेक्टर.

खसरा नंबर अर्जित रकबा
(हेक्टर में)

| (1) | (2) |
|--------|-------|
| 3778 | 0.050 |
| 3847 | 1.340 |
| 3849 | 2.870 |
| 3850 | 1.500 |
| 3780 | 0.670 |
| 3782 | 0.390 |
| 3783 | 0.670 |
| 3785 | 1.100 |
| 3786 | 0.980 |
| 3787 | 0.360 |
| 3789 | 1.740 |
| 3791 | 0.840 |
| 3792/2 | 1.500 |
| 3793 | 1.300 |
| 3794 | 1.570 |
| 3795 | 1.500 |
| 3796 | 1.020 |
| 3797 | 0.430 |
| 3798 | 1.180 |
| 3799 | 0.380 |
| 3800 | 0.370 |
| 3801 | 2.940 |
| 3802 | 0.410 |

| (1) | (2) |
|--------|------------|
| 3803 | 0.650 |
| 3805 | 0.180 |
| 3806 | 1.170 |
| 3807 | 0.670 |
| 3816 | 0.870 |
| 3808 | 1.090 |
| 3809 | 0.540 |
| 3810 | 1.280 |
| 3811 | 1.180 |
| 3812 | 0.590 |
| 3814 | 0.550 |
| 3813 | 2.230 |
| 3815 | 0.810 |
| 3824/1 | 0.243 |
| 3829/1 | 0.080 |
| 3824/2 | 0.243 |
| 3829/2 | 0.080 |
| 3824/3 | 0.244 |
| 3829/3 | 0.080 |
| 3825 | 0.940 |
| 3854 | 0.370 |
| 3826 | 1.180 |
| 3827 | 0.880 |
| 3828 | 1.160 |
| 3831 | 2.250 |
| 3832 | 1.420 |
| 3833 | 1.840 |
| 3834 | 0.410 |
| 3835 | 2.830 |
| 3838 | 2.660 |
| 3839 | 1.200 |
| 3774 | 0.300 |
| 3778 | 0.050 |
| 3875 | 0.580 |
| 3818 | 2.020 |
| 3819 | 2.020 |
| | योग 60.000 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तड़पेड बांध योजना के भराव हेतु .

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 6-अ 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—घुवारा
(ग) नगर/ग्राम—कुडैला,
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—15.176 हेक्टर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|-----------------------------|
| (1) | (2) |

| | |
|--------|-------|
| 3 | 0.995 |
| 4 | 1.246 |
| 5/1 | 0.100 |
| 5/2 | 0.029 |
| 6/1 | 0.607 |
| 6/2 | 0.242 |
| 7/1 | 0.172 |
| 7/2 | 0.172 |
| 8 | 0.040 |
| 9 | 0.229 |
| 10 | 0.089 |
| 11 | 0.283 |
| 12 | 0.223 |
| 13 | 0.061 |
| 14 | 0.299 |
| 15/1 | 0.405 |
| 15/2/1 | 0.262 |
| 15/2/2 | 0.263 |
| 16/1 | 0.346 |
| 16/2 | 0.196 |
| 17 | 0.242 |
| 18 | 0.680 |
| 19/1 | 0.109 |
| 19/2 | 0.109 |
| 20/1 | 0.130 |
| 21/1/1 | 0.114 |
| 21/1/2 | 0.114 |

| | |
|--------|-------|
| (1) | (2) |
| 21/2 | 0.726 |
| 22 | 0.304 |
| 23 | 0.454 |
| 24 | 0.020 |
| 25 | 0.882 |
| 26 | 0.105 |
| 27 | 0.105 |
| 29/4/1 | 0.280 |
| 29/4/2 | 0.441 |
| 33/1/2 | 0.635 |
| 87 | 0.358 |
| 89 | 0.210 |
| 91/1 | 0.307 |
| 94 | 1.218 |
| 95 | 0.925 |
| 96 | 0.125 |
| 98/2 | 0.324 |

योग . . . 15.176

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 7-अ 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—घुवारा
(ग) नगर/ग्राम—सोरखी,
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—373.353 हेक्टर.

| खसरा नंबर (1) | अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) | (1) | (2) |
|------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 92 | 0.324 |
| | | 95 | 1.129 |
| | | 97 | 1.234 |
| 2 | 0.915 | 99/3 | 0.105 |
| 3 | 0.040 | 101/1 | 0.425 |
| 7 | 0.741 | 101/2 | 0.175 |
| 9 | 0.656 | 101/3 | 0.176 |
| 11 | 0.898 | 103 | 1.562 |
| 12 | 0.178 | 104 | 0.809 |
| 13 | 1.242 | 107 | 0.640 |
| 17 | 0.372 | 108 | 0.526 |
| 27 | 0.237 | 110 | 1.299 |
| 31 | 0.636 | 111 | 0.080 |
| 35 | 0.372 | 116 | 0.773 |
| 36 | 0.628 | 119 | 1.558 |
| 37 | 0.640 | 121 | 0.214 |
| 38 | 0.474 | 122 | 0.101 |
| 39 | 0.433 | 123 | 0.498 |
| 40 | 0.251 | 126 | 1.781 |
| 41 | 0.595 | 128 | 1.214 |
| 44 | 0.312 | 129 | 0.077 |
| 45/1 | 0.456 | 131 | 1.258 |
| 46 | 0.069 | 132 | 1.594 |
| 47 | 1.445 | 133/1 | 0.338 |
| 49 | 0.676 | 133/2 | 0.168 |
| 50 | 0.433 | 133/3 | 0.169 |
| 51 | 0.190 | 134 | 0.469 |
| 62 | 0.150 | 136 | 1.546 |
| 64/1 | 0.266 | 137/1 | 0.202 |
| 68 | 0.057 | 137/2 | 0.278 |
| 69 | 0.494 | 137/3 | 0.275 |
| 70 | 0.543 | 138/1 | 0.391 |
| 72 | 0.121 | 138/2 | 0.196 |
| 74 | 0.081 | 138/3 | 0.196 |
| 75 | 0.040 | 139 | 0.567 |
| 79 | 1.180 | 140 | 1.104 |
| 83/1 | 0.300 | 141 | 1.161 |
| 83/2 | 0.594 | 142 | 1.015 |
| 84 | 0.470 | 143 | 1.011 |
| 85 | 1.032 | 144 | 1.356 |
| 86 | 1.279 | 148 | 1.578 |
| 87 | 0.202 | 150 | 0.951 |
| 90/1 | 1.285 | 151 | 1.303 |
| 90/2 | 1.285 | 152 | 0.198 |
| 91 | 0.660 | | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 154 | 1.497 | 210 | 0.368 |
| 160 | 0.364 | 212 | 0.045 |
| 161/1 | 0.898 | 213 | 0.154 |
| 161/2 | 0.899 | 214 | 0.170 |
| 163/1 | 0.300 | 215 | 0.049 |
| 163/2 | 0.897 | 216 | 0.032 |
| 165 | 0.283 | 217 | 0.117 |
| 168 | 0.910 | 218 | 0.089 |
| 169 | 0.413 | 219 | 0.194 |
| 171 | 0.150 | 220 | 0.344 |
| 172 | 0.150 | 222 | 0.009 |
| 173 | 0.466 | 223 | 0.040 |
| 174 | 0.595 | 224 | 0.040 |
| 176 | 0.910 | 225 | 0.295 |
| 178/1 | 0.526 | 226 | 0.243 |
| 178/2 | 0.530 | 227 | 0.510 |
| 179 | 0.526 | 228 | 0.028 |
| 180 | 0.283 | 229 | 0.081 |
| 181 | 0.170 | 230 | 0.014 |
| 182 | 0.142 | 231 | 0.336 |
| 183 | 0.364 | 232 | 0.210 |
| 184 | 0.040 | 235 | 0.210 |
| 185 | 0.061 | 236 | 0.947 |
| 186 | 0.105 | 237 | 0.036 |
| 188/1 | 0.203 | 238 | 0.300 |
| 188/2 | 0.202 | 239 | 0.600 |
| 192 | 0.247 | 242 | 0.400 |
| 193/1 | 0.041 | 262 | 0.093 |
| 193/2 | 0.076 | 263 | 0.121 |
| 194 | 0.129 | 268 | 0.073 |
| 195 | 0.235 | 269 | 0.040 |
| 196 | 0.255 | 270/1 | 0.013 |
| 197 | 0.850 | 270/2 | 0.015 |
| 198 | 0.101 | 271 | 0.170 |
| 199 | 0.170 | 272 | 0.129 |
| 200 | 0.368 | 273 | 0.202 |
| 201 | 0.182 | 274 | 0.251 |
| 202 | 0.154 | 275 | 0.190 |
| 203 | 0.073 | 276 | 0.567 |
| 204 | 0.696 | 277 | 0.032 |
| 205 | 0.926 | 278 | 0.352 |
| 206 | 0.932 | 279 | 0.176 |
| 207 | 0.975 | 279/2 | 0.352 |
| 208 | 0.190 | 279/3 | 0.117 |
| 209 | 0.259 | 280 | 0.235 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 281 | 0.028 | 329 | 0.275 |
| 282/1 | 0.219 | 330 | 0.194 |
| 282/2 | 0.073 | 331 | 0.129 |
| 283/3 | 0.073 | 333 | 0.076 |
| 283 | 0.214 | 335 | 0.174 |
| 284 | 0.656 | 336 | 0.109 |
| 285 | 0.210 | 339 | 0.906 |
| 286 | 0.162 | 342 | 0.494 |
| 287 | 0.162 | 343 | 0.619 |
| 288 | 0.089 | 344 | 0.008 |
| 289 | 0.089 | 345 | 0.526 |
| 290 | 0.073 | 347 | 0.934 |
| 291 | 0.182 | 348 | 0.304 |
| 292 | 0.012 | 350 | 0.283 |
| 293 | 0.243 | 351 | 1.360 |
| 294 | 0.069 | 352 | 0.105 |
| 295 | 0.069 | 353 | 0.101 |
| 296 | 0.049 | 354 | 0.008 |
| 297 | 0.028 | 355 | 0.425 |
| 298 | 0.429 | 358 | 1.007 |
| 299 | 0.077 | 359 | 0.772 |
| 300 | 0.040 | 360 | 0.040 |
| 301 | 0.295 | 361 | 0.040 |
| 302 | 0.518 | 362 | 0.134 |
| 303 | 0.105 | 363 | 0.134 |
| 304 | 0.057 | 364 | 0.162 |
| 306 | 0.202 | 365 | 0.134 |
| 307 | 0.235 | 366 | 0.154 |
| 308 | 0.036 | 367 | 0.251 |
| 309 | 0.336 | 368 | 0.040 |
| 310 | 0.028 | 371 | 0.202 |
| 311 | 0.049 | 372 | 2.481 |
| 312 | 0.101 | 373 | 0.085 |
| 313 | 0.125 | 374 | 0.210 |
| 314 | 0.231 | 375 | 0.129 |
| 315 | 0.360 | 379/1 | 0.010 |
| 316/1 | 1.772 | 379/2 | 0.010 |
| 319 | 0.858 | 380/1 | 1.073 |
| 321 | 0.648 | 380/2 | 1.282 |
| 323 | 0.275 | 381 | 0.458 |
| 324 | 0.202 | 382 | 0.737 |
| 325 | 0.781 | 383 | 0.575 |
| 326 | 0.563 | 384 | 0.121 |
| 328 | 0.789 | 385 | 0.057 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|-------|-------|-------|
| 386 | 0.081 | 436 | 0.781 |
| 387 | 0.105 | 438 | 0.344 |
| 388 | 0.020 | 439 | 0.170 |
| 389 | 0.202 | 440 | 0.364 |
| 390 | 0.162 | 441 | 0.526 |
| 391 | 0.648 | 442 | 1.032 |
| 392 | 0.283 | 443 | 0.817 |
| 393 | 0.032 | 459 | 0.628 |
| 394 | 0.121 | 460 | 0.575 |
| 395 | 0.085 | 466/1 | 0.273 |
| 396 | 0.214 | 466/3 | 0.273 |
| 397 | 1.092 | 466/4 | 0.273 |
| 398/1 | 0.963 | 468/1 | 0.437 |
| 398/2 | 0.910 | 468/2 | 0.729 |
| 399 | 1.574 | 501 | 0.380 |
| 400/1/2 | 0.388 | 503 | 0.138 |
| 400/2 | 0.809 | 519 | 1.931 |
| 400/2/2 | 0.270 | 520 | 2.387 |
| 401 | 0.283 | 537 | 0.300 |
| 404/1 | 0.716 | 541 | 0.587 |
| 404/2 | 0.717 | 542 | 0.397 |
| 405/1 | 1.100 | 543 | 0.515 |
| 405/2 | 1.129 | 547 | 0.887 |
| 406 | 1.400 | 603 | 0.450 |
| 408 | 0.202 | 616 | 0.243 |
| 410 | 0.684 | 617 | 0.312 |
| 412 | 0.514 | 618 | 0.750 |
| 413 | 1.214 | 620 | 0.250 |
| 414/2 | 0.200 | 624 | 0.575 |
| 415 | 0.040 | 625 | 0.100 |
| 416 | 0.364 | 626 | 0.409 |
| 418 | 0.829 | 627 | 0.575 |
| 419 | 0.384 | 628 | 1.100 |
| 420 | 0.930 | 632/2 | 1.151 |
| 421 | 0.089 | 633/2 | 0.101 |
| 423 | 0.405 | 634/2 | 0.178 |
| 425 | 0.148 | 635 | 0.053 |
| 426 | 0.231 | 639 | 2.200 |
| 427 | 0.567 | 640 | 0.350 |
| 428 | 0.200 | 642 | 0.563 |
| 430 | 0.405 | 643 | 0.348 |
| 432 | 2.800 | 644 | 0.263 |
| 434 | 0.486 | 647 | 0.020 |
| 435 | 0.955 | 648/1 | 0.470 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 649 | 0.186 | 695 | 0.077 |
| 654 | 0.162 | 696 | 0.599 |
| 655 | 0.421 | 697 | 0.061 |
| 656 | 0.081 | 700 | 0.040 |
| 657 | 0.061 | 701 | 0.121 |
| 658 | 0.223 | 702 | 0.121 |
| 659 | 0.223 | 703 | 1.457 |
| 660 | 0.425 | 704 | 0.121 |
| 661 | 0.024 | 705 | 0.466 |
| 662 | 0.336 | 706 | 0.441 |
| 663 | 0.129 | 707 | 0.227 |
| 664 | 0.049 | 708 | 0.117 |
| 665 | 0.032 | 709 | 0.660 |
| 666 | 0.040 | 716 | 0.800 |
| 667 | 0.332 | 718 | 1.000 |
| 668 | 0.024 | 719 | 0.450 |
| 669 | 0.162 | 720 | 0.093 |
| 670 | 0.364 | 722 | 0.500 |
| 671 | 0.429 | 737 | 0.110 |
| 672 | 0.263 | 738 | 0.162 |
| 673/1 | 1.491 | 739 | 0.405 |
| 673/2 | 2.836 | 740 | 0.040 |
| 673/3 | 3.230 | 741 | 0.417 |
| 673/4 | 1.493 | 742 | 0.372 |
| 674 | 0.105 | 743 | 0.140 |
| 675 | 0.109 | 744 | 0.214 |
| 676 | 0.081 | 745 | 0.360 |
| 677 | 0.388 | 746 | 0.113 |
| 678 | 0.833 | 747 | 0.364 |
| 679 | 0.081 | 748 | 0.219 |
| 680 | 0.121 | 749 | 0.040 |
| 681 | 0.170 | 752 | 0.129 |
| 682 | 0.263 | 753 | 0.263 |
| 683 | 0.170 | 754 | 0.259 |
| 685 | 0.040 | 755 | 0.648 |
| 686 | 0.194 | 756 | 0.113 |
| 687 | 0.069 | 759 | 0.061 |
| 688 | 0.057 | 761 | 0.061 |
| 689 | 0.032 | 763 | 0.259 |
| 690 | 0.526 | 764 | 0.138 |
| 691 | 0.008 | 765/1 | 0.257 |
| 692 | 0.040 | 765/2 | 0.257 |
| 693 | 0.202 | 766/1 | 0.091 |
| 694 | 0.049 | 767 | 0.012 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-----|-------|
| 768 | 0.065 | 876 | 0.279 |
| 769 | 0.008 | 878 | 0.312 |
| 770 | 0.081 | 879 | 0.210 |
| 771 | 0.057 | 881 | 0.316 |
| 772 | 0.049 | 882 | 0.028 |
| 773/1 | 0.023 | 884 | 0.040 |
| 773/2 | 0.023 | 885 | 0.316 |
| 773/3 | 0.021 | 886 | 0.214 |
| 773/4 | 0.024 | 887 | 0.121 |
| 834 | 0.200 | 889 | 0.024 |
| 839 | 0.223 | 890 | 0.785 |
| 840 | 0.028 | 893 | 0.182 |
| 841 | 0.125 | 894 | 0.425 |
| 842 | 0.657 | 895 | 0.384 |
| 847 | 0.049 | 896 | 0.384 |
| 848 | 0.057 | 897 | 0.162 |
| 849 | 0.020 | 898 | 0.926 |
| 851 | 0.433 | 899 | 0.016 |
| 852/1 | 0.073 | 900 | 0.543 |
| 852/2 | 0.024 | 902 | 0.522 |
| 852/3 | 0.025 | 903 | 0.040 |
| 853 | 0.057 | 904 | 0.729 |
| 854/1 | 0.228 | 905 | 0.146 |
| 854/2 | 0.101 | 906 | 0.073 |
| 854/3 | 0.101 | 907 | 0.077 |
| 855 | 0.474 | 908 | 0.077 |
| 856 | 0.024 | 909 | 0.028 |
| 858 | 0.190 | 910 | 0.016 |
| 859 | 0.202 | 911 | 0.020 |
| 860 | 0.016 | 912 | 0.016 |
| 861 | 0.061 | 913 | 0.024 |
| 862 | 0.081 | 914 | 0.024 |
| 863 | 0.287 | 915 | 0.024 |
| 865 | 0.817 | 916 | 0.016 |
| 866 | 0.016 | 917 | 0.016 |
| 867 | 0.040 | 918 | 0.016 |
| 868 | 0.061 | 919 | 0.040 |
| 869 | 0.028 | 920 | 0.040 |
| 870 | 0.101 | 921 | 0.016 |
| 871 | 0.174 | 922 | 0.020 |
| 872 | 0.478 | 923 | 0.020 |
| 873 | 0.162 | 924 | 0.020 |
| 874 | 0.117 | 925 | 0.049 |
| 875 | 0.150 | 926 | 0.069 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|----------|-------|
| 927 | 0.049 | 991/3 | 0.668 |
| 928 | 0.012 | 991/4 | 0.538 |
| 929 | 0.024 | 994 | 0.636 |
| 930 | 0.013 | 995 | 0.368 |
| 931 | 0.053 | 996 | 0.506 |
| 932 | 0.040 | 997 | 0.656 |
| 933 | 0.049 | 998 | 0.539 |
| 934 | 0.040 | 999/1 | 0.368 |
| 935 | 0.131 | 1000 | 0.773 |
| 936 | 0.154 | 1001 | 0.109 |
| 937 | 0.040 | 1002 | 0.672 |
| 938 | 0.053 | 1003 | 0.506 |
| 939 | 0.081 | 1004 | 0.530 |
| 940 | 0.518 | 1005 | 0.388 |
| 941 | 0.227 | 1006 | 0.401 |
| 942 | 0.255 | 1008 | 0.749 |
| 943 | 0.125 | 1009 | 0.595 |
| 944 | 0.450 | 1010 | 0.789 |
| 945 | 0.121 | 1012 | 0.401 |
| 948 | 0.295 | 1013 | 0.291 |
| 949 | 0.396 | 1014 | 0.845 |
| 950 | 0.158 | 1015 | 0.809 |
| 957 | 0.089 | 1018 | 0.312 |
| 966 | 0.061 | 1020 | 0.291 |
| 968 | 0.040 | 1022 | 0.615 |
| 970 | 0.138 | 1023 | 0.922 |
| 971 | 0.717 | 1024/1/1 | 0.611 |
| 972 | 0.028 | 1024/1/2 | 0.769 |
| 973 | 0.101 | 1025 | 0.466 |
| 974 | 0.142 | 1026 | 0.089 |
| 975 | 0.202 | 1027/1 | 0.150 |
| 976 | 0.020 | 1027/2 | 0.146 |
| 979 | 0.049 | 1028/2 | 0.101 |
| 980 | 0.061 | 1029 | 0.809 |
| 981 | 0.012 | 1030 | 0.340 |
| 982 | 0.053 | 1031 | 0.316 |
| 983 | 0.081 | 1033 | 0.214 |
| 984 | 1.028 | 1034 | 0.470 |
| 985 | 0.486 | 1035 | 0.292 |
| 987/1 | 0.543 | 1036 | 0.506 |
| 987/2 | 0.543 | 1037 | 0.397 |
| 988 | 1.270 | 1038 | 0.312 |
| 991/1 | 0.368 | 1039 | 1.036 |
| 991/2 | 0.304 | 1040 | 0.028 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------|-------|--------|-------|
| 1041 | 0.162 | 1085 | 0.356 |
| 1042 | 0.016 | 1086 | 0.154 |
| 1043 | 0.692 | 1088 | 0.081 |
| 1044 | 0.182 | 1089 | 0.146 |
| 1045 | 0.688 | 1090 | 0.101 |
| 1046 | 0.101 | 1091 | 0.267 |
| 1047 | 0.020 | 1092 | 0.028 |
| 1048 | 0.016 | 1093 | 0.494 |
| 1049 | 0.069 | 1094 | 0.275 |
| 1050 | 0.259 | 1095 | 0.146 |
| 1051 | 0.194 | 1096 | 0.057 |
| 1052 | 0.040 | 1097 | 0.040 |
| 1053 | 0.032 | 1098 | 0.656 |
| 1054 | 0.032 | 1099 | 0.125 |
| 1055 | 0.028 | 1100 | 0.069 |
| 1056 | 0.040 | 1101/1 | 0.266 |
| 1057 | 1.208 | 1101/2 | 0.062 |
| 1058 | 0.162 | 1102 | 0.020 |
| 1059 | 0.898 | 1103 | 0.482 |
| 1060 | 0.214 | 1105 | 0.101 |
| 1061 | 0.089 | 1106 | 0.008 |
| 1062 | 0.089 | 1107 | 0.008 |
| 1063 | 0.113 | 1109 | 0.219 |
| 1064 | 0.032 | 1112 | 0.020 |
| 1065 | 0.121 | 1113 | 0.105 |
| 1066 | 0.182 | 1114 | 0.162 |
| 1067 | 0.045 | 1115 | 0.319 |
| 1068 | 0.247 | 1116 | 0.287 |
| 1069 | 0.206 | 1117 | 0.040 |
| 1070 | 0.267 | 1118 | 0.040 |
| 1071 | 0.170 | 1119 | 0.632 |
| 1072 | 0.040 | 1120 | 0.781 |
| 1073 | 0.817 | 1121 | 0.016 |
| 1074 | 0.251 | 1122 | 0.020 |
| 1075 | 0.057 | 1124 | 0.069 |
| 1076 | 0.142 | 1126 | 0.061 |
| 1077 | 0.089 | 1127 | 0.028 |
| 1078 | 0.502 | 1128 | 0.721 |
| 1079 | 0.356 | 1129 | 0.012 |
| 1080 | 0.057 | 1130 | 0.227 |
| 1081 | 0.040 | 1131 | 0.417 |
| 1082 | 0.125 | 1132 | 0.089 |
| 1083 | 0.113 | 1133 | 0.016 |
| 1084 | 0.053 | 1134 | 0.057 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--------|-------|--------|-------|
| 1135 | 0.020 | 1223 | 0.672 |
| 1136 | 0.020 | 1224 | 0.008 |
| 1137 | 0.012 | 1225 | 0.971 |
| 1138 | 0.024 | 1227 | 0.206 |
| 1139 | 0.028 | 1229 | 0.182 |
| 1140 | 0.032 | 1230 | 0.930 |
| 1141 | 0.251 | 1231/1 | 0.243 |
| 1142/1 | 0.111 | 1231/2 | 0.534 |
| 1142/2 | 0.070 | 1231/3 | 0.454 |
| 1142/3 | 0.070 | 1232 | 1.189 |
| 1143 | 0.045 | 1233/1 | 1.433 |
| 1155 | 0.040 | 1233/2 | 1.307 |
| 1198 | 0.286 | 1233/3 | 0.854 |
| 1200 | 0.300 | 1233/4 | 0.599 |
| 1203 | 0.103 | 1233/5 | 1.025 |
| 1201 | 0.016 | 1234 | 0.287 |
| 1202 | 0.526 | 1235 | 0.413 |
| 1205 | 0.087 | 1238 | 0.239 |
| 1206 | 0.121 | 1239 | 0.142 |
| 1207 | 0.263 | 1242/1 | 1.141 |
| 1208 | 0.162 | 1245 | 0.704 |
| 1209 | 0.202 | 1247/1 | 0.773 |
| 1210 | 0.158 | 1247/2 | 0.771 |
| 1211 | 0.486 | 1247/3 | 0.036 |
| 1212 | 0.081 | 1250 | 1.639 |
| 1213 | 0.041 | 1251 | 4.634 |
| 1214 | 0.567 | 1252 | 0.789 |
| 1215 | 0.628 | 1253 | 1.701 |
| 1216 | 0.024 | 1254 | 0.688 |
| 1217 | 0.514 | 1255 | 0.874 |
| 1218 | 0.215 | 1256 | 0.749 |
| 1219 | 0.628 | 1257 | 0.676 |
| 1220 | 0.012 | 1258 | 0.271 |
| 1221 | 0.494 | 1259 | 0.575 |
| 1222 | 0.405 | 1260 | 0.086 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--------|-------|--------|-------|
| 1261 | 0.393 | 1298 | 1.254 |
| 1262 | 0.012 | 1300 | 0.506 |
| 1263 | 0.223 | 1301 | 0.870 |
| 1264 | 0.101 | 1302 | 0.886 |
| 1265 | 0.097 | 1303 | 0.680 |
| 1266 | 0.182 | 1304 | 1.420 |
| 1267 | 0.101 | 1305 | 0.223 |
| 1268 | 0.101 | 1306 | 0.283 |
| 1269 | 0.040 | 1308/1 | 0.858 |
| 1270 | 0.251 | 1308/3 | 0.850 |
| 1271 | 0.101 | 1308/4 | 0.255 |
| 1272 | 0.223 | 1310 | 0.809 |
| 1273 | 0.578 | 1311 | 1.462 |
| 1274 | 0.040 | 1313 | 0.283 |
| 1275 | 0.459 | 1314/1 | 1.133 |
| 1276 | 1.040 | 1314/2 | 1.113 |
| 1277 | 1.384 | 1315 | 0.283 |
| 1278 | 1.238 | 1316 | 0.769 |
| 1281/2 | 0.729 | 1317 | 0.991 |
| 1281/3 | 0.543 | 1318 | 1.598 |
| 1281/4 | 0.275 | 1320 | 0.065 |
| 1281/5 | 0.575 | 1321 | 0.170 |
| 1281/6 | 0.559 | 1323 | 0.119 |
| 1281/7 | 0.263 | 1324 | 0.075 |
| 1283 | 0.223 | 1325 | 0.080 |
| 1284 | 0.344 | 1326 | 0.134 |
| 1285 | 0.109 | 1328 | 0.340 |
| 1286 | 0.162 | 1330 | 0.299 |
| 1287 | 0.587 | 1331 | 0.055 |
| 1288 | 0.567 | 1333 | 0.170 |
| 1290 | 1.700 | 1334 | 0.239 |
| 1291 | 0.283 | 1335 | 0.405 |
| 1292 | 0.387 | 1336 | 0.020 |
| 1293 | 0.182 | 1337 | 0.575 |
| 1296/1 | 0.303 | 1338 | 0.090 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|----------|-------|----------|-------|
| 1339 | 0.050 | 1392 | 0.413 |
| 1340 | 0.040 | 1394 | 0.510 |
| 1341 | 0.551 | 1396 | 0.890 |
| 1342 | 0.028 | 1399 | 0.559 |
| 1343 | 0.151 | 1400 | 0.189 |
| 1345 | 0.146 | 1401 | 0.174 |
| 1347 | 0.040 | 1417 | 0.200 |
| 1350 | 0.372 | 1419 | 0.253 |
| 1351/1 | 0.768 | 1421 | 0.214 |
| 1352/1 | 0.405 | 1422 | 0.061 |
| 1353 | 0.101 | 1424 | 0.089 |
| 1355 | 0.066 | 1425 | 0.709 |
| 1356 | 0.202 | 1426 | 0.223 |
| 1357 | 0.020 | 1427 | 0.267 |
| 1358 | 0.881 | 1429 | 0.478 |
| 1359 | 0.028 | 1430 | 0.821 |
| 1360 | 0.222 | 1434 | 0.182 |
| 1361 | 0.494 | 1436 | 0.121 |
| 1364 | 0.210 | 1437 | 0.016 |
| 1365 | 0.129 | 1438 | 0.174 |
| 1368 | 0.539 | 1440 | 0.640 |
| 1370/1/3 | 1.991 | 1442 | 0.591 |
| 1371 | 0.202 | 1444 | 0.150 |
| 1373 | 0.162 | 1445 | 0.061 |
| 1374 | 0.263 | 1446 | 0.105 |
| 1375 | 0.450 | 1447 | 0.166 |
| 1376 | 0.299 | 1448/1/1 | 0.203 |
| 1377 | 0.032 | 1448/2/2 | 0.197 |
| 1378 | 0.032 | 1448/3/3 | 0.222 |
| 1379 | 0.053 | 1449 | 0.182 |
| 1380 | 0.045 | 1450 | 0.263 |
| 1381 | 0.121 | 1451 | 0.105 |
| 1382 | 0.097 | 1452 | 0.101 |
| 1383 | 0.073 | 1456 | 0.619 |
| 1384 | 0.020 | 1457 | 0.097 |
| 1385 | 0.405 | 1458 | 0.146 |
| 1386 | 0.243 | 1464/2/1 | 0.069 |
| 1388 | 0.356 | 1464/2/2 | 0.377 |
| 1390/1/2 | 0.315 | 1464/3 | 0.150 |
| 1390/1/3 | 1.000 | 1479 | 0.050 |
| 1390/4 | 0.219 | 1481/1 | 0.526 |
| 1391 | 0.963 | 1484 | 0.100 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|----------|-------|--------|--|
| 1485 | 0.130 | 1544 | 0.225 |
| 1486 | 0.135 | 1546 | 0.150 |
| 1487/1/1 | 0.600 | 1545 | 0.384 |
| 1487/2/1 | 0.100 | 1547 | 0.142 |
| 1487/3 | 0.551 | 1548 | 0.283 |
| 1488 | 0.162 | 1549 | 0.299 |
| 1489 | 0.417 | 1550 | 0.020 |
| 1490 | 0.498 | 1551 | 0.999 |
| 1491 | 0.421 | 1552 | 0.065 |
| 1492 | 0.445 | 1554 | 0.470 |
| 1493 | 0.178 | 1555 | 0.743 |
| 1494 | 0.231 | 1556 | 0.445 |
| 1495 | 0.279 | 1557 | 0.781 |
| 1496 | 0.215 | 1558/1 | 1.618 |
| 1497 | 0.466 | 1558/2 | 1.567 |
| 1498 | 0.518 | 1560 | 0.429 |
| 1499 | 0.162 | 1561 | 0.142 |
| 1500 | 0.032 | 1563 | 0.486 |
| 1502 | 0.866 | 1564 | 0.384 |
| 1504 | 0.526 | 1565 | 0.322 |
| 1505 | 0.364 | 1566 | 0.146 |
| 1508 | 0.210 | 1567 | 0.518 |
| 1509 | 0.125 | 1570 | 0.043 |
| 1510 | 0.101 | 1577 | 0.441 |
| 1511 | 0.032 | 1582 | 0.514 |
| 1512 | 1.311 | 1584 | 0.064 |
| 1513 | 0.061 | 1586 | 0.182 |
| 1514 | 0.332 | 1587 | 0.100 |
| 1515 | 0.190 | 1588 | 0.282 |
| 1516 | 0.012 | 1647 | 0.142 |
| 1517 | 1.538 | 1648 | 0.097 |
| 1518 | 0.073 | 1649 | 0.730 |
| 1519 | 0.182 | | |
| 1522 | 0.089 | | |
| 1523 | 0.113 | | |
| 1524 | 0.425 | | |
| 1526 | 0.400 | | |
| 1527 | 0.020 | | |
| 1528 | 0.073 | | |
| 1529 | 0.040 | | |
| 1532 | 0.162 | | |
| 1538 | 0.200 | | |
| 1543 | 0.146 | | |
| | | योग | <u>373.353</u> |
| | | (2) | बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . |
| | | (3) | भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर में किया जा सकता है. |

प्र. क्र. 8-अ-82-2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—घुवारा

(ग) नगर/ग्राम—बन्न (बरेला)

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —246.572 हैक्टर.

ख. नं.

अर्जित रकबा

(है. में)

(1)

(2)

3

1.732

4

0.049

5

0.777

6

0.150

7

1.635

8

0.737

9

0.947

10

0.429

11

1.801

12/1

0.304

12/2

0.384

13

1.761

14

0.101

15/1

0.453

15/2

0.453

16

0.494

17

0.676

18

0.081

19

0.490

20

0.304

21

0.020

22

0.024

24

0.045

26/1

0.310

26/2

0.310

26/3

0.310

27

1.311

28/1

1.161

(1)

(2)

28/2/1

0.284

28/2/2

0.283

31/1

0.400

31/3

0.100

36

0.381

37/1

0.420

37/2

0.420

37/3

0.419

40

0.490

41/1

1.584

41/2

1.103

43

0.049

44/1

0.636

44/2

0.219

45

0.571

46/1

0.601

46/2

0.600

46/3

0.600

47/1/1

0.180

47/1/2

0.407

47/2

0.486

48

1.923

49/1

0.765

49/2

0.560

50

0.069

51

1.558

52

0.129

53

0.922

55

1.352

57

1.206

59

0.930

60/1

0.500

62

0.324

64

0.057

65

0.049

66

0.081

67

0.709

70

0.081

72

2.059

73/1/1

0.197

73/1/2

0.197

73/1/3

0.197

63/2

0.445

74/1

0.206

74/2

0.206

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 74/3 | 0.207 | 111 | 0.316 |
| 75/1 | 0.842 | 112 | 0.142 |
| 75/2 | 0.421 | 113/1 | 0.125 |
| 75/3 | 0.421 | 113/2 | 0.126 |
| 76/1 | 0.364 | 114 | 0.117 |
| 76/2 | 0.364 | 115 | 0.028 |
| 76/3 | 0.364 | 116 | 0.174 |
| 77/1 | 0.331 | 117 | 0.162 |
| 77/2 | 0.332 | 118 | 0.291 |
| 77/3 | 0.332 | 119 | 0.113 |
| 78 | 0.648 | 119/2 | 0.113 |
| 79 | 0.239 | 119/3 | 0.114 |
| 80 | 0.364 | 120 | 0.134 |
| 81 | 0.430 | 121/1 | 0.430 |
| 82 | 0.934 | 121/2 | 0.431 |
| 83 | 0.947 | 121/3 | 0.430 |
| 84 | 0.624 | 122 | 0.729 |
| 85 | 0.356 | 123 | 0.376 |
| 86 | 0.202 | 124 | 0.372 |
| 87 | 0.146 | 125/1 | 0.809 |
| 88 | 0.166 | 125/2 | 0.729 |
| 89 | 0.514 | 126 | 0.057 |
| 90 | 0.368 | 127 | 0.057 |
| 91 | 0.729 | 128 | 0.020 |
| 92 | 0.206 | 129 | 0.057 |
| 93 | 0.409 | 130 | 0.049 |
| 94 | 0.129 | 131 | 0.125 |
| 95/1 | 0.032 | 132 | 0.166 |
| 95/2 | 0.033 | 133 | 0.162 |
| 96 | 0.182 | 134 | 0.170 |
| 97 | 0.174 | 135/1 | 0.287 |
| 98 | 0.210 | 135/2 | 0.287 |
| 99 | 0.441 | 135/3 | 0.388 |
| 100 | 0.206 | 136/1 | 0.255 |
| 101 | 0.555 | 136/2 | 0.255 |
| 102 | 1.011 | 136/3 | 0.255 |
| 103 | 0.555 | 137/1 | 0.364 |
| 105/1 | 0.190 | 137/2 | 0.364 |
| 105/2 | 0.191 | 137/3 | 0.364 |
| 105/3 | 0.192 | 138 | 0.761 |
| 107 | 0.368 | 139 | 1.231 |
| 108 | 0.291 | 140 | 0.348 |
| 109 | 0.150 | 141 | 0.777 |
| 110 | 0.041 | 146/1 | 0.391 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|-------|-------|-------|
| 146/2 | 0.398 | 188/1 | 0.597 |
| 148 | 0.364 | 188/2 | 0.596 |
| 149 | 0.332 | 189 | 0.223 |
| 151 | 0.769 | 190 | 0.012 |
| 153 | 1.372 | 192/1 | 0.135 |
| 154/1 | 0.485 | 192/2 | 0.135 |
| 154/2 | 0.243 | 192/3 | 0.135 |
| 155/1 | 0.101 | 193/1 | 0.029 |
| 155/2 | 0.053 | 193/2 | 0.032 |
| 155/3 | 0.048 | 193/3 | 0.032 |
| 156/1 | 0.509 | 194 | 0.279 |
| 156/2 | 0.255 | 195 | 0.040 |
| 156/3 | 0.255 | 196 | 0.202 |
| 157/1 | 0.203 | 197/1 | 0.214 |
| 157/2 | 0.101 | 197/2 | 0.417 |
| 157/3 | 0.101 | 197/3 | 0.202 |
| 158 | 0.947 | 198 | 0.275 |
| 159/1 | 0.020 | 199 | 0.300 |
| 159/2 | 0.020 | 200 | 0.969 |
| 159/3 | 0.025 | 201 | 0.522 |
| 160 | 0.320 | 202 | 0.530 |
| 164 | 0.526 | 203/1 | 0.035 |
| 166 | 0.486 | 203/2 | 0.035 |
| 167 | 0.648 | 203/3 | 0.035 |
| 168/1 | 0.616 | 204 | 0.109 |
| 168/2 | 0.310 | 205 | 0.113 |
| 169/1 | 0.440 | 206 | 0.109 |
| 169/2 | 0.170 | 207 | 0.061 |
| 170/1 | 0.554 | 208/1 | 0.052 |
| 170/2 | 0.275 | 208/2 | 0.053 |
| 170/3 | 0.275 | 208/3 | 0.053 |
| 174/1 | 0.611 | 209 | 0.502 |
| 174/2 | 0.611 | 210/1 | 0.062 |
| 177 | 0.963 | 210/2 | 0.062 |
| 178 | 0.781 | 210/3 | 0.062 |
| 180/1 | 0.915 | 211 | 0.478 |
| 180/2 | 0.914 | 212 | 0.295 |
| 181/2/1 | 0.121 | 213/1 | 0.095 |
| 181/2/2 | 0.061 | 213/2 | 0.094 |
| 181/2/3 | 0.061 | 213/3 | 0.094 |
| 182 | 1.275 | 214/1 | 0.025 |
| 183 | 0.466 | 214/2 | 0.024 |
| 184 | 0.478 | 214/3 | 0.024 |
| 187 | 0.644 | 215/1 | 0.213 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|-------|-------|-------|
| 215/2 | 0.213 | 243 | 0.632 |
| 215/3 | 0.214 | 244 | 0.210 |
| 218/1 | 0.129 | 246/1 | 0.401 |
| 218/2 | 0.128 | 246/2 | 0.401 |
| 218/3 | 0.128 | 247 | 0.146 |
| 219/1 | 0.126 | 248/1 | 0.369 |
| 219/2 | 0.125 | 248/2 | 0.369 |
| 220 | 0.117 | 248/3 | 0.700 |
| 221/1 | 0.009 | 249/1 | 0.369 |
| 221/2 | 0.009 | 249/2 | 0.370 |
| 221/3 | 0.009 | 249/3 | 0.369 |
| 221/4 | 0.026 | 250 | 0.947 |
| 222/1 | 0.046 | 251/1 | 0.147 |
| 222/2 | 0.046 | 251/2 | 0.147 |
| 222/3 | 0.049 | 251/3 | 0.147 |
| 223 | 0.134 | 252/1 | 0.077 |
| 224 | 0.178 | 252/2 | 0.077 |
| 225 | 0.275 | 252/3 | 0.077 |
| 226/1 | 0.166 | 253/1 | 0.038 |
| 226/2 | 0.165 | 253/2 | 0.037 |
| 226/3 | 0.165 | 253/3 | 0.039 |
| 227 | 0.429 | 254/1 | 0.075 |
| 228 | 0.024 | 254/2 | 0.075 |
| 229/1/1 | 0.020 | 254/3 | 0.075 |
| 229/1/2 | 0.020 | 255/1 | 0.077 |
| 229/1/3 | 0.021 | 255/2 | 0.077 |
| 229/2 | 0.081 | 255/3 | 0.077 |
| 230/1 | 0.332 | 256 | 0.093 |
| 230/2 | 0.331 | 257/1 | 0.111 |
| 230/3 | 0.332 | 257/2 | 0.111 |
| 231 | 0.279 | 257/3 | 0.110 |
| 232 | 0.097 | 258/1 | 0.333 |
| 233/1 | 0.181 | 258/2 | 0.333 |
| 233/2 | 0.181 | 258/3 | 0.334 |
| 233/3 | 0.181 | 258/4 | 0.023 |
| 234/1 | 0.441 | 259/1 | 0.011 |
| 234/2 | 0.441 | 259/2 | 0.010 |
| 234/3 | 0.441 | 259/3 | 0.011 |
| 236/1 | 0.297 | 260/1 | 0.078 |
| 236/2 | 0.296 | 260/2 | 0.079 |
| 236/3 | 0.297 | 260/3 | 0.078 |
| 239/1 | 0.082 | 261/1 | 0.094 |
| 239/2 | 0.082 | 261/2 | 0.094 |
| 239/3 | 0.083 | 261/3 | 0.095 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|---------|-------|
| 262/1 | 0.192 | 292/2 | 0.021 |
| 262/2 | 0.192 | 290/3 | 0.020 |
| 262/3 | 0.191 | 291/1 | 0.757 |
| 263 | 0.134 | 291/2 | 0.101 |
| 264 | 0.312 | 292/1 | 0.179 |
| 265/1 | 0.170 | 292/2 | 0.180 |
| 265/2 | 0.170 | 292/3 | 0.180 |
| 266 | 0.530 | 293 | 0.162 |
| 267/1 | 0.020 | 294/1 | 0.110 |
| 267/2 | 0.025 | 294/2 | 0.110 |
| 268 | 0.450 | 294/3 | 0.112 |
| 269 | 0.376 | 295/1 | 0.190 |
| 270/1 | 0.216 | 295/2 | 0.191 |
| 270/2 | 0.216 | 295/3 | 0.190 |
| 270/3 | 0.078 | 296 | 0.190 |
| 271 | 0.138 | 297/1 | 0.091 |
| 272 | 0.170 | 297/2 | 0.092 |
| 273/1 | 0.137 | 297/3 | 0.092 |
| 273/2 | 0.069 | 298/1 | 0.029 |
| 273/3 | 0.069 | 298/2 | 0.028 |
| 274 | 0.214 | 298/3 | 0.028 |
| 274/1 | 0.976 | 300 | 0.113 |
| 274/2 | 0.975 | 301/1 | 0.049 |
| 275/1 | 0.365 | 301/2 | 0.049 |
| 275/2 | 0.097 | 301/3 | 0.048 |
| 276 | 0.470 | 302/1 | 0.030 |
| 277 | 0.446 | 302/2 | 0.029 |
| 278 | 0.247 | 302/3 | 0.030 |
| 280 | 0.219 | 303/1 | 0.049 |
| 281 | 0.040 | 303/1/2 | 0.049 |
| 283/1 | 0.093 | 303/1/3 | 0.048 |
| 283/2 | 0.089 | 304 | 0.069 |
| 283/3 | 0.093 | 305/1 | 0.043 |
| 284/1 | 0.162 | 305/2 | 0.043 |
| 284/2 | 0.162 | 305/3 | 0.043 |
| 284/3 | 0.162 | 306 | 0.129 |
| 285 | 0.073 | 307/1 | 0.103 |
| 286/1 | 0.210 | 307/2 | 0.103 |
| 286/2 | 0.215 | 307/3 | 0.102 |
| 278/1 | 0.283 | 308/1 | 0.062 |
| 287/2 | 0.263 | 308/2 | 0.062 |
| 288 | 0.190 | 308/3 | 0.062 |
| 289 | 0.040 | 309 | 0.660 |
| 290/1 | 0.020 | 310 | 0.995 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|-------|-------|-------|
| 311/2 | 0.575 | 334/7 | 0.180 |
| 312 | 0.380 | 334/8 | 0.131 |
| 313 | 0.344 | 335/1 | 0.095 |
| 314 | 0.753 | 335/2 | 0.095 |
| 316 | 0.462 | 335/3 | 0.108 |
| 317 | 0.372 | 335/4 | 0.072 |
| 318 | 0.275 | 335/5 | 0.073 |
| 319/1 | 0.650 | 335/6 | 0.073 |
| 319/2 | 0.649 | 335/7 | 0.110 |
| 320/1 | 0.135 | 335/8 | 0.070 |
| 320/2 | 0.136 | 336/1 | 0.064 |
| 321/1 | 0.208 | 336/2 | 0.064 |
| 321/2 | 0.840 | 337/1 | 0.260 |
| 322/1 | 0.017 | 337/2 | 0.260 |
| 322/2 | 0.017 | 337/3 | 0.260 |
| 322/3 | 0.018 | 338 | 0.628 |
| 322/4 | 0.053 | 339 | 0.761 |
| 323/1 | 0.420 | 340 | 0.364 |
| 323/2 | 0.421 | 341 | 0.628 |
| 323/3 | 0.421 | 342 | 0.020 |
| 323/4 | 1.263 | 343 | 0.547 |
| 324/1 | 0.041 | 344 | 0.797 |
| 324/2 | 0.040 | 345/1 | 0.264 |
| 324/3 | 0.040 | 245/2 | 0.129 |
| 325/1 | 0.223 | 345/3 | 0.129 |
| 325/2 | 0.223 | 346 | 0.445 |
| 325/3 | 0.220 | 347 | 0.243 |
| 325/4 | 0.040 | 348/1 | 0.100 |
| 327 | 0.825 | 348/2 | 0.244 |
| 328/2/1 | 0.160 | 349/क | 0.008 |
| 328/2/2 | 0.164 | 349/ख | 0.004 |
| 329/1 | 0.589 | 349/ग | 0.004 |
| 329/2/1 | 0.114 | 350 | 0.101 |
| 329/2/2 | 0.106 | 351 | 0.032 |
| 331 | 0.081 | 352/क | 0.046 |
| 332/1 | 0.586 | 352/ख | 0.043 |
| 332/2 | 0.508 | 353 | 0.275 |
| 332/3 | 0.829 | 354 | 0.186 |
| 333 | 0.081 | 355 | 0.142 |
| 334/1 | 0.196 | 356 | 0.227 |
| 334/2 | 0.130 | 357/1 | 0.020 |
| 334/3 | 0.134 | 357/2 | 0.020 |
| 334/4 | 0.131 | 358 | 0.214 |
| 334/5 | 0.131 | 359 | 0.202 |
| 334/6 | 0.196 | | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 360 | 0.388 | 398 | 0.154 |
| 361/क | 0.056 | 399 | 0.902 |
| 361/ख | 0.025 | 400 | 0.894 |
| 362 | 0.105 | 401 | 0.922 |
| 363/1 | 0.122 | 402 | 0.287 |
| 363/2 | 0.121 | 403 | 0.263 |
| 364 | 0.202 | 404 | 0.259 |
| 365 | 0.162 | 405 | 0.283 |
| 366 | 0.255 | 406 | 0.490 |
| 367 | 0.049 | 407 | 0.490 |
| 368 | 0.077 | 408 | 0.089 |
| 369 | 0.129 | 409 | 0.304 |
| 370/1 | 0.886 | 410 | 0.304 |
| 370/2 | 0.809 | 411 | 0.304 |
| 371 | 0.227 | 412 | 0.020 |
| 372 | 0.547 | 413 | 0.547 |
| 373 | 0.640 | 414 | 0.049 |
| 374/1 | 0.048 | 415 | 0.259 |
| 374/2 | 0.047 | 416 | 0.437 |
| 374/3 | 0.047 | 417 | 0.138 |
| 375 | 0.121 | 418 | 0.243 |
| 376 | 0.036 | 419/1 | 0.020 |
| 377 | 0.259 | 419/2 | 0.020 |
| 378 | 0.020 | 419/3 | 0.024 |
| 379 | 0.186 | 420/1 | 0.435 |
| 380 | 0.142 | 420/2 | 0.434 |
| 381 | 0.089 | 420/3 | 0.434 |
| 382 | 0.097 | 421/1 | 0.111 |
| 383 | 0.081 | 421/2 | 0.111 |
| 384 | 0.073 | 421/3 | 0.111 |
| 385 | 0.263 | 422/1 | 0.067 |
| 386 | 0.129 | 422/2 | 0.068 |
| 387 | 0.121 | 422/3 | 0.067 |
| 388 | 0.129 | 423/1 | 0.094 |
| 389 | 0.057 | 423/2 | 0.094 |
| 390 | 0.117 | 423/3 | 0.094 |
| 391 | 0.154 | 424/1 | 0.005 |
| 392 | 0.138 | 424/2 | 0.005 |
| 393 | 0.057 | 424/3 | 0.005 |
| 394 | 0.454 | 425/1 | 0.070 |
| 395 | 0.498 | 425/2 | 0.070 |
| 396/1 | 0.542 | 425/3 | 0.070 |
| 396/2 | 0.405 | 426/1 | 0.457 |
| 397 | 0.906 | 426/2 | 0.457 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|-------|---------|-------|
| 426/3 | 0.458 | 477/2/1 | 0.632 |
| | | 477/2/2 | 0.632 |
| 427/1 | 0.117 | 477/2/3 | 0.631 |
| 427/2 | 0.118 | 477/3 | 1.896 |
| 428/1 | 0.886 | 478 | 2.193 |
| 428/2 | 0.887 | 484/1 | 0.218 |
| 429/1 | 0.332 | 484/2 | 0.217 |
| 430 | 0.521 | 484/3 | 0.217 |
| 431 | 0.332 | 485 | 0.567 |
| 432 | 0.684 | 486 | 0.255 |
| 434 | 0.579 | 487 | 0.061 |
| 435 | 0.255 | 492 | 0.328 |
| 436 | 0.316 | 494/1 | 0.049 |
| 437 | 0.802 | 495 | 0.551 |
| 438 | 0.174 | 496 | 1.108 |
| 439 | 0.073 | 497 | 1.255 |
| 440 | 0.324 | 498/1 | 2.600 |
| 441 | 0.445 | 498/2 | 0.260 |
| 442/1 | 0.097 | 498/3 | 0.261 |
| 442/2 | 0.048 | 499/1 | 0.400 |
| 442/3 | 0.049 | 501 | 0.425 |
| 443 | 0.121 | 505 | 0.405 |
| 444/1 | 0.016 | 506 | 0.845 |
| 444/2 | 0.008 | 508 | 0.841 |
| 444/3 | 0.012 | 509 | 0.032 |
| 445 | 0.049 | 510/1 | 0.019 |
| 447 | 0.040 | 510/2 | 0.019 |
| 448 | 0.032 | 510/3 | 0.019 |
| 449 | 0.032 | 511 | 0.971 |
| 454 | 0.239 | 512 | 0.146 |
| 455 | 0.073 | 513 | 0.445 |
| 457/1 | 0.016 | 514 | 0.101 |
| 457/2 | 0.012 | 515 | 0.219 |
| 457/3 | 0.012 | 516 | 0.344 |
| 458 | 0.158 | 517 | 0.121 |
| 459 | 0.405 | 519 | 0.356 |
| 468 | 0.530 | 520 | 0.129 |
| 469 | 0.372 | 521 | 0.089 |
| 470 | 1.092 | 522 | 0.036 |
| 471/1 | 0.777 | 523 | 0.283 |
| 471/2 | 1.012 | 524 | 0.053 |
| 471/3 | 0.809 | 525 | 0.069 |
| 471/4 | 0.809 | 526 | 0.105 |
| 472 | 0.202 | 527 | 0.101 |
| 477/1/1 | 0.947 | | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|---------|-------|
| 528 | 0.239 | 558 | 0.121 |
| 529 | 0.178 | 559 | 0.089 |
| 530 | 0.154 | 560 | 0.101 |
| 531 | 0.725 | 561 | 0.595 |
| 532 | 0.057 | 562 | 0.587 |
| 533 | 0.069 | 564 | 0.590 |
| 534 | 0.194 | 565 | 0.328 |
| 535 | 0.251 | 566 | 0.474 |
| 536 | 0.219 | 567 | 0.445 |
| 537 | 0.263 | 568 | 0.146 |
| 538 | 0.259 | 569 | 0.295 |
| 539 | 0.243 | 570 | 0.376 |
| 540 | 0.134 | 571 | 0.466 |
| 541 | 0.190 | 572 | 0.466 |
| 542 | 0.032 | 573 | 0.340 |
| 543/1 | 0.105 | 575/1 | 0.567 |
| 543/2 | 0.105 | 575/2/1 | 0.200 |
| 544/1 | 0.118 | 575/2/2 | 0.287 |
| 544/2 | 0.113 | 576 | 0.040 |
| 545/1 | 0.093 | 577/1 | 0.020 |
| 545/2 | 0.093 | 577/2 | 0.020 |
| 546/1 | 0.141 | 578/1 | 0.247 |
| 546/2 | 0.146 | 578/2 | 0.247 |
| 547/1 | 0.093 | 579 | 0.121 |
| 547/2 | 0.097 | 580 | 0.040 |
| 548/1 | 0.211 | 581 | 0.194 |
| 548/2 | 0.206 | 582 | 0.113 |
| 549 | 0.539 | 583/1 | 0.045 |
| 550/1 | 0.067 | 583/2 | 0.048 |
| 550/2 | 0.068 | 584/1 | 0.202 |
| 550/3 | 0.067 | 584/2 | 0.203 |
| 551/1 | 0.021 | 585 | 0.077 |
| 551/2 | 0.020 | 589/1 | 0.324 |
| 551/3 | 0.020 | 589/2 | 0.162 |
| 552/1 | 0.212 | 590 | 0.648 |
| 552/2 | 0.212 | 591 | 0.243 |
| 552/3 | 0.212 | 592 | 0.543 |
| 553/1 | 0.206 | 593 | 0.040 |
| 553/2 | 0.211 | 594/1/1 | 0.102 |
| 554/1 | 0.060 | 594/1/2 | 0.102 |
| 554/2 | 0.061 | 594/2 | 0.205 |
| 555 | 0.121 | 595 | 0.312 |
| 556 | 1.315 | 596 | 0.020 |
| 557 | 0.053 | 597 | 0.328 |
| | | 598 | 0.081 |
| | | 599/1 | 0.410 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|----------------|------------|-------|
| 599/2 | 0.410 | 5 | 0.688 |
| 599/3 | 0.400 | 7 | 0.551 |
| 600/1/1 | 1.019 | 9 | 0.426 |
| 600/1/2 | 1.019 | 10 | 1.125 |
| 600/2/1 | 0.679 | 11 | 0.830 |
| 600/2/2 | 0.679 | 12 | 0.934 |
| 600/2/3 | 0.680 | 13 | 0.749 |
| 600/3 | 2.039 | 14 | 1.019 |
| 601 | 0.870 | 16 | 0.129 |
| 602/2 | 0.405 | 17 | 0.105 |
| 603 | 0.287 | 18 | 0.364 |
| 604 | 0.445 | 19 | 0.263 |
| 605 | 0.243 | 20 | 0.227 |
| 606 | 0.170 | 21 | 0.239 |
| 607 | 0.016 | 23 | 0.121 |
| 608 | 1.019 | 24 | 0.104 |
| 609 | 3.504 | 27 | 0.251 |
| 616 | 0.769 | 28 | 0.802 |
| योग . . . | <u>246.572</u> | 29/1 | 0.206 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.— बांन सुजारा | | 29/2 | 0.251 |
| बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु. | | 29/3 | 0.505 |
| (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण के भू-अर्जन अधिकारी | | 29/4/1 | 1.000 |
| एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर में किया | | 29/5 | 0.283 |
| जा सकता है. | | 29/6/1 | 0.372 |
| | | 29/6/2 | 0.154 |
| प्र. क्र. 9-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात | | 30/1/1 | 0.566 |
| का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में | | 30/1/2 | 0.219 |
| वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की | | 30/2/1/1 | 0.083 |
| सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन | | 30/2/1/2 | 0.083 |
| अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के | | 30/2/1/3 | 0.166 |
| अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की | | 30/2/2/1/1 | 0.075 |
| सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :- | | 30/2/2/1/2 | 0.035 |
| अनुसूची | | 30/2/2/2 | 0.111 |
| (1) भूमि का वर्णन— | | 30/2/2/3 | 0.111 |
| (क) जिला—छतरपुर | | 31 | 0.178 |
| (ख) तहसील—घुवारा | | 32/1/1 | 0.040 |
| (ग) नगर/ग्राम—सरकना | | 32/1/2 | 0.039 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —237.643 हैक्टर. | | 32/1/3 | 0.039 |
| | | 32/2/1 | 0.029 |
| ख. नं. | अर्जित रकबा | 32/2/2 | 0.029 |
| | (हे. में) | 32/2/3 | 0.059 |
| (1) | (2) | 33/1/1/1 | 0.291 |
| 1 | 0.971 | 33/1/1/2 | 0.291 |
| 2 | 0.999 | 33/1/2 | 0.582 |
| 3 | 0.851 | | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-----------|-------|--------|-------|
| 33/1/3 | 0.582 | 57/1/1 | 0.393 |
| 33/2/1 | 0.436 | 57/1/2 | 0.600 |
| 33/2/2 | 0.873 | 57/1/3 | 0.607 |
| 33/2/3 | 0.437 | 57/1/4 | 0.405 |
| 37 | 0.761 | 57/3/1 | 0.177 |
| 38 | 0.652 | 57/3/2 | 0.960 |
| 39-क | 0.461 | 57/6 | 0.198 |
| 39-ख | 0.457 | 57/7/1 | 0.198 |
| 40 | 1.056 | 57/7/2 | 0.405 |
| 42/1 | 0.255 | 57/8 | 0.490 |
| 42/2 | 0.255 | 57/9 | 0.688 |
| 43 | 0.364 | 57/10 | 1.189 |
| 44/1 | 0.478 | 57/12 | 0.434 |
| 44/2 | 0.628 | 57/13 | 0.287 |
| 45/1 | 0.344 | 58/5 | 1.239 |
| 45/2 | 0.446 | 60 | 0.559 |
| 46 | 0.142 | 61/1 | 0.151 |
| 47 | 0.479 | 61/2 | 0.151 |
| 48/1 | 0.502 | 61/3 | 0.153 |
| 48/2 | 0.404 | 61/4 | 0.152 |
| 50/1 | 0.826 | 62 | 0.388 |
| 50/2 | 0.890 | 63 | 0.890 |
| 51 | 0.628 | 64 | 0.089 |
| 53/2/1 | 0.402 | 65 | 0.255 |
| 54/1 | 0.462 | 66 | 0.129 |
| 54/2/1 | 0.200 | 67 | 0.129 |
| 54/2/2 | 0.302 | 68 | 0.065 |
| 54/2/3 | 0.200 | 69 | 0.020 |
| 54/6 | 0.510 | 70 | 0.020 |
| 54/7 | 0.202 | 71 | 0.291 |
| 54/8 | 0.486 | 72 | 0.089 |
| 54/10 | 0.486 | 73 | 0.012 |
| 54/11 | 0.486 | 74 | 0.049 |
| 54/12/1 | 0.301 | 75 | 0.121 |
| 54/12/2 | 0.063 | 76 | 0.263 |
| 54/13/1 | 0.087 | 77 | 0.450 |
| 54/13/2 | 0.150 | 78 | 0.057 |
| 54/13/3/1 | 0.084 | 79 | 0.275 |
| 54/13/3/2 | 0.084 | 80 | 0.020 |
| 55/3/1/1 | 0.146 | 81 | 0.105 |
| 55/3/1/2 | 0.145 | 82 | 0.328 |
| 55/3/2/1 | 0.351 | 83 | 0.182 |
| 55/3/2/2 | 0.350 | 84 | 0.162 |
| 55/3/3 | 0.700 | 85 | 0.113 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|-------|-------------|-------|
| 86 | 0.101 | 121/1 | 0.162 |
| 87 | 0.101 | 121/2 | 0.158 |
| 88 | 0.227 | 121/3 | 0.162 |
| 89 | 0.202 | 122/4 | 0.729 |
| 90 | 0.089 | 122/5/क/1/2 | 0.107 |
| 91 | 0.162 | 122/5/क/1/1 | 0.108 |
| 92 | 0.150 | 122/5/क/2 | 0.216 |
| 93 | 0.243 | 122/5/क/3 | 0.216 |
| 94 | 0.283 | 122/5/ख/1 | 0.162 |
| 95 | 0.291 | 122/5/ख/2 | 0.162 |
| 96 | 0.267 | 122/5/ख/3 | 0.323 |
| 97 | 0.312 | 122/6 | 0.809 |
| 98 | 0.324 | 122/7 | 1.708 |
| 99/1 | 0.235 | 122/9 | 2.262 |
| 99/2 | 0.081 | 123 | 0.405 |
| 100/1 | 0.182 | 124 | 0.704 |
| 100/2 | 0.182 | 125/1/1 | 0.110 |
| 101 | 0.142 | 125/1/2 | 0.109 |
| 102 | 0.287 | 125/2/1 | 0.076 |
| 103 | 0.134 | 125/2/2 | 0.077 |
| 104 | 0.113 | 125/3 | 0.219 |
| 105 | 0.089 | 126/1/1 | 0.070 |
| 106 | 0.587 | 126/1/2 | 0.071 |
| 107 | 0.426 | 126/2 | 0.140 |
| 108 | 0.422 | 127 | 0.223 |
| 109 | 0.583 | 128 | 0.656 |
| 110/1 | 0.256 | 129 | 0.097 |
| 110/2 | 0.256 | 130 | 0.376 |
| 110/3 | 0.256 | 131 | 0.870 |
| 110/4 | 0.256 | 132 | 0.045 |
| 111 | 0.422 | 133 | 0.101 |
| 112 | 0.513 | 134 | 0.036 |
| 113/1 | 0.044 | 135 | 0.138 |
| 113/2 | 0.043 | 136/1/1 | 0.075 |
| 113/3 | 0.043 | 136/1/2 | 0.075 |
| 114/4 | 0.044 | 136/2/1 | 0.040 |
| 115 | 0.089 | 136/2/2 | 0.040 |
| 116/1/1 | 0.184 | 136/3 | 0.150 |
| 116/1/2 | 0.553 | 137 | 0.081 |
| 116/2 | 0.308 | 138 | 0.142 |
| 116/3/1 | 0.542 | 139 | 0.121 |
| 116/3/2 | 1.959 | 140 | 0.166 |
| 117 | 0.421 | 141 | 0.129 |
| 120 | 0.405 | 142/1/1/2 | 0.061 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-----------|-------|---------|-------|
| 142/1/1/2 | 0.061 | 161 | 0.057 |
| 142/1/2 | 0.122 | 162 | 0.154 |
| 142/1/3/1 | 0.060 | 163 | 0.093 |
| 142/1/3/2 | 0.060 | 164 | 0.053 |
| 142/2/1/2 | 0.070 | 165 | 0.138 |
| 142/2/2/1 | 0.091 | 166 | 0.154 |
| 142/2/2/2 | 0.090 | 168/1 | 0.255 |
| 142/2/3 | 0.181 | 168/2 | 0.764 |
| 143/1/1/1 | 0.060 | 169 | 0.146 |
| 143/1/1/2 | 0.059 | 170 | 0.154 |
| 143/1/2 | 0.193 | 171 | 0.091 |
| 143/1/3/2 | 0.097 | 172 | 0.223 |
| 143/1/3/1 | 0.097 | 173 | 0.085 |
| 144/1/1 | 0.062 | 174 | 0.089 |
| 144/1/2 | 0.062 | 175 | 0.081 |
| 144/2/1 | 0.065 | 176 | 0.089 |
| 144/2/2 | 0.065 | 177 | 0.113 |
| 144/3 | 0.130 | 178 | 0.154 |
| 145 | 0.154 | 179 | 0.356 |
| 146 | 0.081 | 180 | 0.194 |
| 147 | 0.061 | 181 | 0.364 |
| 148 | 0.870 | 182 | 0.008 |
| 149 | 0.384 | 183 | 0.194 |
| 150 | 0.405 | 184 | 0.105 |
| 151/1 | 0.219 | 185 | 0.061 |
| 151/2 | 0.239 | 186/1/1 | 0.047 |
| 151/3 | 0.219 | 186/1/2 | 0.089 |
| 151/4 | 0.198 | 186/2 | 0.089 |
| 151/5 | 0.220 | 187/2 | 0.777 |
| 151/6 | 0.220 | 188 | 0.089 |
| 152 | 0.134 | 191 | 0.178 |
| 153/1 | 0.106 | 192 | 0.121 |
| 153/2 | 0.319 | 193 | 0.878 |
| 154 | 0.020 | 194 | 0.458 |
| 155/1 | 0.122 | 195 | 0.134 |
| 155/2 | 0.364 | 196 | 0.134 |
| 156/1 | 0.066 | 197 | 0.474 |
| 156/2 | 0.197 | 198 | 0.809 |
| 157 | 0.073 | 199 | 0.583 |
| 158/1 | 0.114 | 200 | 0.178 |
| 158/2 | 0.344 | 201/1 | 0.397 |
| 159 | 0.012 | 201/2/क | 0.186 |
| 160/1 | 0.136 | 201/2/ख | 0.182 |
| 160/2 | 0.410 | 202 | 0.146 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-----------|-------|----------|-------|
| 203 | 0.020 | 230/4 | 0.058 |
| 204 | 0.081 | 231/1 | 0.249 |
| 205 | 0.384 | 231/2 | 0.094 |
| 206 | 1.485 | 231/3 | 0.055 |
| 207/2 | 0.518 | 232/1 | 0.092 |
| 207/3 | 0.587 | 232/2 | 0.040 |
| 208/क | 1.117 | 232/3 | 0.050 |
| 208/ख | 1.176 | 234 | 0.093 |
| 209 | 0.162 | 237/1 | 0.081 |
| 210 | 0.291 | 237/2 | 0.040 |
| 211 | 0.021 | 237/3 | 0.041 |
| 212 | 0.246 | 238/1 | 0.100 |
| 213 | 0.170 | 238/2 | 0.100 |
| 214 | 0.162 | 238/3 | 0.100 |
| 215 | 0.065 | 238/4 | 0.100 |
| 216 | 0.223 | 238/5 | 0.199 |
| 217 | 0.142 | 239 | 0.364 |
| 220/2 | 0.162 | 240 | 0.020 |
| 220/3 | 0.142 | 241 | 0.049 |
| 220/4 | 0.142 | 242/1 | 0.506 |
| 220/6 | 1.902 | 242/2 | 0.506 |
| 220/7/1/1 | 0.374 | 243 | 0.040 |
| 220/7/1/2 | 0.124 | 244 | 0.182 |
| 220/7/1/3 | 0.125 | 245 | 0.061 |
| 220/7/1/4 | 0.125 | 246 | 0.081 |
| 220/7/2 | 0.142 | 247/1 | 0.098 |
| 222/1 | 0.415 | 247/2 | 0.185 |
| 222/2 | 0.415 | 250 | 0.125 |
| 223 | 0.142 | 251 | 0.170 |
| 224 | 0.446 | 252 | 0.146 |
| 225 | 0.243 | 252/2 | 0.278 |
| 226 | 0.652 | 253/1 | 0.277 |
| 227/1 | 0.589 | 255 | 0.037 |
| 227/2 | 0.026 | 256/1/1 | 0.122 |
| 228/1 | 0.150 | 256/1/2 | 0.121 |
| 228/2 | 0.250 | 256/1/3 | 0.121 |
| 228/3 | 0.050 | 256/2 | 0.116 |
| 229/1 | 0.125 | 256/3 | 0.116 |
| 229/2/1 | 0.233 | 256/4 | 0.133 |
| 229/2/2 | 0.100 | 257/12 | 0.435 |
| 229/2/3 | 0.100 | 257/9/1 | 0.150 |
| 230/1 | 0.166 | 257/9/2 | 0.050 |
| 230/2 | 0.040 | 257/9/3 | 0.040 |
| 230/3 | 0.058 | 257/14/क | 0.150 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|----------|-------|---------|-------|
| 257/16/1 | 0.200 | 294-ख | 0.114 |
| 257/16/2 | 0.200 | 295 | 0.121 |
| 257/16/3 | 0.500 | 296 | 0.065 |
| 278/1 | 0.160 | 297 | 0.324 |
| 278/2 | 0.480 | 298 | 0.624 |
| 266 | 0.225 | 299 | 0.061 |
| 270 | 0.105 | 300 | 0.073 |
| 272/1 | 0.405 | 301 | 0.446 |
| 272/2 | 0.347 | 302 | 0.749 |
| 273/1 | 0.405 | 303/2/1 | 0.083 |
| 277/2/1 | 0.239 | 303/2/2 | 0.083 |
| 277/2/2 | 0.120 | 303/2/3 | 0.083 |
| 277/2/3 | 0.120 | 303/2/4 | 0.083 |
| 277/2/4 | 0.238 | 306 | 0.154 |
| 277/3 | 0.324 | 307 | 0.129 |
| 279 | 0.550 | 313/2 | 0.405 |
| 280 | 0.271 | 314/1 | 0.200 |
| 282/1 | 0.344 | 315/1 | 0.200 |
| 282/2 | 0.344 | 317/1 | 0.345 |
| 283/1 | 0.165 | 317/2/3 | 0.648 |
| 283/2 | 0.248 | 317/2/4 | 0.645 |
| 283/3 | 0.077 | 317/2/5 | 0.100 |
| 284/1 | 0.064 | 318/1 | 0.142 |
| 284/2 | 0.065 | 318/2 | 0.668 |
| 285/1 | 0.129 | 319 | 0.316 |
| 285/2 | 0.235 | 320/1/1 | 0.034 |
| 286/1 | 0.020 | 320/2/1 | 0.038 |
| 286/2 | 0.020 | 320/2/2 | 0.038 |
| 286/3 | 0.020 | 320/2/3 | 0.035 |
| 286/4 | 0.021 | 320/2/4 | 0.039 |
| 287-क | 0.170 | 320/3 | 0.081 |
| 287-ख | 0.059 | 320/3/2 | 0.035 |
| 288-क | 0.129 | 321/1/1 | 0.150 |
| 288-ख | 0.061 | 321/1/2 | 0.149 |
| 289-क | 0.190 | 321/2 | 0.300 |
| 289-ख | 0.109 | 322/1 | 0.400 |
| 290-क | 0.105 | 324 | 0.170 |
| 290-ख | 0.053 | 325 | 0.267 |
| 291-क | 0.231 | 326 | 0.032 |
| 291-ख | 0.227 | 327 | 0.065 |
| 292 | 0.555 | 328 | 0.223 |
| 293-क | 0.089 | 329/1 | 0.336 |
| 293-ख | 0.089 | 329/2 | 0.077 |
| 294-क | 0.114 | 330 | 0.182 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|-------|---------|-------|
| 331 | 0.081 | 356 | 0.166 |
| 332/1/1 | 0.138 | 357/1 | 0.033 |
| 332/1/2 | 0.036 | 357/2 | 0.033 |
| 332/2/1 | 0.089 | 357/3 | 0.034 |
| 332/2/2 | 0.089 | 358 | 0.109 |
| 332/2/3 | 0.089 | 359 | 0.384 |
| 332/2/4 | 0.089 | 360/1/1 | 0.022 |
| 332/3 | 0.356 | 360/1/2 | 0.023 |
| 333/1 | 0.085 | 360/3 | 0.012 |
| 333/2 | 0.085 | 357/4 | 0.034 |
| 335 | 0.308 | 360/2 | 0.049 |
| 336/1 | 0.039 | 360/4 | 0.072 |
| 336/2 | 0.038 | 360/5 | 0.013 |
| 337 | 0.008 | 360/6 | 0.011 |
| 338 | 0.227 | 362 | 0.162 |
| 339/1 | 0.146 | 363/2/1 | 0.162 |
| 339/2 | 0.145 | 363/2/2 | 0.219 |
| 340/1 | 0.423 | 363/2/3 | 0.145 |
| 340/2 | 0.423 | 364/1 | 0.105 |
| 341 | 0.979 | 364/2 | 0.105 |
| 343 | 0.093 | 365 | 0.028 |
| 346 | 0.024 | 366/1 | 0.186 |
| 347 | 0.020 | 366/2 | 0.186 |
| 348/1 | 0.061 | 367/1 | 0.101 |
| 348/2 | 0.060 | 367/2 | 0.101 |
| 349 | 0.041 | 368 | 0.105 |
| 350/1 | 0.016 | 369 | 0.057 |
| 350/2 | 0.017 | 370 | 0.053 |
| 351/1 | 0.030 | 371 | 0.065 |
| 351/2 | 0.010 | 372 | 0.065 |
| 352 | 0.032 | 373/1/2 | 0.009 |
| 353/1/1 | 0.045 | 373/1/2 | 0.009 |
| 353/1/2 | 0.045 | 373/2/1 | 0.010 |
| 353/2 | 0.384 | 373/2/2 | 0.009 |
| 353/3 | 0.053 | 373/3 | 0.019 |
| 354 | 0.219 | 374 | 0.040 |
| 355/1/1 | 0.012 | 375 | 0.446 |
| 355/1/2 | 0.012 | 376 | 0.202 |
| 355/3 | 0.006 | 377 | 0.190 |
| 355/4 | 0.060 | 378 | 0.210 |
| 353/4 | 0.060 | 379 | 0.194 |
| 355/2 | 0.025 | 380 | 0.041 |
| 355/5 | 0.006 | 381 | 0.065 |
| 355/6 | 0.006 | 382 | 0.352 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|-------|---------|-------|
| 383 | 0.405 | 427/2/2 | 0.202 |
| 384 | 0.894 | 427/3/2 | 0.203 |
| 385 | 0.320 | 427/3/4 | 0.202 |
| 386 | 0.380 | 428/1 | 0.186 |
| 387 | 0.704 | 428/2 | 0.186 |
| 389 | 0.324 | 428/3 | 0.186 |
| 390 | 0.251 | 428/4 | 0.187 |
| 391 | 0.446 | 429/1 | 0.140 |
| 392 | 0.020 | 430 | 0.250 |
| 393 | 0.109 | 434/1 | 0.600 |
| 394 | 0.446 | 434/2 | 0.100 |
| 395 | 0.263 | 435/2 | 0.400 |
| 396 | 0.263 | 435/3 | 0.207 |
| 397 | 0.413 | 435/4 | 0.200 |
| 398 | 0.263 | 436 | 0.745 |
| 399 | 0.105 | 437 | 0.081 |
| 400 | 0.105 | 438 | 0.077 |
| 401 | 0.049 | 439 | 0.032 |
| 402 | 0.049 | 440 | 0.543 |
| 403 | 0.154 | 441 | 0.061 |
| 404 | 0.129 | 442 | 1.108 |
| 405 | 1.165 | 443 | 0.040 |
| 406 | 0.384 | 444 | 0.275 |
| 407 | 0.475 | 445 | 0.040 |
| 408 | 0.012 | 446/1 | 0.191 |
| 409 | 0.283 | 446/2 | 0.191 |
| 410 | 0.142 | 446/3 | 0.096 |
| 411/1 | 0.071 | 447 | 0.004 |
| 411/2 | 0.071 | 448/1 | 0.353 |
| 412/1 | 0.469 | 448/2 | 0.353 |
| 412/2 | 0.469 | 448/3 | 0.177 |
| 413 | 0.769 | 449/1 | 0.038 |
| 414 | 1.574 | 449/2 | 0.039 |
| 415/1 | 0.350 | 450 | 0.146 |
| 416 | 0.454 | 451/1 | 0.152 |
| 419/3 | 0.263 | 451/2 | 0.151 |
| 419/4 | 0.383 | 451/3 | 0.151 |
| 420 | 0.113 | 452/1 | 0.009 |
| 421 | 0.308 | 452/2 | 0.010 |
| 422 | 0.263 | 452/3 | 0.009 |
| 423 | 0.121 | 453/1 | 0.014 |
| 425 | 0.121 | 453/2 | 0.014 |
| 427/1 | 0.648 | 453/3 | 0.013 |
| 427/2/1 | 0.202 | 454 | 0.000 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|---------|-------|
| 455/1 | 0.327 | 505/1 | 0.080 |
| 455/2 | 0.419 | 505/2 | 0.476 |
| 455/3 | 0.419 | 516 | 0.053 |
| 477 | 0.154 | 961 | 1.886 |
| 482/2 | 0.129 | 962/1/1 | 0.364 |
| 487 | 0.016 | 962/1/2 | 0.364 |
| 455/1 | 0.327 | 962/2 | 0.918 |
| 455/2 | 0.419 | 973 | 0.100 |
| 455/3 | 0.419 | 974 | 0.100 |
| 471 | 0.109 | 975 | 0.194 |
| 476/1 | 0.098 | 976/1/अ | 0.032 |
| 476/2 | 0.048 | 976/1/ब | 0.226 |
| 475 | 0.089 | 976/1/ख | 0.227 |
| 479 | 0.081 | 976/2/क | 0.032 |
| 480 | 0.069 | 977/1 | 0.067 |
| 481/1 | 0.071 | 977/2 | 0.067 |
| 481/2 | 0.071 | 978 | 0.121 |
| 482/1 | 0.259 | 979/1 | 0.061 |
| 483/1 | 0.113 | 979/2 | 0.061 |
| 483/2 | 0.114 | 980 | 0.129 |
| 484 | 0.105 | 981/1 | 0.118 |
| 485/1 | 0.051 | 981/2 | 0.116 |
| 485/2 | 0.050 | 982 | 0.162 |
| 486 | 0.049 | 983 | 0.138 |
| 488 | 0.057 | 984/1 | 0.081 |
| 489 | 0.061 | 984/2 | 0.081 |
| 490 | 0.400 | 985/1 | 0.141 |
| 491/1 | 0.077 | 985/2 | 0.142 |
| 491/2 | 0.077 | 986/1 | 0.109 |
| 492 | 0.324 | 986/2 | 0.109 |
| 493 | 0.080 | 987 | 0.591 |
| 496/1 | 0.040 | 988/1 | 0.375 |
| 496/2 | 0.040 | 988/2 | 0.362 |
| 497 | 0.049 | 1001 | 0.753 |
| 498 | 0.049 | 1002 | 0.142 |
| 499/1 | 0.053 | 1003 | 0.757 |
| 499/2 | 0.052 | 1004 | 0.405 |
| 500 | 0.340 | 1005/1 | 0.020 |
| 501 | 0.017 | 1005/2 | 0.020 |
| 502 | 0.065 | 1006/1 | 0.027 |
| 503/1 | 0.026 | 1006/2 | 0.026 |
| 503/2 | 0.028 | 1007/1 | 0.809 |
| 504/1 | 0.069 | 1007/2 | 0.283 |
| 504/2 | 0.069 | 1008/1 | 0.324 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|----------|-------|--------|-------|
| 1008/2 | 0.324 | 1035/1 | 0.101 |
| 1008/3 | 0.134 | 1035/2 | 0.101 |
| 1008/4 | 0.134 | 1036 | 0.239 |
| 1008/5 | 1.148 | 1037 | 0.057 |
| 1009/1/1 | 0.237 | 1038 | 0.223 |
| 1009/1/2 | 0.371 | 1039/1 | 0.693 |
| 1009/2 | 1.084 | 1039/2 | 0.396 |
| 1009/3/1 | 0.607 | 1039/3 | 0.396 |
| 1009/4 | 1.015 | 1040 | 0.049 |
| 1010/1 | 0.488 | 1041/1 | 0.152 |
| 1010/2 | 0.245 | 1041/2 | 0.082 |
| 1010/3 | 0.246 | 1041/3 | 0.082 |
| 1011 | 0.170 | 1042/1 | 0.213 |
| 1012 | 0.065 | 1042/2 | 0.106 |
| 1013 | 0.324 | 1042/3 | 0.106 |
| 1014 | 0.506 | 1043 | 0.150 |
| 1015 | 0.328 | 1044 | 0.057 |
| 1016/1 | 0.154 | 1045 | 0.121 |
| 1016/2 | 0.154 | 1046 | 0.020 |
| 1017 | 0.045 | 1047 | 0.081 |
| 1018 | 0.121 | 1048 | 0.129 |
| 1019/1 | 0.118 | 1049 | 0.138 |
| 1019/2 | 0.117 | 1050 | 0.162 |
| 1020/1 | 0.154 | 1051 | 0.150 |
| 1020/2 | 0.154 | 1052 | 0.061 |
| 1021 | 0.295 | 1053 | 0.061 |
| 1022 | 0.081 | 1054 | 0.041 |
| 1023 | 0.227 | 1055 | 0.040 |
| 1024 | 0.069 | 1056 | 0.146 |
| 1025/1 | 0.036 | 1057 | 0.121 |
| 1025/2 | 0.037 | 1058 | 0.073 |
| 1026 | 0.134 | 1059 | 0.032 |
| 1027/1 | 0.042 | 1060 | 0.045 |
| 1027/2 | 0.043 | 1061 | 0.170 |
| 1028/1 | 0.086 | 1062 | 0.162 |
| 1028/2 | 0.081 | 1063 | 0.283 |
| 1029/1 | 0.045 | 1064 | 0.081 |
| 1029/2 | 0.045 | 1065 | 0.065 |
| 1030/1 | 0.045 | 1066/1 | 0.124 |
| 1030/2 | 0.045 | 1067 | 0.101 |
| 1032 | 0.162 | 1068 | 0.113 |
| 1033 | 0.162 | 1069 | 0.141 |
| 1034/1 | 0.073 | 1070 | 0.142 |
| 1034/2 | 0.073 | 1071 | 0.231 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--------------|-------|--------------|-------|
| 1072 | 0.121 | 1097 | 1.032 |
| 1073 | 0.450 | 1098/1/1/1 | 0.103 |
| 1074 | 0.081 | 1098/1/1/2 | 0.103 |
| 1075 | 0.182 | 1098/2/1 | 0.154 |
| 1076 | 0.057 | 1098/2/2 | 0.154 |
| 1077 | 0.049 | 1098/1/2 | 0.206 |
| 1078 | 0.057 | 1098/1/3 | 0.206 |
| 1079 | 0.069 | 1098/2/3 | 0.309 |
| 1080 | 0.061 | 1099/1/क/1/1 | 0.194 |
| 1081 | 0.041 | 1099/1/क/1/2 | 0.194 |
| 1082 | 0.049 | 1099/1/ख/1 | 0.291 |
| 1083 | 0.012 | 1099/1/ख/2 | 0.291 |
| 1084 | 0.426 | 1099/1/ख/3 | 0.582 |
| 1085 | 0.624 | 1099/2 | 0.575 |
| 1086 | 0.138 | 1099/1/क/2 | 0.388 |
| 1087 | 0.138 | 1099/1/क/3 | 0.388 |
| 1088 | 0.672 | 1099/5/क/2 | 0.267 |
| 1089 | 0.676 | 1099/5/क/3 | 0.266 |
| 1090 | 0.012 | 1099/5/क/4 | 0.090 |
| 1091 | 0.547 | 1099/5/क/1/1 | 0.133 |
| 1092 | 0.162 | 1099/5/क/1/2 | 0.133 |
| 1093 | 0.061 | 1099/5/ख/1 | 0.099 |
| 1094 | 1.283 | 1099/5/ख/2 | 0.099 |
| 1096/4/क/1/1 | 0.016 | 1099/5/ख/3 | 0.198 |
| 1096/4/क/1/2 | 0.014 | 1101/1 | 0.567 |
| 1096/4/क/2 | 0.029 | 1101/2 | 0.611 |
| 1096/4/क/3 | 0.020 | 1102 | 1.339 |
| 1096/4/ख | 0.089 | 1103/1 | 0.392 |
| 1096/5/क/1 | 0.073 | 1103/2 | 0.393 |
| 1096/5/क/2 | 0.073 | 1104 | 0.462 |
| 1096/5/क/3 | 0.073 | 1105 | 1.145 |
| 1096/5/ख | 0.219 | 1106/1 | 0.809 |
| 1096/6/क/1 | 0.041 | 1109 | 0.680 |
| 1096/6/क/2 | 0.040 | 1112 | 1.291 |
| 1096/6/क/3 | 0.040 | 1115 | 0.470 |
| 1096/6/ख/1 | 0.105 | 1116/1 | 0.400 |
| 1096/6/ख/2 | 0.017 | 1120 | 0.656 |
| 1096/7/1 | 0.068 | 1121 | 0.789 |
| 1096/7/2 | 0.067 | 1122 | 1.477 |
| 1096/7/3 | 0.067 | 1123 | 1.821 |
| 1096/8/क/1 | 0.033 | 1124/1125 | 0.445 |
| 1096/8/क/2 | 0.034 | 1126/1/1 | 0.682 |
| 1096/8/ख/1 | 0.046 | 1126/1/2 | 0.682 |
| 1096/8/ख/2 | 0.028 | 1126/2/1 | 0.405 |
| 1096/8/क/3 | 0.034 | 1126/2/2 | 0.405 |
| 1096/8/क/3 | 0.027 | 1129/1 | 0.201 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|----------------|-------------|--------------|
| 1129/2 | 0.200 | 3438/3 मेसे | 0.009 |
| 1130/1 | 0.200 | 3438/3 मेसे | 0.009 |
| 1131/1 | 2.016 | 3438/3 | 0.009 |
| 1131/2/1 | 0.400 | 3438/3 | 0.009 |
| 1132 | 0.575 | 3438/3 | 0.009 |
| 1136/1 | 0.777 | 3438/3 | 0.009 |
| 1136/2 | 0.263 | 3438/2/1 | 0.009 |
| 1136/4 | 0.575 | 3438/2/1 | 0.009 |
| 1136/5 | 0.583 | 3438/2/1 | 0.009 |
| 1137/1 | 0.100 | 3438/2/1 | 0.009 |
| 1137/2/1 | 0.800 | 3438/2/1 | 0.009 |
| 1137/2/2/1 | 0.300 | 3438/2/1 | 0.009 |
| 1137/2/2/2 | 0.400 | 3438/2/1 | 0.009 |
| 1163 | 0.239 | 3438/2/1 | 0.009 |
| 1164/1 | 0.253 | 3438/2/1 | 0.009 |
| 1164/2 | 0.253 | 3438/2/1 | 0.018 |
| 1165/1 | 0.118 | 3438/2/1 | 0.009 |
| 1165/2 | 0.118 | 3438/2/1 | 0.009 |
| 1166/2 | 0.214 | 3438/2/1 | 0.009 |
| योग . . | <u>237.643</u> | 3438/11/3 | 0.009 |
| | | 3438/2/19 | 0.009 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु. | | 3451/1/9 | 0.009 |
| | | 3451/1/1 | 0.009 |
| | | 3456/1/2/3 | 0.009 |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर में किया जा सकता है. | | 3456/1/2/6 | 0.009 |
| | | 3457/1/5/2 | 0.009 |
| | | 3438/2/15 | 0.009 |
| | | 3800 | 0.035 |
| | | 3802 | 0.090 |
| | | 3799 | 0.040 |
| | | 3797/1/1 | 0.105 |
| | | 3797/2/1 | 0.030 |
| | | 3797/2/2 | 0.002 |
| | | 3797/2/3 | 0.003 |
| | | योग . . | <u>0.557</u> |

प्र. क्र. 10-अ-82-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- | | |
|---|---|
| (1) भूमि का वर्णन— | (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—ललितपुर-सिंगरौली (खजुराहो) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु. |
| (क) जिला—छतरपुर | |
| (ख) तहसील—छतरपुर | |
| (ग) नगर/ग्राम—छतरपुर (पूर्व) | |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —0.557 हैक्टर. | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. |
| ख. नं. | अर्जित रकबा |
| | (है. में) |
| (1) | (2) |
| 3438/3 मेसे | 0.009 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

प्र.क्र. 23-अ 82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—रेखा,
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.808 हेक्टर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हेक्टर में) |
|-------------|-----------------------------|
| (1) | (2) |
| 455 | 0.022 |
| 456,457,462 | 0.125 |
| 430 | 0.010 |
| 425,428/2 | 0.154 |
| 421 | 0.172 |
| 312 | 0.010 |
| 319/1 | 0.025 |
| 57/1 | 0.015 |
| 466 | 0.010 |
| 464,465 | 0.175 |
| 72 | 0.090 |
| योग . . . | <u>0.808</u> |

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 25-अ 82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—देवीखेड़ा,
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.090 हेक्टर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हेक्टर में) |
|-----------|-----------------------------|
| (1) | (2) |
| 15 | 0.005 |
| 62 | 0.010 |
| 207/1 | 0.070 |
| 297 | 0.005 |
| योग . . . | <u>0.090</u> |

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 26-अ 82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—पट्टी,
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.458 हेक्टर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हेक्टर में) |
|-----------|-----------------------------|
| (1) | (2) |
| 204/1 | 0.320 |
| 204/3 | 0.020 |
| 201 | 0.014 |
| 192 | 0.044 |
| 204/2 | 0.060 |
| योग . . . | <u>0.458</u> |

- (2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 28-अ 82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—गिरधोरी,
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.450 हेक्टर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हेक्टर में) |
|-----------|-----------------------------|
| (1) | (2) |
| 327/2/1 | 0.060 |
| 327/2/2 | 0.060 |
| 327/2/3 | 0.060 |
| 367/1 | 0.090 |
| 367/2 | 0.180 |
| योग . . . | 0.450 |

- (2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत गिरधोरी शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 29-अ- 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—पीरा

- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.045 हेक्टर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हेक्टर में) |
|-----------|-----------------------------|
| (1) | (2) |
| 2406 | 0.045 |
| योग | 0.045 |

- (2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 30-अ 82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—हंसपुरा,
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.380 हेक्टर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकवा (हेक्टर में) |
|-----------|-----------------------------|
| (1) | (2) |
| 219 | 0.270 |
| 585 | 0.020 |
| 586 | 0.005 |
| 587 | 0.030 |
| 588 | 0.015 |
| 589 | 0.040 |
| योग . . . | 0.380 |

- (2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा एवं मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 3 दिसम्बर 2013

पत्र क्र. 1359-भू-अर्जन-पथरिया-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—बटियागढ़
(ग) नगर/ग्राम—पौड़ी, नयागांव, डुंगरूपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.13 हेक्टेयर.

ग्राम-पौड़ी

| खसरा क्रमांक (1) | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|------------------------|--------------------------------------|
| 5 में से | 1.33 |
| 6 में से | 0.47 |
| 7 में से | 0.30 |
| 9/1 में से | 0.17 |
| 9/2 में से | 0.16 |
| 9/3 में से | 0.16 |
| 10 में से | 0.20 |
| 11/1 में से | 0.96 |
| 11/2 में से | 0.40 |
| 13/1 में से | 1.68 |
| 13/2 में से | 0.60 |
| 14 में से | 1.10 |
| 15 में से | 0.30 |
| 20 में से | 0.59 |
| 21 में से | 0.35 |
| 46 में से | 0.80 |
| योग . . | 9.57 |

ग्राम-नयागांव

| | |
|------------|------|
| 2 में से | 1.60 |
| 3 में से | 0.67 |
| 8/1 में से | 0.20 |
| 8/2 में से | 0.72 |

| (1) | (2) |
|----------------|------|
| 8/3 में से | 0.06 |
| 8/4 में से | 0.48 |
| 8/5 में से | 0.08 |
| 8/6 में से | 0.42 |
| 8/7 में से | 0.20 |
| 8/8 में से | 0.41 |
| 9/1 में से | 0.61 |
| 9/2 में से | 0.61 |
| 9/3 में से | 0.60 |
| 10 में से | 0.39 |
| 11/1 में से | 0.14 |
| 11/2 में से | 0.13 |
| 11/3 में से | 0.13 |
| 26/1 में से | 0.05 |
| 12/1 में से | 0.25 |
| 12/2 में से | 0.04 |
| 24/3 में से | 0.15 |
| 42 में से | 0.40 |
| 43/1 में से | 0.18 |
| 53/1 में से | 0.09 |
| 53/2 में से | 0.18 |
| 61/1 में से | 0.03 |
| 61/2 में से | 0.05 |
| 61/3 में से | 0.09 |
| 63 में से | 0.15 |
| 69/1, 2 में से | 0.12 |
| 95 में से | 0.12 |
| 94 में से | 0.10 |
| 93 में से | 0.12 |
| 108/1 में से | 0.15 |
| 108/2 में से | 0.05 |
| 114/2 में से | 0.16 |
| योग . . | 9.93 |

ग्राम-डुंगरूपुरा

| | |
|-------------|-------|
| 61 में से | 0.13 |
| 64/1 में से | 0.08 |
| 64/2 में से | 0.04 |
| 65/1 में से | 0.07 |
| 65/2 में से | 0.03 |
| 75/2 में से | 0.03 |
| 75/1 में से | 0.15 |
| 43/1 में से | 0.10 |
| योग . . | 0.63 |
| कुल योग . . | 20.13 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता

है—भिलौनी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर में आने वाली भूमि हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

पत्र क्र. 1360-भू-अर्जन-पथरिया-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पथरिया
(ग) नगर/ग्राम—चौपरा, नंदरई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.23 हेक्टेयर.

| खसरा क्रमांक (1) | अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|------------------------|--------------------------------------|
| 36/3 में से | 0.10 |
| 176 में से | 0.13 |
| योग . . . 0.23 | |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—चौपरा जलाशय योजना के स्पिल चैनल एवं नहर में आने वाली शेष भूमि हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 3 दिसम्बर 2013

क्र. 10412-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू. एल. तक डूब में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा
(ग) ग्राम—कुशलपुरा, तालुड़ी, सुवांहेड़ी, नलखेड़ा एवं पगारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—90.102 हेक्टेयर.

सर्वे नं. रकबा
(हेक्टर में)

(1) (2)

ग्राम—कुशलपुरा

| | |
|------------|-------|
| 28 में से | 0.372 |
| 32/1/1 | 0.330 |
| 33 | 0.126 |
| 35/1 | 0.275 |
| 34/1 | 0.070 |
| 34/2 | 0.273 |
| 48/1 | 0.225 |
| 49/1 | 0.584 |
| 51/1 | 0.152 |
| 51/2 | 0.179 |
| 51/3 | 0.152 |
| 51/4 | 0.152 |
| 52/1 | 0.528 |
| 53 | 0.138 |
| 90 में से | 0.960 |
| 91 में से | 0.257 |
| 92 में से | 0.492 |
| 106 में से | 0.026 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------------|--------------|---------|---------------|
| 107 में से | 0.177 | 725/1 | 0.126 |
| 110 में से | 0.117 | 719 | 0.038 |
| 111 में से | 0.295 | 715 | 0.150 |
| 114 में से | 0.130 | 716 | 0.506 |
| 115 में से | 2.048 | 708 | 0.063 |
| 118 में से | 0.900 | 709 | 0.099 |
| 119 | 0.050 | 706/1 | 0.226 |
| 120 | 0.190 | 674 | 0.291 |
| 121/1 | 0.028 | 675 | 0.125 |
| योग . . | <u>9.226</u> | योग . . | <u>10.374</u> |

ग्राम-तालुड़ी

| | |
|------------|-------|
| 965/2/1 | 0.100 |
| 955/1/30 | 0.030 |
| 955/1/31 | 0.032 |
| 955/1/32 | 0.013 |
| 955/1/33 | 0.300 |
| 955/1/25 | 0.100 |
| 955/1/26 | 0.140 |
| 947/38 | 0.130 |
| 947/9 | 0.168 |
| 945/2 | 0.911 |
| 944 | 0.486 |
| 725/2 | 0.126 |
| 940/2 | 0.200 |
| 940/1 | 0.200 |
| 717 | 0.051 |
| 718 | 0.038 |
| 720 | 1.012 |
| 722 | 0.873 |
| 714 | 0.152 |
| 706/2 | 0.581 |
| 707 | 0.025 |
| 955 में से | 0.300 |
| 947/29 | 0.115 |
| 947/40 | 0.128 |
| 947/41 | 0.115 |
| 947/43 | 0.240 |
| 947/37 | 0.230 |
| 915 | 0.598 |
| 912/1 | 1.356 |

ग्राम-सुवाहिड़ी

| | |
|---------------|-------|
| 13 | 0.051 |
| 24 | 0.125 |
| 36 | 0.090 |
| 14/1 | 0.089 |
| 14/2 | 0.013 |
| 15 | 0.139 |
| 17/2 | 0.345 |
| 22/1 | 0.534 |
| 22/2 | 0.260 |
| 19 | 0.115 |
| 76/6/1 | 0.064 |
| 21/1/1 | 0.074 |
| 21/1/2 | 0.060 |
| 21/2 | 0.068 |
| 23/1 | 0.253 |
| 23/2/1 | 0.316 |
| 23/2/2 | 0.253 |
| 23/2/3 | 0.253 |
| 23/2/4 | 0.506 |
| 40 में से | 0.016 |
| 51/1 | 0.132 |
| 255/63/1 | 0.010 |
| 65 में से | 0.126 |
| 74/1/1 | 0.173 |
| 76/4/1 में से | 0.407 |
| 76/4/2 | 0.070 |
| 76/7 | 0.157 |
| 76/11/1 | 0.956 |
| 194/1/1/3/6 | 2.000 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 194/1/1/4 | 0.733 | 247 | 0.493 |
| 194/1/2/3 | 0.987 | 246 | 0.266 |
| 194/1/3/8 | 0.085 | 248 | 0.316 |
| 194/1/2/4 | 2.000 | 86/1/2 | 0.506 |
| 194/1/3/4 | 2.000 | 86/2 | 0.190 |
| 194/1/3/5 | 2.000 | 86/3 | 0.215 |
| 194/7 | 0.500 | 89/1 | 0.114 |
| 74/2/1 | 0.085 | 89/2 | 0.101 |
| योग . . | <u>16.045</u> | 89/3 | 0.101 |
| | | 110 | 0.379 |
| ग्राम-नलखेड़ा | | 111/1 | 0.089 |
| 2/1/2 | 1.101 | 111/2 | 0.089 |
| 86/1/3/3 | 0.100 | 264/1 | 0.100 |
| 2/1/3 | 1.503 | 264/2 | 0.100 |
| 2/1/4 | 2.529 | 231 | 0.519 |
| 2/1/5 | 1.106 | 232/1 | 0.171 |
| 253/2 | 0.024 | 232/2 | 0.171 |
| 2/4 | 1.012 | 250/1 | 0.386 |
| 2/5 | 0.379 | 251/1 | 0.186 |
| 2/6 | 1.012 | 252/1 | 0.405 |
| 2/7 | 0.500 | 234 | 0.316 |
| 86/1/1 | 0.253 | 236 | 0.038 |
| 111/3 | 0.089 | 237 | 0.051 |
| 113 | 0.114 | 2/1/7/2 | 3.869 |
| 250/2 | 0.386 | 249/1 | 0.367 |
| 251/2 | 0.093 | 249/2 | 0.367 |
| 252/2 | 0.150 | 253/1 | 0.070 |
| 114/1 | 0.038 | 253/3 | 0.024 |
| 114/2 | 0.038 | 253/4 | 0.118 |
| 115 | 0.089 | 253/5 | 0.118 |
| 116 में से | 0.240 | 254/2 | 0.037 |
| 229/1 | 1.012 | 254/3 | 0.125 |
| 229/2 | 0.306 | 254/4 | 0.519 |
| 238 | 0.076 | 264/1 | 0.100 |
| 239 | 0.025 | योग . . | <u>24.786</u> |
| 240 | 0.215 | | |
| 241 | 0.076 | ग्राम-पगारा | |
| 245 | 0.089 | 72 | 0.038 |
| 242 | 0.215 | 319 | 0.101 |
| 244 | 0.405 | 321/1 | 0.126 |
| 243 | 0.595 | 493 | 0.974 |
| | | 342/1 | 0.139 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|-------|-----------|-------|
| 353 | 0.177 | 316 | 0.164 |
| 73 | 0.569 | 317 | 0.139 |
| 74 | 0.228 | 336 | 0.291 |
| 75/1 | 0.189 | 318 | 0.139 |
| 76/2 | 0.031 | 337 | 0.291 |
| 297/1 | 0.158 | 321/3 | 0.064 |
| 75/2 | 0.190 | 338/3/2 | 0.063 |
| 76/1 | 0.032 | 361/2/2 | 0.054 |
| 297/2 | 0.158 | 322 | 0.278 |
| 77/1/1 | 0.057 | 323 | 0.468 |
| 296/1 | 0.183 | 334/2 | 0.645 |
| 300/2/2 | 0.459 | 90 में से | 0.519 |
| 77/1/2 | 0.057 | 291 | 0.263 |
| 296/2 | 0.133 | 292/3/1 | 0.017 |
| 300/2/4 | 0.253 | 292/1 | 0.033 |
| 361/2/1 | 0.054 | 320/1 | 0.113 |
| 361/2/1 | 0.054 | 321/2 | 0.114 |
| 293 | 0.215 | 338/1 | 0.253 |
| 340 | 0.215 | 292/2 | 0.034 |
| 294 | 0.444 | 300/3 | 0.484 |
| 239/1 | 0.632 | 300/4 | 0.506 |
| 300/1/1 | 2.529 | 361/2 | 0.056 |
| 302/3 | 0.253 | 320/2 | 0.051 |
| 304/2 | 0.177 | 338/2 | 0.126 |
| 332/2 | 0.158 | 292/3/2 | 0.017 |
| 321/4 | 0.064 | 320/3 | 0.051 |
| 311/2 | 0.076 | 338/3/1 | 0.063 |
| 307/2 | 0.120 | 511/1/2 | 0.505 |
| 310/2 | 0.089 | 304/1 | 0.177 |
| 300/1/2 | 0.734 | 307/1 | 0.120 |
| 308 | 0.101 | 310/1 | 0.088 |
| 309 | 0.417 | 311/1 | 0.076 |
| 300/1/3 | 0.819 | 332/1 | 0.158 |
| 300/2 | 1.770 | 305/1 | 0.139 |
| 303 | 0.152 | 329/3 | 0.105 |
| 511/2/1 | 0.169 | 305/2 | 0.059 |
| 306 | 0.152 | 330/1 | 0.106 |
| 327 | 0.607 | 305/3 | 0.059 |
| 312 | 0.139 | 330/2 | 0.105 |
| 313/2 | 0.101 | 305/4 | 0.059 |
| 329/2 | 0.105 | 330/3 | 0.105 |
| 314 | 0.354 | 305/5 | 0.038 |
| 341 | 0.202 | 313/1 | 0.051 |
| 315 | 0.177 | 329/1 | 0.106 |

| (1) | (2) | (ग) ग्राम—पलोह, प.ह.नं. 7 | (घ) लगभग क्षेत्रफल—78.37 हेक्टेयर. |
|--|--------|---------------------------|------------------------------------|
| | | खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
| | | (1) | (2) |
| 511/1/2 | 1.607 | 6/1 | 0.03 |
| 333 | 0.329 | 17 | 0.24 |
| 504 | 0.557 | 97 | 0.03 |
| 334/1/1 | 0.329 | 118 | 0.06 |
| 511/1/1/3 | 0.500 | 37/1 | 1.00 |
| 335 | 0.468 | 7 | 0.08 |
| 352 | 0.152 | 16/2 | 0.90 |
| 339/2 | 0.253 | 24/2 | 0.40 |
| 342/2 | 0.139 | 8/1 | 0.55 |
| 331 | 0.329 | 11 | 0.01 |
| 343/1 | 0.022 | 11 | 0.01 |
| 351/1 | 0.013 | 23 | 0.25 |
| 343/2 | 0.079 | 30 | 0.73 |
| 351/2 | 0.012 | 57 | 0.08 |
| 474 | 0.531 | 8/2 | 0.60 |
| 334/1/2 | 0.329 | 12 | 0.05 |
| 511/1/1 | 0.504 | 9 | 0.51 |
| 533 | 0.835 | 10 | 0.21 |
| योग . . . | 29.671 | 13 | 0.17 |
| महायोग . . . | 90.102 | 24/1 | 0.38 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू.एल. तक डूब में प्रभावित भूमि हेतु. | | 36 | 0.40 |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है. | | 46 | 0.08 |
| मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. | | 51 | 0.13 |
| कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 2 दिसम्बर 2013 | | 56 | 0.01 |
| प्र. क्र. 12147-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- | | 197 | 0.06 |
| अनुसूची | | 199 | 0.08 |
| (1) भूमि का वर्णन— | | 372 | 0.10 |
| (क) जिला—सागर | | 14/1 | 0.85 |
| (ख) तहसील—केसली | | 14/2 | 0.60 |
| | | 27 | 0.70 |
| | | 152/1 | 0.02 |
| | | 156/1 | 0.15 |
| | | 15/1 | 0.22 |
| | | 18/1 | 0.05 |
| | | 90 | 0.05 |
| | | 172/1 | 0.42 |
| | | 179/1 | 1.29 |
| | | 383/1 | 0.07 |
| | | 15/2 | 0.34 |
| | | 18/2 | 0.04 |
| | | 172/2 | 0.42 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--------|------|--------|------|
| 179/2 | 1.30 | 49/2 | 0.04 |
| 180/2 | 0.30 | 89/1 | 0.14 |
| 383/2 | 0.08 | 174/2 | 1.00 |
| 15/3 | 0.13 | 191 | 0.30 |
| 18/3 | 0.04 | 193/3 | 0.30 |
| 15/4 | 0.25 | 35 | 0.04 |
| 16/1 | 0.10 | 47 | 0.07 |
| 16/3 | 0.24 | 37/2 | 1.00 |
| 18/4 | 0.04 | 38 | 0.04 |
| 19 | 0.03 | 42/3 | 0.02 |
| 393 | 0.57 | 163 | 0.13 |
| 397 | 2.99 | 164 | 0.47 |
| 20 | 1.29 | 165 | 0.13 |
| 21 | 0.44 | 167 | 0.22 |
| 26 | 0.35 | 174/4 | 0.50 |
| 42/2 | 0.02 | 188 | 0.04 |
| 174/1 | 0.50 | 193/5 | 0.30 |
| 177 | 0.17 | 365 | 0.13 |
| 193/2 | 0.30 | 411/17 | 0.80 |
| 378/3 | 0.22 | 40 | 0.64 |
| 411/18 | 0.54 | 41 | 0.07 |
| 22 | 0.25 | 119 | 0.05 |
| 88 | 0.07 | 53/2 | 0.04 |
| 24/3 | 0.78 | 193/1 | 0.30 |
| 25 | 0.93 | 378/2 | 0.22 |
| 32 | 0.21 | 44 | 0.47 |
| 34/1 | 0.65 | 45 | 0.71 |
| 49/1 | 0.03 | 53/1 | 0.02 |
| 50 | 0.10 | 54/1 | 0.03 |
| 86 | 0.03 | 58 | 0.01 |
| 107 | 0.03 | 60/423 | 0.01 |
| 120 | 0.20 | 89/2 | 0.10 |
| 160 | 0.36 | 174/3 | 0.61 |
| 173 | 2.75 | 193/4 | 0.30 |
| 175 | 0.84 | 378/4 | 0.16 |
| 186 | 0.20 | 91 | 0.04 |
| 190 | 0.13 | 92 | 0.04 |
| 192 | 0.10 | 386 | 0.20 |
| 194 | 0.88 | 390 | 1.25 |
| 373 | 0.01 | 93 | 0.02 |
| 28 | 0.37 | 389 | 1.25 |
| 29 | 0.13 | 401 | 0.50 |
| 385 | 1.07 | 96 | 0.06 |
| 33 | 0.19 | 195 | 0.08 |
| 34/2 | 0.65 | 366 | 0.02 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|------|--------|-----------------|
| 98 | 0.03 | 411/10 | 0.60 |
| 123 | 0.04 | 411/11 | 1.10 |
| 124 | 0.02 | 411/12 | 0.65 |
| 152/2 | 0.02 | 411/19 | 0.40 |
| 156/2 | 0.05 | | योग . . . 78.37 |
| 166 | 1.10 | | |
| 170 | 0.89 | | |
| 180/1 | 0.30 | | |
| 181/1 | 0.50 | | |
| 184 | 1.32 | | |
| 374/1 | 0.18 | | |
| 382/1 | 0.92 | | |
| 181/2 | 0.28 | | |
| 181/3 | 0.28 | | |
| 183/1 | 0.27 | | |
| 382/2 | 0.10 | | |
| 183/2 | 0.27 | | |
| 382/3 | 0.10 | | |
| 183/3 | 0.19 | | |
| 374/2 | 0.14 | | |
| 382/4 | 0.10 | | |
| 183/4 | 0.33 | | |
| 382/5 | 0.10 | | |
| 183/5 | 0.27 | | |
| 382/6 | 0.10 | | |
| 183/6 | 0.14 | | |
| 185 | 1.81 | | |
| 380/1 | 0.80 | | |
| 380/2 | 1.61 | | |
| 388/1 | 0.35 | | |
| 388/2 | 1.73 | | |
| 391 | 0.57 | | |
| 395 | 2.88 | | |
| 392 | 2.16 | | |
| 398/424 | 0.45 | | |
| 399/1 | 1.65 | | |
| 399/2 | 1.66 | | |
| 399/3 | 1.65 | | |
| 399/4 | 1.65 | | |
| 400 | 0.48 | | |
| 406 | 0.35 | | |
| 409/2 | 0.25 | | |
| 411/8 | 0.41 | | |
| 411/9 | 1.00 | | |
| | | खसरा | अर्जित रकबा |
| | | नंबर | (हेक्टर में) |
| | | (1) | (2) |
| | | 114 | 0.550 |
| | | 115 | 0.230 |
| | | 116 | 0.120 |
| | | 117 | 1.920 |
| | | 119 | 0.900 |
| | | 130 | 0.070 |
| | | 134 | 0.170 |
| | | 135 | 0.050 |
| | | 136 | 0.030 |
| | | 277 | 0.370 |
| | | 278/1 | 0.180 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु अंतर्गत. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 केसली सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसली के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

क्र.-क-12243-भू.-अर्जन-2013 प्र. क्र.-12-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बंडा
(ग) ग्राम—पगरा
(घ) क्षेत्रफल—31.97 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1) अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

| खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|--------------------------|
| 114 | 0.550 |
| 115 | 0.230 |
| 116 | 0.120 |
| 117 | 1.920 |
| 119 | 0.900 |
| 130 | 0.070 |
| 134 | 0.170 |
| 135 | 0.050 |
| 136 | 0.030 |
| 277 | 0.370 |
| 278/1 | 0.180 |

| | |
|--------|-------|
| (1) | (2) |
| 278/2क | 0.010 |
| 278/2ख | 0.040 |
| 278/3 | 0.190 |
| 279 | 0.250 |
| 280 | 0.020 |
| 294 | 0.010 |
| 308/1 | 0.050 |
| 308/2 | 0.040 |
| 308/3 | 0.050 |
| 337 | 0.100 |
| 339 | 0.660 |
| 342 | 2.000 |
| 344 | 2.020 |
| 347/1 | 0.240 |
| 347/2 | 0.240 |
| 347/3 | 0.240 |
| 347/4 | 0.240 |
| 347/5 | 0.250 |
| 348 | 1.420 |
| 350 | 0.230 |
| 354 | 1.960 |
| 355 | 2.100 |
| 356 | 1.120 |
| 358 | 0.250 |
| 359 | 1.120 |
| 360 | 0.530 |
| 372/1 | 0.130 |
| 374 | 0.730 |
| 375 | 0.710 |
| 377 | 0.270 |
| 378 | 0.020 |
| 379 | 0.550 |
| 383 | 0.040 |
| 384/1 | 0.120 |
| 384/2 | 0.360 |
| 384/3 | 0.570 |
| 384/4 | 0.340 |
| 385 | 1.170 |
| 386 | 0.880 |
| 387 | 1.960 |
| 388/1 | 0.060 |
| 388/2 | 0.160 |
| 388/3 | 0.290 |
| 389/1 | 0.710 |

| | |
|---------|--------------|
| (1) | (2) |
| 389/2 | 0.500 |
| 389/3 | 0.720 |
| 389/4 | 0.640 |
| 389/5 | 0.430 |
| 389/6 | 0.640 |
| योग . . | <u>31.97</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-क-12244-भू.-अर्जन-2013 प्र. क्र.-13-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बंडा
(ग) ग्राम—चन्द्रपुरा
(घ) क्षेत्रफल—215.410 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 12 | 0.100 |
| 13 | 1.190 |
| 15/1 | 0.530 |
| 15/2 | 0.440 |
| 16/1 | 0.060 |
| 16/2 | 0.450 |
| 17/1 | 0.400 |
| 17/2 | 0.340 |
| 18/1 | 0.120 |
| 18/2 | 0.460 |
| 19 | 0.930 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------|-------|------|-------|
| 20 | 1.350 | 52 | 1.010 |
| 21 | 0.680 | 54 | 0.300 |
| 22 | 0.750 | 56 | 0.460 |
| 23/1 | 0.730 | 57 | 0.160 |
| 23/2 | 0.360 | 58 | 1.120 |
| 23/3 | 0.370 | 59/1 | 0.530 |
| 24/1 | 0.260 | 59/2 | 0.800 |
| 24/2 | 0.210 | 60 | 2.600 |
| 24/3 | 0.540 | 61/1 | 1.350 |
| 25 | 0.660 | 61/2 | 1.650 |
| 26 | 0.050 | 62/1 | 0.230 |
| 27 | 0.640 | 62/2 | 0.200 |
| 28 | 0.750 | 62/3 | 1.250 |
| 29/1 | 0.120 | 63/1 | 0.480 |
| 29/2 | 0.230 | 63/2 | 0.540 |
| 30 | 0.470 | 63/3 | 0.710 |
| 31 | 0.170 | 64/1 | 0.530 |
| 32/1 | 0.400 | 64/2 | 0.470 |
| 32/2 | 0.950 | 65 | 0.190 |
| 32/3 | 0.910 | 66 | 0.350 |
| 33/1 | 2.280 | 68 | 0.420 |
| 33/2 | 1.310 | 69 | 1.500 |
| 34 | 1.000 | 70 | 0.250 |
| 35 | 0.970 | 71 | 0.110 |
| 36 | 0.100 | 72 | 1.050 |
| 37 | 0.660 | 73 | 1.990 |
| 38/1 | 0.450 | 74 | 0.840 |
| 38/2 | 0.150 | 75/1 | 0.270 |
| 39 | 1.210 | 75/2 | 1.000 |
| 40 | 1.450 | 75/3 | 1.200 |
| 41 | 0.550 | 75/4 | 2.400 |
| 42 | 0.800 | 76 | 1.050 |
| 43 | 1.830 | 77 | 0.910 |
| 44 | 0.790 | 78 | 0.450 |
| 45/1 | 0.150 | 79 | 0.640 |
| 45/2 | 0.150 | 80 | 0.560 |
| 46/1 | 0.230 | 81/1 | 0.300 |
| 46/2 | 0.230 | 81/2 | 0.160 |
| 47/1 | 0.760 | 82/1 | 0.140 |
| 47/2 | 1.000 | 82/2 | 0.140 |
| 48 | 0.280 | 83/1 | 0.330 |
| 49 | 0.860 | 83/2 | 0.280 |
| 50 | 3.010 | 84/1 | 1.000 |
| 51 | 1.460 | 84/2 | 0.370 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--------|-------|---------|-------|
| 85 | 0.52 | 143/2 | 0.330 |
| 86/1 | 0.410 | 147 | 0.210 |
| 86/2 | 0.990 | 148 | 0.170 |
| 86/3 | 0.400 | 150/1 | 1.00 |
| 87/1 | 0.700 | 150/2 | 0.480 |
| 87/2 | 0.220 | 151 | 0.340 |
| 87/3 | 0.400 | 152 | 0.070 |
| 87/4 | 0.110 | 153 | 0.060 |
| 87/408 | 1.000 | 153/402 | 0.010 |
| 87/5 | 0.230 | 156 | 1.510 |
| 88 | 0.150 | 157/1 | 0.530 |
| 89/1 | 0.120 | 157/2 | 0.540 |
| 89/2 | 0.450 | 158 | 0.350 |
| 89/3 | 0.450 | 159 | 0.240 |
| 90 | 0.500 | 160/1 | 1.300 |
| 91 | 1.160 | 160/2 | 0.440 |
| 92 | 0.170 | 160/407 | 0.860 |
| 93/1क | 0.100 | 161/1 | 2.040 |
| 93/1ख | 0.280 | 161/2 | 0.400 |
| 93/2 | 0.400 | 162 | 1.390 |
| 94 | 0.110 | 163/1 | 0.680 |
| 95/1 | 0.600 | 163/2 | 0.240 |
| 95/2 | 0.510 | 163/406 | 0.400 |
| 96 | 0.100 | 164/400 | 0.350 |
| 98 | 0.150 | 165 | 1.740 |
| 99 | 0.680 | 166/1 | 0.660 |
| 100 | 0.730 | 166/2 | 0.130 |
| 101 | 0.050 | 167 | 1.010 |
| 104 | 0.110 | 168/1 | 0.340 |
| 105 | 0.130 | 168/2 | 0.340 |
| 110 | 0.020 | 169/1 | 0.470 |
| 113 | 0.060 | 169/2 | 0.480 |
| 114 | 0.010 | 170 | 0.320 |
| 115/1 | 0.050 | 171/1 | 0.420 |
| 115/2 | 0.090 | 171/2 | 0.210 |
| 118/1 | 0.050 | 171/3 | 0.220 |
| 118/2 | 0.050 | 172/1 | 0.230 |
| 119 | 0.120 | 172/2 | 0.110 |
| 128 | 0.030 | 172/3 | 0.110 |
| 129 | 0.040 | 173/1 | 0.230 |
| 131 | 0.050 | 173/2 | 0.120 |
| 132 | 0.020 | 173/3 | 0.120 |
| 134 | 0.080 | 174 | 0.540 |
| 136 | 0.060 | 175 | 1.530 |
| 143/1 | 0.330 | 176/1 | 0.500 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|---------|-------|
| 176/2 | 0.500 | 207/1 | 0.120 |
| 177 | 0.850 | 207/2 | 0.020 |
| 178 | 0.11 | 208 | 0.390 |
| 179 | 0.050 | 209 | 0.030 |
| 180/1 | 0.030 | 210/1 | 0.040 |
| 180/2 | 0.020 | 210/2 | 0.050 |
| 181/1 | 2.710 | 210/3 | 0.050 |
| 181/2 | 1.920 | 210/4 | 0.050 |
| 184/1 | 1.000 | 211/1 | 0.130 |
| 184/2 | 0.450 | 211/2 | 0.110 |
| 184/3 | 0.560 | 211/3 | 0.110 |
| 186 | 0.180 | 211/4 | 0.120 |
| 187/1 | 0.500 | 212/1 | 0.690 |
| 187/2 | 0.500 | 212/2 | 0.700 |
| 188 | 0.400 | 213/1 | 0.230 |
| 189 | 0.210 | 213/2 | 0.240 |
| 190 | 0.600 | 213/3 | 0.260 |
| 191/1 | 0.320 | 213/4 | 0.230 |
| 191/2 | 0.400 | 214/1 | 0.060 |
| 192 | 0.540 | 214/2 | 0.520 |
| 193/1 | 0.790 | 214/3 | 0.130 |
| 193/2 | 0.700 | 215/1-2 | 0.520 |
| 194 | 0.410 | 216/1-2 | 0.500 |
| 195 | 0.810 | 217 | 1.050 |
| 196/1 | 0.330 | 219 | 0.490 |
| 196/2 | 0.120 | 220/1 | 0.350 |
| 197/1 | 0.280 | 220/2 | 0.220 |
| 197/2 | 0.180 | 220/3 | 0.360 |
| 197/3 | 0.180 | 221 | 1.800 |
| 197/4 | 0.180 | 224 | 0.650 |
| 197/5 | 0.180 | 225/1 | 0.020 |
| 198/1 | 0.340 | 225/2 | 0.160 |
| 198/2 | 0.330 | 226 | 0.510 |
| 199/1 | 0.140 | 227/1 | 0.300 |
| 199/2 | 0.140 | 227/2 | 0.610 |
| 200 | 0.330 | 228 | 0.330 |
| 201/1 | 0.060 | 229 | 0.650 |
| 201/2 | 0.070 | 230 | 0.250 |
| 203/1 | 0.180 | 231/1 | 0.560 |
| 203/2 | 0.180 | 231/2 | 0.400 |
| 205 | 0.370 | 232/1 | 0.300 |
| 206/1 | 0.130 | 232/2 | 0.090 |
| 206/2 | 0.120 | 232/3 | 0.710 |
| 206/3 | 0.120 | 233 | 0.950 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-----------|-------|-------|-------|
| 233/396/1 | 0.740 | 266/2 | 0.480 |
| 233/396/2 | 0.710 | 267/1 | 0.460 |
| 234/1 | 2.180 | 267/2 | 0.450 |
| 234/2 | 0.810 | 268/1 | 0.180 |
| 235 | 0.100 | 268/2 | 0.180 |
| 236 | 0.920 | 269 | 0.240 |
| 237 | 1.000 | 270 | 0.160 |
| 238 | 0.350 | 272/1 | 0.060 |
| 239 | 0.390 | 272/2 | 0.020 |
| 240 | 0.600 | 272/3 | 0.010 |
| 241 | 1.020 | 272/4 | 0.020 |
| 242 | 0.220 | 272/5 | 0.010 |
| 243 | 0.200 | 273/1 | 0.120 |
| 244 | 0.100 | 273/2 | 0.120 |
| 245 | 0.110 | 273/3 | 0.120 |
| 246/1 | 0.230 | 273/4 | 0.120 |
| 246/2 | 0.500 | 274/1 | 0.020 |
| 247 | 0.620 | 274/2 | 0.110 |
| 248 | 0.640 | 275 | 0.110 |
| 249 | 0.350 | 276/1 | 0.110 |
| 250 | 0.080 | 276/2 | 0.240 |
| 251 | 0.800 | 276/3 | 0.110 |
| 252 | 0.210 | 277 | 1.030 |
| 253 | 0.190 | 278 | 1.870 |
| 254 | 0.490 | 279 | 0.620 |
| 255 | 1.120 | 280 | 0.830 |
| 256 | 1.320 | 281 | 0.460 |
| 257/1 | 0.120 | 282 | 0.560 |
| 257/2 | 0.600 | 283 | 0.820 |
| 258 | 0.040 | 284/1 | 0.680 |
| 259/1 | 0.140 | 284/2 | 0.130 |
| 259/2 | 0.140 | 285/1 | 0.470 |
| 260/1 | 0.310 | 285/2 | 0.470 |
| 260/2 | 0.310 | 286 | 0.280 |
| 261 | 1.010 | 287 | 0.470 |
| 262 | 0.400 | 288 | 0.740 |
| 263/1क | 0.110 | 289/1 | 0.050 |
| 263/1ख | 0.200 | 289/2 | 0.050 |
| 263/2 | 0.200 | 290 | 0.210 |
| 264/1 | 0.530 | 291/1 | 0.080 |
| 264/2 | 0.530 | 291/2 | 0.020 |
| 265/1क | 0.170 | 292 | 0.110 |
| 265/1ख | 0.200 | 293 | 0.260 |
| 265/2 | 0.200 | 294 | 0.750 |
| 266/1 | 0.490 | 295 | 0.120 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 296 | 0.140 | 339/1 | 0.110 |
| 297 | 0.380 | 339/2 | 0.110 |
| 298 | 0.540 | 340 | 0.200 |
| 299 | 0.080 | 343 | 0.830 |
| 300/1 | 0.310 | 344 | 0.820 |
| 300/2 | 0.050 | 345 | 1.210 |
| 302 | 0.130 | 346 | 0.230 |
| 303 | 0.070 | 347 | 0.220 |
| 304 | 0.130 | 348 | 0.260 |
| 305 | 0.060 | 350 | 0.070 |
| 306 | 0.770 | 351/1 | 0.130 |
| 307 | 0.080 | 351/2 | 0.120 |
| 308 | 0.050 | 352 | 0.240 |
| 309 | 0.060 | 353 | 0.130 |
| 310/1 | 0.030 | 354 | 0.160 |
| 310/2 | 0.010 | 357 | 0.120 |
| 310/3 | 0.030 | 358 | 0.170 |
| 311/1 | 0.020 | 361 | 0.020 |
| 311/2 | 0.080 | 362 | 0.010 |
| 311/3 | 0.010 | 363 | 0.010 |
| 312/1 | 0.030 | 364 | 2.420 |
| 312/2 | 0.030 | 365 | 2.260 |
| 312/3 | 0.010 | 366 | 1.490 |
| 312/4 | 0.030 | 367 | 0.870 |
| 313 | 0.010 | 368 | 0.730 |
| 315/1 | 0.170 | 369 | 0.280 |
| 315/2 | 0.130 | 370 | 0.050 |
| 315/405/1 | 0.030 | 371 | 0.300 |
| 315/405/2 | 0.090 | 372 | 0.150 |
| 316 | 0.410 | 373 | 1.020 |
| 317 | 0.030 | 374 | 0.920 |
| 319/1/1 | 0.660 | 375 | 1.080 |
| 319/1/2 | 0.400 | 376 | 1.010 |
| 319/2 | 0.040 | 378 | 0.480 |
| 320/1 | 0.400 | 380/1 | 0.380 |
| 320/2 | 0.110 | 380/2 | 0.370 |
| 321 | 0.040 | 380/3 | 0.370 |
| 323 | 0.070 | 381/1 | 0.210 |
| 326 | 0.320 | 381/2 | 0.210 |
| 327 | 0.030 | 381/3 | 0.210 |
| 333 | 0.100 | 381/399/1 | 0.340 |
| 334 | 0.240 | 381/399/2 | 0.330 |
| 335 | 0.160 | 381/399/3 | 0.330 |
| 338 | 1.620 | 382/1 | 0.150 |

| (1) | (2) | (ग) ग्राम—बमाना | (घ) क्षेत्रफल—268.419 हेक्टेयर. |
|--|---------|-----------------|---------------------------------|
| | | खसरा | अर्जित रकबा |
| | | नंबर | (हेक्टर में) |
| | | (1) | (2) |
| 382/2 | 0.150 | 2/1 | 0.259 |
| 382/3 | 0.150 | 2/2 | 0.200 |
| 383 | 0.410 | 2/3 | 0.310 |
| 384 | 0.570 | 2/4 | 0.650 |
| 388/1 | 0.660 | 2/5 | 0.640 |
| 388/2 | 0.270 | 2/6 | 0.340 |
| 388/3 | 0.660 | 3 | 0.980 |
| 389 | 0.280 | 4 | 0.400 |
| 390/1 | 0.550 | 5 | 1.030 |
| 390/2 | 0.550 | 6 | 0.210 |
| 391 | 0.900 | 7 | 0.610 |
| 392/1 | 0.080 | 8 | 1.650 |
| 392/2 | 0.200 | 9 | 1.230 |
| 394/1 | 0.950 | 10/1 | 0.760 |
| 394/2 | 0.630 | 10/2 | 0.400 |
| 394/3क | 0.320 | 10/3 | 0.770 |
| 394/3ख | 0.320 | 10/914 | 0.440 |
| 394/4 | 0.640 | 11 | 0.260 |
| 394/5 | 0.640 | 12 | 0.620 |
| योग . . . | 215.410 | 13 | 0.420 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन. | | 14/1 | 0.050 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है. | | 14/2 | 0.110 |
| | | 14/3 | 0.110 |
| | | 14/4 | 0.060 |
| | | 15 | 0.900 |
| | | 16 | 0.060 |
| | | 17 | 0.880 |
| | | 18 | 0.040 |
| | | 19 | 0.340 |
| | | 20/1 | 0.150 |
| | | 20/2 | 0.290 |
| | | 20/3 | 0.280 |
| | | 20/4 | 0.140 |
| | | 21 | 0.020 |
| | | 22/1 | 0.220 |
| | | 22/2 | 0.210 |
| | | 23 | 0.240 |
| | | 24 | 0.160 |
| (1) भूमि का वर्णन— | | 24/912 | 0.180 |
| (क) जिला—सागर | | 25/1 | 0.710 |
| (ख) तहसील—बंडा | | 25/2 | 0.200 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------|-------|------|-------|
| 26 | 0.670 | 58 | 0.320 |
| 27 | 0.500 | 59/1 | 1.160 |
| 28 | 0.620 | 59/2 | 0.800 |
| 29 | 1.050 | 59/3 | 0.180 |
| 30/1 | 0.260 | 59/4 | 0.180 |
| 30/2 | 0.260 | 60/1 | 0.140 |
| 31/1 | 0.420 | 60/2 | 0.140 |
| 31/2 | 0.100 | 60/3 | 0.140 |
| 32 | 0.900 | 60/4 | 0.150 |
| 33 | 0.750 | 61 | 1.150 |
| 34 | 0.010 | 62 | 0.670 |
| 36 | 0.110 | 64/1 | 0.070 |
| 37 | 0.060 | 64/2 | 0.060 |
| 39/1 | 0.030 | 65 | 0.200 |
| 39/2 | 0.040 | 66 | 0.230 |
| 40 | 0.440 | 67 | 0.260 |
| 46/1 | 0.220 | 69 | 0.040 |
| 46/2 | 0.400 | 71 | 0.050 |
| 46/3 | 0.400 | 72 | 0.080 |
| 46/4 | 0.550 | 73 | 0.040 |
| 46/5 | 0.070 | 74 | 0.150 |
| 47 | 0.500 | 75 | 0.020 |
| 48/1 | 0.260 | 76/1 | 0.040 |
| 48/2 | 0.140 | 76/2 | 0.020 |
| 50 | 1.070 | 77 | 0.050 |
| 51/1 | 1.060 | 78 | 0.030 |
| 51/2 | 0.200 | 79 | 0.070 |
| 51/3 | 0.200 | 80 | 0.150 |
| 51/4 | 0.200 | 81 | 0.170 |
| 51/5 | 0.470 | 82 | 0.110 |
| 52 | 0.270 | 83 | 0.090 |
| 53 | 0.300 | 84/1 | 0.020 |
| 54 | 0.320 | 84/2 | 0.010 |
| 55 | 0.300 | 84/3 | 0.020 |
| 56 | 0.320 | 84/4 | 0.020 |
| 57/1 | 0.480 | 85/1 | 0.040 |
| 57/2 | 0.070 | 85/2 | 0.030 |
| 57/3 | 0.080 | | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---------|-------|-------|-------|
| 85/3 | 0.020 | 130/1 | 0.080 |
| 85/4 | 0.020 | 130/2 | 0.050 |
| 86/1 | 0.110 | 131 | 0.030 |
| 86/2 | 0.060 | 132/1 | 0.080 |
| 86/3 | 0.060 | 132/2 | 0.080 |
| 86/4 | 0.060 | 132/3 | 0.050 |
| 87 | 0.450 | 133 | 0.220 |
| 88/1 | 0.140 | 134 | 0.320 |
| 88/2 | 0.070 | 135 | 0.140 |
| 88/3 | 0.070 | 136/1 | 0.150 |
| 88/4 | 0.070 | 136/2 | 0.160 |
| 91/1 | 0.140 | 136/3 | 0.040 |
| 91/2 | 0.150 | 137/1 | 0.140 |
| 92 | 0.320 | 137/2 | 0.260 |
| 93 | 0.120 | 137/3 | 0.050 |
| 94 | 0.170 | 138 | 0.310 |
| 97 | 0.190 | 139 | 0.450 |
| 98 | 0.880 | 140/1 | 0.290 |
| 99 | 0.190 | 140/2 | 0.360 |
| 100 | 0.100 | 141/1 | 0.280 |
| 101 | 0.100 | 141/2 | 0.280 |
| 102/1 | 0.200 | 142 | 0.350 |
| 102/2 | 0.200 | 143 | 0.010 |
| 102/3 | 0.060 | 149 | 0.010 |
| 103 | 0.340 | 222/1 | 0.180 |
| 104 | 0.050 | 222/2 | 0.080 |
| 104/910 | 0.040 | 223/1 | 0.080 |
| 105 | 0.140 | 223/2 | 0.040 |
| 106 | 0.070 | 223/3 | 0.040 |
| 107 | 0.030 | 224 | 0.450 |
| 108 | 0.180 | 225 | 0.010 |
| 109 | 0.170 | 226 | 0.010 |
| 110 | 0.110 | 227 | 0.070 |
| 111/1 | 0.130 | 228 | 0.230 |
| 111/2 | 0.120 | 229 | 0.150 |
| 112 | 1.380 | 230 | 0.150 |
| 113 | 0.710 | 231/1 | 0.220 |
| 114 | 0.250 | 231/2 | 0.220 |
| 115 | 0.120 | 232 | 0.250 |
| 116 | 0.050 | 233 | 0.360 |
| 126 | 0.050 | 235 | 0.090 |
| 127 | 0.040 | 236 | 0.290 |
| 128 | 0.060 | 237 | 0.290 |
| 129/1 | 0.010 | 238 | 0.590 |
| 129/2 | 0.140 | 239 | 0.210 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|---------|-------|
| 240 | 0.120 | 273 | 0.030 |
| 241 | 0.430 | 274 | 0.120 |
| 242 | 0.250 | 275 | 0.010 |
| 243 | 0.130 | 276 | 0.030 |
| 244 | 0.070 | 277 | 0.030 |
| 245 | 0.470 | 278 | 0.070 |
| 248 | 0.360 | 279 | 0.060 |
| 249 | 0.830 | 280 | 0.130 |
| 250 | 0.500 | 281 | 0.050 |
| 251 | 0.210 | 282 | 0.040 |
| 252 | 0.700 | 283 | 0.040 |
| 253 | 0.010 | 284 | 0.120 |
| 254/1 | 0.280 | 285 | 0.390 |
| 254/2 | 0.290 | 286 | 0.280 |
| 255/1 | 0.100 | 287 | 0.600 |
| 255/2 | 0.900 | 288 | 0.200 |
| 255/3 | 0.050 | 289 | 0.790 |
| 256/1 | 0.320 | 290 | 0.640 |
| 256/2 | 0.310 | 291 | 0.510 |
| 256/3 | 0.310 | 292 | 0.150 |
| 256/4 | 0.160 | 293 | 0.100 |
| 257/1 | 0.210 | 294 | 0.230 |
| 257/2 | 0.220 | 295/1 | 0.060 |
| 257/3 | 0.220 | 295/2 | 0.060 |
| 257/4 | 0.110 | 296 | 0.090 |
| 258/1 | 0.110 | 297 | 0.060 |
| 258/2 | 0.110 | 298 | 0.020 |
| 258/3 | 0.110 | 299 | 0.030 |
| 258/4 | 0.060 | 300 | 0.020 |
| 259 | 1.370 | 301 | 0.020 |
| 260 | 0.160 | 302 | 0.030 |
| 261 | 0.030 | 303/1 | 0.010 |
| 262 | 0.020 | 303/2 | 0.020 |
| 263 | 0.080 | 303/3 | 0.020 |
| 264 | 0.100 | 303/4 | 0.100 |
| 266/1 | 0.090 | 305 | 0.110 |
| 266/2 | 0.100 | 306/1 | 0.030 |
| 267 | 0.010 | 306/2 | 0.050 |
| 268 | 0.040 | 306/3 | 0.060 |
| 269/1 | 0.030 | 306/4 | 0.030 |
| 269/2 | 0.040 | 307 | 0.050 |
| 270 | 0.050 | 307/913 | 0.030 |
| 271 | 0.030 | 308 | 0.050 |
| 272/1 | 0.080 | 309 | 0.060 |
| 272/2 | 0.080 | 310 | 0.140 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 311 | 0.050 | 350 | 3.350 |
| 312 | 0.080 | 352 | 0.020 |
| 313 | 0.040 | 353 | 0.030 |
| 314 | 0.400 | 354 | 0.150 |
| 315 | 0.170 | 355 | 0.240 |
| 316 | 0.240 | 356 | 0.180 |
| 317 | 0.460 | 357/1 | 0.410 |
| 318/1 | 0.390 | 357/2 | 0.650 |
| 318/2 | 0.400 | 358 | 0.500 |
| 319 | 0.340 | 359 | 1.410 |
| 320 | 1.100 | 360 | 0.380 |
| 321 | 0.440 | 361/1 | 0.030 |
| 322 | 0.310 | 361/2 | 0.030 |
| 324 | 3.370 | 362/1 | 0.370 |
| 325 | 1.590 | 362/2 | 0.370 |
| 326 | 0.620 | 363 | 4.630 |
| 327/1 | 0.610 | 364 | 0.200 |
| 327/2 | 0.340 | 365 | 0.500 |
| 327/3 | 0.400 | 366 | 0.250 |
| 328 | 1.310 | 367 | 0.430 |
| 329 | 0.560 | 368 | 0.860 |
| 330 | 0.970 | 369 | 0.630 |
| 331/1 | 1.820 | 370 | 0.200 |
| 331/2 | 1.000 | 371 | 0.020 |
| 332 | 0.470 | 372 | 0.790 |
| 333/1 | 0.280 | 373 | 0.510 |
| 333/2 | 0.290 | 374 | 0.610 |
| 334 | 0.430 | 375 | 0.220 |
| 335 | 0.380 | 376 | 1.080 |
| 336 | 0.500 | 377 | 0.870 |
| 337 | 0.590 | 378 | 0.050 |
| 338/1 | 0.080 | 379 | 0.070 |
| 338/2 | 0.180 | 382/1 | 2.250 |
| 339 | 0.260 | 382/2 | 0.800 |
| 340 | 0.330 | 383 | 0.730 |
| 341 | 0.390 | 384 | 0.280 |
| 342 | 0.170 | 385 | 0.250 |
| 343/1 | 0.140 | 386 | 0.580 |
| 343/2 | 0.370 | 389 | 0.350 |
| 344 | 1.450 | 391 | 0.020 |
| 345 | 1.280 | 393 | 0.060 |
| 346 | 0.120 | 394 | 0.040 |
| 347 | 0.550 | 395 | 0.030 |
| 348 | 0.140 | 405 | 0.020 |
| 349 | 0.490 | 406 | 0.030 |
| | | 413 | 0.030 |
| | | 414 | 0.020 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 415 | 0.020 | 537/1 | 1.510 |
| 416 | 0.010 | 537/2 | 0.380 |
| 498 | 0.020 | 538 | 0.410 |
| 500 | 0.200 | 539/1 | 0.150 |
| 501 | 0.110 | 539/2 | 0.170 |
| 502 | 0.110 | 540 | 2.230 |
| 504 | 0.880 | 541 | 0.370 |
| 505 | 0.050 | 542 | 1.060 |
| 507 | 0.380 | 543 | 0.910 |
| 508 | 0.050 | 547 | 0.070 |
| 509 | 0.020 | 549 | 0.320 |
| 510 | 0.080 | 550 | 0.180 |
| 511/1 | 0.200 | 551 | 1.400 |
| 511/2 | 0.400 | 552 | 0.590 |
| 512 | 0.400 | 553 | 0.380 |
| 513 | 0.050 | 554 | 1.120 |
| 514/1 | 0.760 | 555 | 0.220 |
| 514/2 | 0.380 | 556 | 1.150 |
| 515/1 | 1.400 | 557 | 1.160 |
| 515/2 | 0.660 | 558/1 | 1.660 |
| 516 | 2.460 | 558/2 | 0.800 |
| 517/1 | 0.350 | 558/3 | 0.530 |
| 517/2 | 1.080 | 563 | 0.130 |
| 518/1 | 0.560 | 564 | 0.350 |
| 518/2 | 0.270 | 565 | 0.070 |
| 519 | 2.070 | 566 | 0.020 |
| 520 | 1.160 | 567 | 0.080 |
| 521 | 1.000 | 568 | 0.160 |
| 522/1 | 0.480 | 577 | 0.070 |
| 522/2 | 0.630 | 578 | 0.350 |
| 523 | 1.100 | 579 | 0.190 |
| 524 | 0.800 | 581 | 0.280 |
| 525/1 | 0.590 | 582 | 1.100 |
| 525/2 | 0.580 | 583 | 1.500 |
| 526 | 1.120 | 584 | 0.690 |
| 527 | 1.270 | 585 | 1.370 |
| 528 | 0.900 | 586/1 | 0.940 |
| 529 | 0.740 | 586/2 | 0.940 |
| 530/1 | 1.690 | 586/3 | 0.950 |
| 530/2 | 0.570 | 586/4 | 0.930 |
| 531 | 2.580 | 586/5 | 0.780 |
| 534 | 0.400 | 587 | 0.140 |
| 535 | 2.680 | 589 | 0.490 |
| 536 | 0.160 | 591 | 0.570 |
| | | 592 | 0.470 |
| | | 595 | 0.110 |
| | | 597 | 0.030 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 598 | 0.640 | 702/2 | 0.040 |
| 599 | 0.030 | 703/1 | 0.240 |
| 600 | 0.050 | 703/2 | 0.120 |
| 603 | 0.020 | 704 | 0.400 |
| 604 | 0.140 | 705 | 0.980 |
| 606 | 0.030 | 706/1 | 0.240 |
| 637 | 0.300 | 706/2 | 0.240 |
| 639 | 0.850 | 707 | 0.440 |
| 640 | 1.050 | 709 | 0.800 |
| 642 | 0.310 | 710 | 0.550 |
| 644/1 | 0.700 | 711 | 1.020 |
| 645/1 | 0.700 | 712 | 0.390 |
| 645/2 | 1.100 | 713 | 0.570 |
| 674 | 0.300 | 714 | 0.400 |
| 675 | 0.020 | 715 | 0.490 |
| 676 | 0.020 | 716 | 0.200 |
| 677 | 0.510 | 717 | 0.260 |
| 678 | 0.140 | 718 | 0.120 |
| 679 | 0.320 | 719 | 0.400 |
| 680 | 0.230 | 720 | 0.580 |
| 681 | 0.550 | 721 | 1.040 |
| 682 | 0.520 | 722 | 0.190 |
| 683 | 0.110 | 723 | 0.260 |
| 684 | 0.740 | 724 | 0.330 |
| 685/1 | 0.470 | 725 | 0.220 |
| 685/2 | 0.090 | 726 | 0.110 |
| 686 | 0.550 | 727 | 0.080 |
| 687 | 0.340 | 728/1 | 0.370 |
| 688 | 0.890 | 728/2 | 0.040 |
| 689 | 0.880 | 729 | 0.200 |
| 690 | 0.070 | 730 | 0.720 |
| 692 | 1.040 | 731 | 0.440 |
| 693/1 | 0.380 | 732 | 0.350 |
| 693/2 | 0.370 | 733 | 0.110 |
| 694 | 0.470 | 735 | 1.190 |
| 695 | 0.350 | 736 | 0.710 |
| 696/1 | 0.700 | 737 | 0.320 |
| 696/2 | 0.600 | 738 | 1.240 |
| 697 | 0.800 | 739 | 0.040 |
| 698 | 0.060 | 742 | 0.030 |
| 699 | 1.100 | 743 | 0.090 |
| 700/1 | 0.570 | 745 | 0.200 |
| 700/2 | 0.580 | 746 | 1.240 |
| 701 | 0.670 | 747/1 | 0.480 |
| 702/1 | 0.070 | 747/2 | 1.000 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 748 | 0.270 | 796 | 0.060 |
| 749 | 0.100 | 797 | 0.220 |
| 750 | 0.120 | 800 | 0.100 |
| 751 | 0.130 | 805 | 0.180 |
| 752 | 0.170 | 806 | 0.170 |
| 753 | 0.320 | 807 | 0.040 |
| 754 | 0.210 | 808 | 0.060 |
| 755 | 0.180 | 809 | 1.300 |
| 756 | 0.200 | 810 | 0.130 |
| 757 | 0.240 | 811 | 0.060 |
| 758 | 0.910 | 813 | 0.310 |
| 759 | 0.970 | 814 | 0.650 |
| 760 | 0.650 | 815 | 0.090 |
| 761 | 0.750 | 817 | 0.090 |
| 762/1 | 0.400 | 818 | 0.060 |
| 762/2 | 0.800 | 819 | 0.070 |
| 763 | 1.380 | 820 | 0.090 |
| 764 | 0.130 | 821 | 0.120 |
| 765 | 0.080 | 822 | 0.070 |
| 766 | 0.410 | 823 | 0.090 |
| 767 | 0.300 | 824 | 0.130 |
| 768 | 0.070 | 825 | 0.530 |
| 769 | 0.380 | 826/1 | 0.370 |
| 770 | 0.070 | 826/2 | 0.600 |
| 771 | 0.850 | 827 | 0.850 |
| 772 | 0.700 | 828/1 | 0.070 |
| 773 | 0.200 | 828/2 | 0.400 |
| 774 | 0.360 | 829 | 0.190 |
| 775/1 | 0.770 | 830 | 0.190 |
| 775/2 | 0.400 | 831 | 0.070 |
| 776 | 0.700 | 832/1 | 0.840 |
| 777/1 | 0.380 | 832/2 | 0.720 |
| 777/2 | 0.800 | 833 | 0.310 |
| 778 | 0.550 | 835/1 | 0.260 |
| 779 | 0.780 | 835/2 | 0.400 |
| 785 | 0.470 | 836 | 0.350 |
| 786 | 0.140 | 837/1 | 0.220 |
| 790/1 | 0.410 | 837/2 | 0.230 |
| 790/2 | 0.400 | 838 | 0.340 |
| 791 | 0.390 | 839 | 0.500 |
| 792/1 | 0.130 | 840 | 0.610 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|--|----------------|
| 841 | 0.180 | 899/3 | 0.380 |
| 842 | 0.130 | 900 | 0.300 |
| 843 | 0.500 | 903 | 0.100 |
| 844/1 | 0.260 | 905 | 0.100 |
| 844/2 | 0.300 | योग . . | <u>268.419</u> |
| 845/1 | 0.070 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन. | |
| 845/2 | 0.070 | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है. | |
| 846 | 0.050 | | |
| 847 | 1.170 | | |
| 848 | 0.940 | | |
| 849 | 0.560 | | |
| 850/1 | 0.500 | | |
| 850/2 | 0.440 | | |
| 851 | 0.170 | | |
| 852 | 0.390 | | |
| 853/1 | 0.520 | | |
| 853/2 | 0.480 | | |
| 854 | 0.130 | | |
| 856 | 0.780 | | |
| 857 | 0.690 | | |
| 858/1 | 0.300 | | |
| 858/2 | 0.480 | | |
| 859 | 0.070 | | |
| 862 | 0.010 | | |
| 863 | 0.150 | | |
| 864/1 | 0.120 | | |
| 864/2 | 0.470 | | |
| 888 | 0.850 | | |
| 890 | 0.110 | | |
| 891/1 | 0.370 | | |
| 891/2 | 0.400 | | |
| 891/3 | 0.360 | | |
| 892 | 0.190 | | |
| 893 | 0.180 | | |
| 895 | 0.010 | | |
| 896 | 0.230 | | |
| 897 | 0.100 | | |
| 898/1 | 0.450 | | |
| 898/2 | 0.130 | | |
| 899/1 | 1.030 | | |
| 899/2 | 0.820 | | |
| | | सागर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013 | |
| | | क्र.-क-12246-भू-अर्जन-2013 प्र. क्र.-15-अ-82-13- | |
| | | 14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है :— | |
| | | अनुसूची | |
| | | (1) भूमि का विवरण— | |
| | | (क) जिला—सागर | |
| | | (ख) तहसील—बंडा | |
| | | (ग) ग्राम—भेडाखास | |
| | | (घ) लगभग क्षेत्रफल—44.560 हेक्टेयर. | |
| | | खसरा | अर्जित रकबा |
| | | नंबर | (हेक्टर में) |
| | | (1) | (2) |
| | | 291 | 0.190 |
| | | 294 | 0.590 |
| | | 304 | 0.030 |
| | | 307 | 0.580 |
| | | 309/1 | 1.570 |
| | | 309/2 | 1.400 |
| | | 309/3 | 0.770 |
| | | 309/4 | 0.420 |
| | | 310 | 1.160 |
| | | 311 | 5.610 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|---------|--------|
| 313 | 0.100 | 392 | 0.040 |
| 314 | 0.320 | 395 | 0.150 |
| 315 | 0.310 | 396 | 0.830 |
| 316 | 0.110 | 397 | 0.700 |
| 317 | 0.390 | 398 | 0.060 |
| 318 | 0.650 | 399 | 1.260 |
| 319 | 0.500 | 405 | 0.210 |
| 320 | 0.510 | 406 | 0.040 |
| 321 | 0.740 | 407 | 0.010 |
| 324 | 0.330 | 408 | 0.110 |
| 328 | 0.420 | 411 | 0.090 |
| 329 | 0.410 | 412 | 0.150 |
| 330/1 | 0.260 | 413 | 0.100 |
| 330/2 | 0.130 | 414 | 0.300 |
| 331 | 0.140 | 419 | 0.130 |
| 332 | 0.290 | 439 | 0.160 |
| 333 | 0.040 | 440 | 0.210 |
| 334 | 0.200 | 443 | 0.250 |
| 335 | 0.470 | 444 | 0.340 |
| 336 | 0.400 | 445 | 1.180 |
| 357 | 0.250 | 446/1 | 0.020 |
| 358 | 0.290 | 446/2 | 0.030 |
| 367 | 0.410 | 455 | 0.420 |
| 368/1 | 0.210 | 457/653 | 0.020 |
| 368/2 | 0.400 | 457/654 | 0.020 |
| 369 | 0.470 | 458/1 | 0.040 |
| 370 | 3.440 | 458/2 | 0.040 |
| 372 | 0.020 | 482/1 | 0.020 |
| 373 | 0.120 | 487 | 0.060 |
| 374 | 0.720 | 489 | 0.170 |
| 375 | 0.870 | 490 | 0.250 |
| 376 | 0.420 | 491 | 0.040 |
| 377 | 0.470 | 515 | 0.200 |
| 378 | 2.250 | 516 | 0.040 |
| 379 | 1.560 | 518/1 | 0.010 |
| 381 | 0.260 | 518/2 | 0.020 |
| 382 | 0.830 | | |
| 384 | 1.640 | | |
| 385 | 0.330 | | |
| 386 | 0.600 | | |
| 387 | 0.600 | | |
| 388 | 0.490 | | |
| 389 | 0.350 | | |
| 390 | 0.970 | | |
| | | योग . . | 44.560 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—
पंचमनगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, मुख्यालय
दमोह (म.प्र.).

| | | |
|--|------|-------|
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है. | (1) | (2) |
| | 54/2 | 1.920 |
| | 54/3 | 1.920 |
| | 54/4 | 1.900 |
| क्र.-क-12247-भू.-अर्जन-2013-प्र.क्र. 16-अ-82-12- | 55 | 8.060 |
| 13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :— | 56 | 0.690 |
| | 57 | 1.260 |
| | 59 | 0.260 |
| | 60/1 | 3.120 |
| | 60/2 | 1.280 |
| | 60/3 | 1.280 |
| | 60/4 | 1.320 |
| | 60/5 | 1.800 |
| | 60/6 | 1.800 |
| | 60/7 | 1.800 |
| | 60/8 | 1.800 |
| | 61 | 0.300 |
| | 63 | 0.400 |
| | 64 | 0.180 |
| | 65 | 0.030 |
| | 66 | 0.100 |
| | 67/1 | 1.050 |
| | 67/2 | 1.050 |
| | 68 | 0.340 |
| | 69/1 | 1.610 |
| | 69/2 | 0.800 |
| | 70 | 0.630 |
| | 71 | 0.110 |
| | 72 | 0.320 |
| | 73 | 2.160 |
| | 74 | 0.360 |
| | 75 | 0.370 |
| | 76 | 3.680 |
| | 77 | 0.560 |
| | 78 | 0.460 |
| | 79 | 0.210 |
| | 80 | 0.140 |
| | 81 | 0.110 |
| | 83 | 1.650 |
| | 84 | 1.820 |

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
 (ख) तहसील—बंडा
 (ग) ग्राम—खजरी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—70.15 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर (1) | अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) |
|---------------|------------------------------|
| 17 | 0.020 |
| 18 | 0.150 |
| 19 | 0.070 |
| 20 | 0.040 |
| 21 | 0.230 |
| 22 | 0.120 |
| 23 | 0.040 |
| 24 | 0.710 |
| 25 | 0.080 |
| 26 | 1.030 |
| 27 | 0.960 |
| 28 | 1.440 |
| 29 | 0.100 |
| 30 | 0.030 |
| 31/1 | 0.140 |
| 31/2 | 0.130 |
| 32 | 0.090 |
| 33 | 0.010 |
| 48 | 0.030 |
| 49 | 0.080 |
| 54/1 | 3.580 |

| (1) | (2) | (ग) ग्राम—ओडाहो | |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 85 | 0.880 | (घ) लगभग क्षेत्रफल—172.91 हेक्टेयर. | |
| 86 | 0.120 | खसरा | अर्जित रकबा |
| 87 | 0.180 | नंबर | (हेक्टर में) |
| 88/1 | 1.040 | (1) | (2) |
| 88/2 | 0.040 | 1/1 | 0.400 |
| 94 | 0.830 | 1/2 | 0.400 |
| 96 | 0.360 | 2/1 | 1.490 |
| 100 | 0.010 | 2/2 | 0.500 |
| 101 | 0.850 | 3 | 1.370 |
| 102 | 0.490 | 4/1 | 0.310 |
| 103 | 1.420 | 4/2 | 0.300 |
| 104 | 1.800 | 6/1 | 0.300 |
| 107 | 0.280 | 6/2 | 0.300 |
| 108/1 | 0.690 | 7/1 | 0.250 |
| 108/2 | 0.690 | 7/2 | 0.250 |
| 109 | 0.960 | 10/1 | 0.160 |
| 110 | 1.090 | 10/2 | 0.170 |
| 113 | 0.690 | 11/1 | 0.430 |
| योग . . | <u>70.15</u> | 11/2 | 0.420 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है— | | 16 | 2.250 |
| पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के | | 17/2 | 1.000 |
| निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का | | 19/1 | 0.310 |
| भू-अर्जन. | | 19/2 | 1.230 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) | | 19/3/1 | 0.400 |
| एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, | | 19/3 | 0.180 |
| पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय | | 19/4 | 0.500 |
| में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है | | 19/5 | 0.460 |
| क्र.-क-12248-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 17-अ-82-12- | | 20 | 1.000 |
| 13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि | | 21 | 1.030 |
| नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के | | 22/1 | 0.080 |
| पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता | | 22/2 | 0.120 |
| है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) | | 24 | 0.460 |
| की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि | | 25/1 | 1.200 |
| उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :— | | 25/2 | 0.790 |
| | | 26 | 0.620 |
| | | 26/578/1 | 0.150 |
| | | 26/578/2 | 0.140 |
| | | 26/578/3 | 0.140 |
| | | 27/1 | 0.610 |
| | | 27/2 | 0.610 |
| | | 28/1 | 0.090 |
| | | 28/2 | 0.100 |
| | | 29/1 | 0.400 |

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—बंडा

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 29/2 | 0.960 | 104/1 | 0.220 |
| 30 | 0.360 | 104/2 | 0.450 |
| 31/1 | 0.940 | 105/1 | 0.300 |
| 31/2 | 0.950 | 105/2 | 0.300 |
| 32/1 | 0.320 | 106 | 0.460 |
| 32/2 | 0.080 | 107/1 | 0.190 |
| 38 | 0.160 | 107/2 | 0.200 |
| 39 | 0.130 | 108 | 1.040 |
| 40 | 1.400 | 110 | 2.030 |
| 42 | 0.200 | 112 | 1.200 |
| 44 | 0.110 | 116 | 1.350 |
| 47 | 1.710 | 117 | 0.500 |
| 49 | 0.630 | 120/1 | 0.070 |
| 50/1 | 0.150 | 120/2 | 0.070 |
| 50/2 | 0.140 | 122/1 | 0.150 |
| 52/1 | 0.340 | 122/2 | 0.210 |
| 52/2 | 2.160 | 123/1 | 0.220 |
| 52/3 | 0.340 | 123/2 | 0.210 |
| 53 | 0.250 | 123/3 | 0.190 |
| 57 | 0.070 | 124/1 | 0.060 |
| 61 | 0.060 | 124/2 | 0.070 |
| 62 | 0.620 | 125/1 | 0.110 |
| 63/1 | 0.250 | 125/2 | 0.100 |
| 63/2 | 0.400 | 126 | 0.120 |
| 68 | 0.500 | 127 | 0.130 |
| 70 | 0.170 | 128 | 0.070 |
| 71/1 | 0.180 | 129/2 | 0.400 |
| 71/2 | 0.180 | 129/3 | 0.360 |
| 73 | 0.350 | 131 | 0.200 |
| 84 | 0.550 | 133/1 | 0.210 |
| 85 | 0.250 | 168/1 | 0.020 |
| 86/1 | 2.470 | 168/2 | 0.020 |
| 86/2 | 0.980 | 172 | 0.170 |
| 86/3 | 1.100 | 173 | 0.120 |
| 98 | 0.090 | 174 | 0.020 |
| 99/1 | 0.540 | 175/1 | 0.010 |
| 99/2 | 0.910 | 175/2 | 0.030 |
| 100/1 | 0.600 | 177 | 0.050 |
| 100/2 | 0.400 | 178 | 0.020 |
| 100/3 | 0.220 | 193/1 | 0.020 |
| 100/4 | 0.230 | 193/2 | 0.060 |
| 100/5 | 0.220 | 193/3 | 0.050 |
| 100/6 | 0.400 | 234 | 0.190 |
| 102/1 | 0.040 | 237 | 1.310 |
| 102/2 | 0.040 | | |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 238/1 | 0.310 | 337 | 0.020 |
| 238/2 | 0.320 | 345 | 0.030 |
| 239/1 | 0.080 | 346 | 0.050 |
| 240 | 0.840 | 347 | 0.030 |
| 241 | 0.620 | 350 | 0.020 |
| 262/1 | 0.010 | 352 | 0.020 |
| 262/2 | 0.010 | 353 | 0.130 |
| 264 | 0.030 | 355/1 | 0.010 |
| 265 | 0.120 | 355/2 | 0.010 |
| 267 | 0.250 | 357 | 0.050 |
| 268 | 0.100 | 358/1 | 0.020 |
| 269 | 0.160 | 358/2 | 0.020 |
| 270 | 0.380 | 359/1 | 0.060 |
| 271 | 0.120 | 359/2 | 0.060 |
| 272 | 0.100 | 360 | 0.020 |
| 273 | 0.470 | 361 | 0.070 |
| 274 | 0.100 | 362 | 0.010 |
| 275 | 0.040 | 363 | 0.060 |
| 276 | 0.040 | 364/1 | 0.110 |
| 277 | 0.060 | 364/2 | 0.050 |
| 278 | 0.040 | 364/3 | 0.060 |
| 279 | 0.100 | 365/1 | 0.020 |
| 280 | 0.070 | 365/2 | 0.020 |
| 281 | 0.190 | 367 | 0.040 |
| 282 | 0.080 | 368/1 | 0.020 |
| 283 | 0.070 | 368/2 | 0.030 |
| 284 | 0.330 | 369/1 | 0.050 |
| 285 | 0.700 | 369/2 | 0.050 |
| 286 | 0.180 | 370 | 0.050 |
| 289 | 0.030 | 371 | 0.040 |
| 313 | 0.050 | 372 | 0.040 |
| 314 | 0.030 | 373 | 0.080 |
| 317 | 0.010 | 375/1 | 0.070 |
| 318 | 0.040 | 375/2 | 0.030 |
| 319 | 0.040 | 375/3 | 0.040 |
| 320 | 0.030 | 376 | 0.180 |
| 321 | 0.080 | 377/1 | 0.030 |
| 322 | 0.040 | 377/2 | 0.030 |
| 325 | 0.130 | 379 | 0.050 |
| 326 | 0.040 | 380 | 0.100 |
| 327 | 0.020 | 382/1 | 0.010 |
| 329 | 0.040 | 382/2 | 0.010 |
| 330 | 0.040 | 383/1 | 0.080 |
| 331 | 0.040 | 383/2 | 0.080 |
| 332 | 0.100 | 384/1 | 0.030 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 384/2 | 0.030 | 435 | 0.040 |
| 385/1 | 0.010 | 436 | 0.030 |
| 385/2 | 0.010 | 437 | 0.290 |
| 386/1 | 0.020 | 438 | 0.050 |
| 386/2 | 0.020 | 439 | 0.250 |
| 387 | 0.010 | 440 | 0.090 |
| 388 | 0.050 | 442 | 0.050 |
| 389 | 0.060 | 445 | 0.640 |
| 390 | 0.040 | 447/1 | 0.060 |
| 391 | 0.020 | 447/2 | 0.060 |
| 392 | 0.030 | 448/1 | 0.020 |
| 393 | 0.030 | 448/2 | 0.050 |
| 394 | 0.040 | 449/1 | 0.080 |
| 395/1 | 0.050 | 449/2 | 0.080 |
| 395/2 | 0.040 | 450/1 | 0.040 |
| 397/1 | 0.060 | 450/2 | 0.140 |
| 397/2 | 0.060 | 451/1 | 1.220 |
| 398 | 0.260 | 451/2 | 1.220 |
| 406 | 0.460 | 453 | 0.200 |
| 407/1 | 0.520 | 454 | 0.260 |
| 407/2 | 0.520 | 457 | 0.530 |
| 409 | 2.290 | 460 | 0.190 |
| 410 | 0.090 | 461 | 0.370 |
| 411 | 0.040 | 462/1 | 1.290 |
| 415 | 0.100 | 462/2 | 2.000 |
| 416/1 | 0.110 | 462/3 | 0.400 |
| 416/2 | 0.120 | 463/1 | 0.950 |
| 417 | 0.100 | 463/2 | 0.950 |
| 418 | 0.050 | 464/1 | 0.180 |
| 419 | 0.040 | 464/2 | 0.540 |
| 420 | 0.030 | 465/1 | 0.120 |
| 422 | 0.200 | 465/2 | 0.120 |
| 423 | 0.110 | 466 | 1.180 |
| 424 | 0.090 | 468/1 | 0.420 |
| 425 | 0.070 | 468/2 | 1.220 |
| 426 | 0.070 | 469 | 0.660 |
| 427 | 0.050 | 470 | 0.480 |
| 428 | 0.050 | 471 | 0.350 |
| 429 | 0.040 | 472 | 0.300 |
| 430 | 0.040 | 475 | 0.300 |
| 431 | 0.060 | 477/1 | 0.160 |
| 432 | 0.020 | 477/2 | 0.160 |
| 433 | 0.030 | 478/1 | 0.220 |
| 434 | 0.090 | 478/2 | 0.220 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 479 | 1.790 | 521/1 | 0.340 |
| 480/1 | 0.670 | 521/2 | 0.340 |
| 480/2 | 0.680 | 522/1 | 0.330 |
| 481 | 0.500 | 522/2 | 0.330 |
| 484/1 | 0.120 | 523/1 | 0.530 |
| 484/2 | 0.110 | 523/2 | 0.530 |
| 488 | 0.340 | 524 | 0.370 |
| 489 | 0.650 | 525 | 2.010 |
| 490/1 | 0.560 | 526 | 0.680 |
| 490/2 | 0.570 | 527 | 0.330 |
| 491/1 | 1.150 | 528/1 | 0.040 |
| 492/1 | 0.400 | 528/2 | 0.020 |
| 492/2 | 1.650 | 528/3 | 0.020 |
| 493 | 0.920 | 529/1 | 0.700 |
| 494/1 | 0.260 | 529/2 | 0.700 |
| 494/2 | 0.260 | 532/1 | 0.950 |
| 494/3 | 0.820 | 532/2 | 0.150 |
| 496 | 1.150 | 532/3 | 0.800 |
| 497/1 | 0.370 | 534/1 | 0.590 |
| 497/2 | 0.300 | 534/2 | 0.740 |
| 497/3 | 0.430 | 535/1 | 1.910 |
| 499/1 | 0.050 | 535/2 | 0.200 |
| 499/2 | 0.070 | 536/1 | 0.090 |
| 499/3 | 0.170 | 536/2 | 0.090 |
| 499/4 | 0.130 | 537/1 | 0.680 |
| 499/5 | 0.140 | 537/2 | 0.890 |
| 500 | 0.140 | 537/3 | 0.380 |
| 504/1 | 0.750 | 538 | 0.200 |
| 504/2 | 0.750 | 539 | 0.210 |
| 505 | 1.130 | 540 | 0.340 |
| 506 | 1.040 | 543 | 0.990 |
| 508 | 0.010 | 544 | 1.850 |
| 509 | 1.510 | 545/1 | 1.160 |
| 510 | 0.920 | 545/2 | 0.390 |
| 511 | 1.040 | 546 | 0.150 |
| 512 | 0.890 | 547 | 0.450 |
| 513 | 0.800 | 548 | 0.470 |
| 514 | 0.820 | 549/1 | 0.660 |
| 515/1 | 0.620 | 549/2 | 0.400 |
| 515/2 | 0.610 | 550 | 0.980 |
| 516 | 0.770 | 551 | 0.870 |
| 518 | 2.560 | 552/1 | 2.520 |
| 519/1 | 0.350 | 552/2 | 0.490 |
| 519/2 | 0.360 | 553 | 0.580 |
| 520 | 1.370 | | |

की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—शाहगढ़

(ग) ग्राम—सांदागिर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—55.610 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हेक्टेर में)

(1)

(2)

| (1) | (2) |
|---------|----------------|
| 554 | 1.600 |
| 555 | 1.060 |
| 556 | 0.450 |
| 557/1 | 1.260 |
| 557/2 | 1.270 |
| 558/1 | 0.510 |
| 558/2 | 1.320 |
| 558/3 | 1.310 |
| 558/4 | 0.800 |
| 558/5 | 0.440 |
| 559/1 | 0.430 |
| 559/2 | 0.430 |
| 560/1 | 0.010 |
| 560/2 | 0.010 |
| 563/1 | 0.700 |
| 563/2 | 1.600 |
| 564 | 1.030 |
| 565 | 1.440 |
| 567 | 0.650 |
| 570 | 0.740 |
| 571 | 1.260 |
| 572 | 1.310 |
| 573/1 | 1.020 |
| 573/2 | 1.210 |
| 574 | 2.490 |
| 575 | 0.580 |
| योग . . | <u>172.910</u> |

153 0.180

154 0.400

155 0.010

156 0.090

161 0.030

162 0.030

186 0.100

189 0.060

190 0.140

191 0.120

193 0.040

197 0.070

198 0.790

199 0.030

273 0.100

274 0.120

275 0.310

276 0.200

277 1.440

283 0.020

286 0.020

289 0.410

290 0.280

291 0.030

293 0.070

294 0.030

296 1.220

297 0.450

298/1 1.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—
पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है

क्र.-क-12249-भू.-अर्जन-2013-प्र.क्र. 18-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|--------|-------|--------|-------|
| 298/2 | 1.120 | 460/12 | 0.120 |
| 299 | 1.400 | 460/13 | 0.300 |
| 301 | 0.100 | 462 | 0.480 |
| 302 | 0.060 | 463/1 | 0.150 |
| 303 | 0.090 | 463/2 | 0.150 |
| 304 | 0.060 | 463/3 | 0.150 |
| 305 | 1.280 | 469 | 0.300 |
| 307 | 0.470 | 470 | 0.190 |
| 309 | 1.390 | 471 | 0.190 |
| 310 | 1.040 | 480 | 1.340 |
| 311 | 0.310 | 481 | 0.650 |
| 312 | 0.330 | 482 | 0.610 |
| 313 | 1.220 | 483/1 | 1.440 |
| 314 | 0.660 | 483/2 | 0.400 |
| 315 | 0.680 | 484 | 1.710 |
| 316 | 0.590 | 486 | 0.180 |
| 317 | 0.440 | 487 | 0.180 |
| 318 | 0.700 | 489 | 0.200 |
| 319 | 0.520 | 490 | 0.390 |
| 320 | 1.710 | 491 | 0.690 |
| 321 | 0.050 | 492 | 1.320 |
| 323 | 0.400 | 493 | 0.220 |
| 324 | 0.070 | 494 | 0.260 |
| 325 | 0.520 | 495 | 0.820 |
| 326 | 0.440 | 496 | 0.130 |
| 327 | 0.780 | 497 | 0.100 |
| 328 | 0.180 | 498 | 0.130 |
| 329 | 1.350 | 499 | 0.180 |
| 332 | 1.470 | 500 | 0.050 |
| 333 | 0.430 | 501 | 0.820 |
| 334 | 0.600 | 502 | 0.150 |
| 335 | 0.660 | 503 | 0.130 |
| 187 | 0.190 | 504 | 0.090 |
| 337 | 0.030 | 505 | 0.210 |
| 460/2 | 0.050 | 506 | 0.200 |
| 460/3 | 0.050 | 507 | 0.150 |
| 460/4 | 0.050 | 508 | 0.090 |
| 460/5 | 0.050 | 510 | 0.670 |
| 460/6 | 0.050 | 511 | 0.400 |
| 460/7 | 0.030 | 512 | 1.690 |
| 460/8 | 0.110 | 513/1 | 0.490 |
| 460/9 | 0.070 | 513/2 | 0.500 |
| 460/10 | 0.050 | 514 | 0.250 |
| 460/11 | 0.150 | 515 | 0.260 |

| (1) | (2) | (ग) ग्राम—भीकमपुर रैयतवारी | (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.16 हेक्टेयर. |
|-----|---------|----------------------------|-----------------------------------|
| 516 | 0.370 | खसरा | अर्जित रकबा |
| 517 | 0.280 | नंबर | (हेक्टर में) |
| 518 | 0.510 | (1) | (2) |
| 519 | 0.450 | 33/2 | 0.050 |
| 520 | 0.290 | 65 | 0.290 |
| 521 | 0.260 | 67 | 0.050 |
| 522 | 0.260 | 91/1 | 0.100 |
| 523 | 0.280 | 91/2 | 0.100 |
| 524 | 0.090 | 96 | 0.500 |
| 525 | 0.090 | 104 | 0.070 |
| 527 | 0.110 | | |
| 528 | 0.200 | योग . . | 1.16 |
| 529 | 0.010 | | |
| 530 | 0.660 | | |
| 531 | 0.330 | | |
| 532 | 0.250 | | |
| 533 | 0.990 | | |
| 534 | 0.210 | | |
| 535 | 0.240 | | |
| 536 | 0.700 | | |
| | योग . . | | 55.61 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—
पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—
पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है

क्र.-क-12251-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 20-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—शाहगढ़
(ग) ग्राम—भीकमपुर आबाद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—33.960 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | अर्जित रकबा (हेक्टर में) |
|-----------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| 48 | 0.240 |
| 49 | 0.560 |

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—शाहगढ़

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------|-------|-------|---|
| 50 | 1.470 | 109 | 0.110 |
| 51 | 1.700 | 110 | 0.050 |
| 64 | 0.870 | 111 | 0.040 |
| 65 | 0.520 | 112 | 0.020 |
| 66 | 0.770 | 113/1 | 0.050 |
| 67 | 0.310 | 113/2 | 0.170 |
| 70/1 | 0.260 | 114 | 0.020 |
| 70/2 | 0.260 | 115 | 0.010 |
| 71/1 | 0.620 | 123/1 | 1.600 |
| 71/2 | 0.710 | 123/2 | 0.060 |
| 71/3 | 0.590 | 124 | 0.220 |
| 71/4 | 0.200 | 125 | 0.320 |
| 72 | 1.660 | 127 | 0.600 |
| 73/1 | 2.530 | 128 | 0.080 |
| 73/2 | 0.800 | 129 | 0.090 |
| 74 | 0.540 | 130 | 0.060 |
| 75 | 2.200 | 132 | 0.050 |
| 76 | 1.160 | 134 | 0.060 |
| 77 | 2.190 | 136 | 0.380 |
| 78 | 1.370 | | योग . . . 33.960 |
| 79 | 1.080 | | |
| 80 | 0.240 | (2) | सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है— |
| 81 | 0.240 | | पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण |
| 83 | 0.210 | | में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन. |
| 84/1 | 1.040 | | |
| 84/2 | 0.110 | (3) | भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) |
| 85 | 0.010 | | एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, |
| 86 | 0.070 | | पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय |
| 87 | 0.070 | | में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है |
| 88 | 0.470 | | |
| 89 | 0.510 | | क्र.-क-12252-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 21-अ-82-12- |
| 90 | 0.200 | | 13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि |
| 92 | 0.410 | | नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के |
| 93 | 0.230 | | पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता |
| 94 | 0.550 | | है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) |
| 95 | 1.100 | | की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि |
| 96 | 0.330 | | उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :— |
| 97 | 1.190 | | |
| 98 | 0.120 | | |
| 99 | 0.020 | | |
| 100 | 0.050 | | |
| 101 | 0.030 | | |
| 103 | 0.120 | | |
| 106 | 0.040 | | |

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—शाहगढ़

(ग) ग्राम—भीकमपुर मुस्तजरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.72 हेक्टेयर.

(ग) ग्राम—चकेरी शाहगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—229.410 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर (1) | अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) | खसरा नंबर (1) | अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 2 | 0.580 | 1/1 | 0.110 |
| 3 | 0.220 | 1/2 | 0.110 |
| 4 | 4.130 | 1/3 | 0.120 |
| 5 | 0.630 | 2/1 | 0.040 |
| 6 | 0.610 | 2/2 | 0.040 |
| 7/1 | 0.510 | 2/3 | 0.040 |
| 7/2 | 2.050 | 3/1 | 0.270 |
| 7/3 | 0.670 | 3/2 | 0.270 |
| 7/4 | 0.670 | 3/3 | 0.280 |
| 7/5 | 0.660 | 4/1 | 0.200 |
| 7/6 | 0.510 | 4/2 | 0.210 |
| 7/7 | 0.510 | 4/3 | 0.200 |
| 7/8 | 0.510 | 5 | 0.560 |
| 8 | 0.210 | 6 | 0.620 |
| 9 | 0.310 | 7/1 | 2.160 |
| 10 | 0.040 | 7/2 | 2.170 |
| 11 | 0.640 | 8/1 | 0.740 |
| 13 | 2.010 | 8/2 | 0.740 |
| 18 | 2.250 | 8/3 | 0.750 |
| योग . . . 17.72 | | 9 | 2.840 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—
पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण
में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री,
पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय
में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है

क्र.-क-12253-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 22-अ-82-12-
13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि
नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के
पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)
की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—शाहगढ़

| | |
|------|-------|
| 27/1 | 0.490 |
| 27/2 | 0.100 |
| 28 | 0.600 |
| 29 | 0.790 |
| 30 | 0.780 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|------|-------|-------|-------|
| 31 | 0.600 | 76 | 0.030 |
| 32 | 0.610 | 77 | 2.250 |
| 33/1 | 0.220 | 78 | 1.190 |
| 33/2 | 0.220 | 79 | 1.050 |
| 33/3 | 0.230 | 80 | 0.940 |
| 34 | 0.780 | 81 | 0.650 |
| 35 | 1.220 | 82 | 1.070 |
| 36/1 | 0.420 | 83 | 0.580 |
| 36/2 | 0.420 | 84 | 3.430 |
| 36/3 | 0.420 | 85 | 1.310 |
| 37/1 | 0.330 | 86 | 0.160 |
| 37/2 | 0.320 | 88 | 0.580 |
| 38/1 | 0.670 | 89 | 0.020 |
| 38/2 | 0.680 | 90 | 0.050 |
| 39 | 0.150 | 91 | 0.050 |
| 40 | 0.120 | 92 | 0.010 |
| 41 | 0.180 | 93 | 0.010 |
| 42 | 0.180 | 96 | 0.060 |
| 43 | 0.840 | 97 | 0.120 |
| 44 | 0.290 | 98 | 0.200 |
| 50 | 0.140 | 99 | 0.140 |
| 51 | 0.020 | 100/1 | 1.220 |
| 52 | 0.370 | 100/2 | 0.160 |
| 53 | 0.880 | 101/1 | 0.290 |
| 54 | 0.090 | 101/2 | 0.290 |
| 55 | 0.970 | 103 | 1.750 |
| 56 | 0.230 | 104 | 0.560 |
| 57 | 0.260 | 105 | 0.500 |
| 58 | 1.440 | 106 | 0.640 |
| 59 | 0.880 | 107 | 0.240 |
| 60 | 0.140 | 108 | 0.490 |
| 61 | 1.170 | 109 | 1.460 |
| 62 | 0.520 | 110 | 0.750 |
| 63 | 0.560 | 111 | 1.550 |
| 64/1 | 0.790 | 112 | 1.850 |
| 64/2 | 0.790 | 115 | 1.320 |
| 65 | 1.540 | 116 | 0.350 |
| 67 | 0.120 | 117 | 0.280 |
| 68 | 0.020 | 118 | 0.580 |
| 69 | 0.080 | 119 | 0.150 |
| 70 | 0.080 | 121 | 0.170 |
| 71 | 0.050 | 123 | 0.530 |
| 72 | 0.050 | 124 | 1.890 |
| 73 | 0.040 | 127 | 0.990 |
| 74 | 0.030 | 129 | 3.210 |
| 75 | 0.010 | 130 | 0.310 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 131/1 | 0.810 | 176 | 0.660 |
| 131/2 | 0.820 | 177 | 0.230 |
| 132 | 2.300 | 178 | 0.890 |
| 134 | 0.130 | 179 | 1.300 |
| 135 | 0.060 | 180 | 0.280 |
| 136/1 | 0.090 | 181 | 0.280 |
| 136/2 | 0.080 | 182 | 0.650 |
| 137 | 0.150 | 183 | 0.930 |
| 138 | 0.010 | 184 | 0.720 |
| 139/1 | 0.030 | 185 | 0.640 |
| 139/2 | 0.030 | 186 | 0.250 |
| 140/1 | 0.010 | 188/1 | 0.100 |
| 140/2 | 0.010 | 188/2 | 0.110 |
| 141 | 0.020 | 189 | 0.840 |
| 142 | 0.020 | 190 | 0.560 |
| 144 | 0.020 | 191 | 0.250 |
| 145 | 0.020 | 194 | 2.060 |
| 147 | 0.020 | 195 | 0.310 |
| 148/1 | 0.010 | 197 | 1.740 |
| 148/2 | 0.010 | 199 | 4.560 |
| 149 | 0.050 | 200 | 4.250 |
| 150 | 0.040 | 201 | 0.100 |
| 151 | 0.040 | 208 | 0.020 |
| 152 | 0.050 | 209 | 0.020 |
| 153 | 0.060 | 210 | 0.030 |
| 154 | 0.030 | 211 | 0.030 |
| 155 | 0.020 | 212 | 0.080 |
| 158 | 0.060 | 213/1 | 0.060 |
| 160 | 0.030 | 213/2 | 0.020 |
| 161/1 | 0.130 | 213/3 | 0.020 |
| 161/2 | 0.120 | 214 | 0.060 |
| 162/1 | 0.030 | 215 | 0.020 |
| 162/2 | 0.030 | 216 | 0.130 |
| 162/3 | 0.030 | 217 | 0.020 |
| 163 | 0.060 | 218 | 0.220 |
| 164 | 0.120 | 221 | 0.080 |
| 165 | 0.130 | 222/1 | 0.010 |
| 166 | 0.100 | 222/2 | 0.010 |
| 168 | 0.440 | 223 | 0.060 |
| 169 | 0.250 | 224/1 | 0.080 |
| 170 | 0.200 | 224/2 | 0.030 |
| 171 | 0.130 | 224/3 | 0.030 |
| 172 | 0.660 | 224/4 | 0.020 |
| 173 | 0.650 | 225 | 0.050 |
| 174 | 0.510 | 226 | 0.020 |
| 175 | 1.410 | 227/1 | 0.020 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 227/2 | 0.020 | 260/3 | 0.090 |
| 227/3 | 0.020 | 261/1 | 0.690 |
| 228/1 | 0.040 | 261/2 | 0.700 |
| 228/2 | 0.040 | 261/3 | 0.690 |
| 228/3 | 0.020 | 262/1 | 0.080 |
| 229 | 0.060 | 262/2 | 0.080 |
| 230 | 0.100 | 262/3 | 0.080 |
| 231 | 1.640 | 263/1 | 0.060 |
| 232/1 | 0.270 | 263/2 | 0.060 |
| 232/2 | 0.800 | 263/3 | 0.060 |
| 233 | 1.270 | 264 | 0.670 |
| 235 | 0.590 | 265 | 0.160 |
| 236 | 0.600 | 266 | 0.670 |
| 237 | 1.040 | 267 | 1.540 |
| 238 | 2.240 | 268 | 0.900 |
| 239 | 0.380 | 269 | 1.650 |
| 240 | 2.900 | 271 | 0.410 |
| 241 | 3.100 | 273 | 1.370 |
| 242 | 0.310 | 275 | 0.500 |
| 243 | 2.260 | 276 | 1.050 |
| 244/1 | 0.540 | 277/1 | 0.790 |
| 244/2 | 0.550 | 277/2 | 0.530 |
| 244/3 | 0.540 | 278/1 | 1.200 |
| 245 | 0.070 | 278/2 | 0.600 |
| 246 | 0.370 | 279 | 0.330 |
| 247 | 0.820 | 284 | 1.580 |
| 248 | 0.200 | 285 | 0.400 |
| 249 | 0.680 | 286 | 0.620 |
| 250 | 1.320 | 288 | 0.110 |
| 251 | 0.310 | 292 | 0.620 |
| 252 | 0.270 | 294 | 0.120 |
| 253 | 0.980 | 295 | 0.170 |
| 254 | 1.130 | 296 | 0.380 |
| 255/1 | 0.180 | 297 | 0.110 |
| 255/2 | 0.180 | 298 | 1.140 |
| 255/3 | 0.190 | 299/1 | 0.070 |
| 256 | 0.760 | 299/2 | 0.270 |
| 257/1 | 0.130 | 300 | 1.200 |
| 257/2 | 0.130 | 301 | 0.220 |
| 257/3 | 0.130 | 302 | 0.220 |
| 258/1 | 0.210 | 303 | 0.480 |
| 258/2 | 0.210 | 304 | 0.300 |
| 258/3 | 0.210 | 305 | 0.290 |
| 259/1 | 0.350 | 306 | 0.460 |
| 259/2 | 0.350 | 307 | 0.300 |
| 259/3 | 0.340 | 308 | 1.110 |
| 260/1 | 0.100 | 309 | 0.730 |
| 260/2 | 0.090 | 310 | 0.460 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|-------|-------|
| 311 | 0.380 | 360 | 0.390 |
| 313/1 | 0.020 | 361 | 0.060 |
| 313/2 | 0.020 | 362 | 0.060 |
| 313/3 | 0.020 | 363 | 0.370 |
| 314/1 | 0.300 | 364 | 1.350 |
| 314/2 | 0.100 | 365 | 1.040 |
| 314/3 | 0.100 | 366 | 0.700 |
| 314/4 | 0.100 | 367 | 0.390 |
| 315/1 | 0.140 | 369 | 0.470 |
| 315/2 | 0.340 | 370 | 0.550 |
| 315/3 | 0.340 | 371 | 0.090 |
| 317 | 0.550 | 375 | 0.670 |
| 318/1 | 0.420 | 376 | 0.110 |
| 318/2 | 0.410 | 377 | 0.590 |
| 319/1 | 0.400 | 378 | 1.000 |
| 319/2 | 0.420 | 379 | 0.350 |
| 321 | 0.560 | 380 | 0.200 |
| 322 | 0.780 | 381 | 0.250 |
| 323 | 0.930 | 383 | 1.080 |
| 324 | 1.160 | 384 | 0.200 |
| 325 | 0.910 | 385 | 0.160 |
| 326 | 0.160 | 386 | 0.150 |
| 327 | 1.110 | 387 | 0.150 |
| 337 | 0.440 | 388 | 1.560 |
| 338 | 1.130 | 390 | 0.800 |
| 339 | 3.380 | 391 | 0.200 |
| 340 | 0.770 | 392 | 0.180 |
| 341 | 0.490 | 393 | 0.570 |
| 342 | 0.690 | 394 | 0.070 |
| 343 | 1.000 | 395 | 0.550 |
| 344 | 0.450 | 396 | 0.280 |
| 345 | 0.240 | 397 | 0.080 |
| 346 | 0.900 | 398 | 0.100 |
| 347 | 1.120 | 399 | 0.040 |
| 348 | 1.110 | 400 | 0.050 |
| 349 | 1.110 | 401 | 0.080 |
| 350 | 1.110 | 402/1 | 0.090 |
| 351 | 0.120 | 402/2 | 0.100 |
| 352 | 1.030 | 403 | 0.060 |
| 353 | 1.100 | 404 | 0.500 |
| 354 | 0.320 | 405 | 0.740 |
| 355/1 | 0.800 | 409 | 0.070 |
| 355/2 | 0.180 | 410 | 0.080 |
| 356 | 1.020 | 411 | 0.100 |
| 357 | 0.350 | 413 | 0.040 |
| 358 | 0.080 | 414 | 0.060 |
| 359 | 0.360 | 416 | 0.060 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|-------|-------|---------|----------------|
| 418 | 0.060 | 464 | 0.180 |
| 421/1 | 0.400 | 465 | 0.470 |
| 421/2 | 0.400 | 466 | 0.040 |
| 422 | 0.030 | 467 | 0.040 |
| 423 | 0.040 | 468 | 0.160 |
| 424 | 0.050 | 469 | 0.140 |
| 425 | 0.150 | 470 | 0.060 |
| 426 | 0.360 | 471 | 0.060 |
| 427 | 0.580 | 472 | 0.060 |
| 428 | 0.520 | 473 | 0.100 |
| 429 | 0.340 | 476 | 0.040 |
| 430 | 0.260 | 479 | 0.120 |
| 431 | 0.100 | 481 | 0.010 |
| 432 | 0.040 | 482 | 0.040 |
| 433 | 0.050 | 484 | 0.050 |
| 434 | 0.030 | 485 | 0.050 |
| 435 | 0.040 | 486 | 0.160 |
| 436 | 0.040 | 489 | 0.120 |
| 437 | 0.060 | 490 | 0.120 |
| 438 | 0.200 | 491 | 0.060 |
| 439 | 0.100 | 492 | 0.130 |
| 440 | 0.530 | 493 | 0.210 |
| 442 | 0.320 | 496 | 0.060 |
| 443 | 0.280 | 497 | 0.030 |
| 444 | 0.310 | 498 | 0.030 |
| 445 | 0.160 | 499 | 0.090 |
| 446 | 0.060 | 500/1 | 0.490 |
| 449 | 0.140 | 500/2 | 0.500 |
| 450 | 0.140 | 501 | 0.320 |
| 451 | 0.110 | 502 | 0.080 |
| 452 | 0.070 | 503 | 0.020 |
| 453 | 0.970 | 505 | 0.070 |
| 454 | 0.750 | 507 | 0.260 |
| 455/1 | 0.070 | | |
| 455/2 | 0.020 | | |
| 457 | 0.020 | | |
| 458 | 0.090 | | |
| 459 | 0.180 | | |
| 460 | 0.300 | | |
| 461/1 | 0.140 | | |
| 461/2 | 0.140 | | |
| 461/3 | 0.150 | | |
| 461/4 | 0.160 | | |
| 461/5 | 0.140 | | |
| 462/1 | 0.350 | | |
| 462/2 | 0.360 | | |
| 463 | 0.100 | | |
| | | योग . . | <u>229.410</u> |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—
पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.